असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 02 मार्च, 2021 ई0
द्वितीय सत्र — 11 फाल्गुन, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

प्रश्नोत्तर-काल

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

सुदामा जी, सुनिए । पहले उनका सुन लें । महबूब जी, बैठ जायं । सभी माननीय सदस्य बैठ जायं । मंजिल जी, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अनुमति के बिना नहीं बोलेंगे । अनुमति के बिना कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी । आप बैठ जाइये । आसन कह रहा है बैठने के लिए, बैठिए पहले ।

कोई भी विषय हो, अब नए सदस्य और पुराने सदस्य नहीं रहे, वह स्टार्टिंग में दो-चार दिन कहा गया । अब अपने-अपने दलीय नेताओं से विषय को रखवाइये, दलीय नेता विषय को रखेंगे, हमलोग सुनेंगे । सब नहीं उठेंगे, आपके दल के नेता बोलेंगे ।

बोलिए महबूब जी ।

श्री महबूब आलम : मुद्दा है, महोदय कि 19 लाख शिक्षित नौजवानों को रोजगार देने के वादा पर यह सरकार आई है ।

अध्यक्ष : एक लाईन में बोलिए । यह क्वेश्चन आवर है, एक वाक्य में बताइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की गम्भीर, बेरहमी और निमर्मता से पिटाई की गई और गंदे पानी का बौछार किया गया । तीन हमारे विधायक जो सहानुभूति के लिए छात्रों के पास गए थे, उनकी भी पिटाई हुई है । महोदय, यह गम्भीर मसला है और पूरे बिहार का मसला है । इसपर सदन में चर्चा कराने की मैं आग्रह करता हूँ । महोदय, इसकी इजाजत दी जाय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । अब आप बोलिए ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : दलीय नेता बोल रहे हैं तो सुनिए । आप अपने बगल में सत्यदेव जी को शांत करिए । एक दलीय नेता बोले, अब दूसरे दलीय नेता बोल रहे हैं । सुनिए ।

(व्यवधान)

सरावगी जी और भाई वीरेन्द्र जी, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं पड़ेगा ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, माननीय सदस्य संतोष मिश्रा जी के भतीजा की हत्या हो गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है....

अध्यक्ष : माइक पर बोलिए ।

श्री अजीत शर्मा : बगहा में भी दयानन्द वर्मा जी की हत्या हुई है, वहाँ पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है । कांग्रेस के 25 वर्षों से वर्कर थे । एफ0आई0आर0 में नाम दर्ज है, उसपर भी कार्रवाई नहीं हो रही है । दूसरा, संतोष जी जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनके भतीजा की हत्या हुई, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है । महोदय, आप संज्ञान में लीजिए, आपका संरक्षण चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है । आप कुछ कहना चाह रहे थे वीरेन्द्र जी ?

श्री भाई वीरेन्द्र : सी0पी0आई0(एम0एल0) के....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपके नेता बोल चुके हैं सत्यदेव जी । दल के नेता बोलेंगे, पैरलल नहीं । अपने नेता के पैरलल मत बनिए । बैठ जाइये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, हम केवल इतना ही कहेंगे कि सदन में मिठाई और बाहर में पिटाई । यह नहीं चलेगा । यह अच्छी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, अररिया जिला के बौंसा थाना का एक मामला है, वहाँ पर पुलिस कस्टडी में फाँसी के जरिए उसकी मौत होती है । पुलिस कस्टडी में फाँसी कैसे लगी ? रस्सी कहाँ से आई ? मैं सदन को इस मामले में अवगत कराना चाहता हूँ कि पुलिस के जरिए अगर इस तरह से हत्या की जाएगी तो इस राज्य के लोगों की इज्जत कैसे बचेगी ?

अध्यक्ष : अब बैठ जाइये । (व्यवधान) आपके दल के नेता बोल चुके हैं, अब बैठ जाइये, सुनिए मेरी बात । अच्छा, बोलिए ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार के छात्र-नौजवान अपनी माँग लेकर आये, उनपर बर्बर लाठी चार्ज हुआ...

अध्यक्ष : वह बात आ गई । क्यों बार-बार कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

आपकी बात अब प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी । आप बैठ जाइये । सुन लीजिए । अब आप बैठेंगे सत्यदेव बाबू कि नहीं ? बैठ जाइये । आपकी बात आ गई, नेता महबूब जी जो बोले । बैठ जाइये । (व्यवधान) वह सब विषय आ गया । कार्यस्थगन दिये हैं न। (व्यवधान) हो गया न, अब बैठ जाइये । बैठिए । सुनिए माननीय सदस्य, आप नहीं सुनेंगे तो फिर हम आपकी बात को कैसे सुनेंगे ? आप बैठ जाइये । आप हमारी बात सुनिए न।

माननीय सदस्यगण, कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है । समय पर इसका निपटारा होगा । अभी प्रश्नोत्तर काल है । आप सबका ही प्रश्न है, जनहित का प्रश्न है । अभी चलने दीजिए । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं । आपकी बातों का हमलोग संज्ञान लिये हैं । अब प्रश्नोत्तर काल । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–22(श्री मो0 आफाक आलम, क्षेत्र सं0–58, कसबा)</u>

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरावगी जी, आप वीरेन्द्र जी को सहयोग करने में लगे हैं ?

(व्यवधान)

अब आप बैठ जाइये । आप पुराने सदस्य हैं, मंत्री जब खड़े हैं तो आप बैठ जाइये ।

(इस अवसर पर कई माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी जगह पर खड़े हो गए)

सभी माननीय सदस्यगण बैठ जायं । मंत्री खड़े हैं, बैठ जाइये । उनके बाद आप बोलिएगा। बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, 1– उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2– राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार के स्तर से निम्न प्रयास किये गये हैं –

i. सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है ।

ii. राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय हेतु 90762 शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है ।

iii. वर्ग 1 से 12 तक के सभी पुस्तकों का ई–कंटेन्ट बिहार टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन के वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है ।

iv. 'विद्यावाहिनी' App पर वर्ग 1 से 12 तक के सभी पुस्तकों का ई–कंटेन्ट उपलब्ध है । जिसमें छात्र–छात्राओं को नोट्स बनाने की भी सुविधा उपलब्ध है ।

v. अकादमिक वर्ष 2021–22 में सभी कक्षाओं में 3 महीने का विशेष Catch up Courses चलाने की तैयारी हो रही है ।

vi. सभी प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 एवं 2 के छात्र–छात्राओं के लिए नामित शिक्षक की व्यवस्था एवं उनका विशेष प्रशिक्षण कराया जा रहा है ।

vii. वर्ग 3 से 5 तक के छात्र-छात्राओं के लिए उनकी दक्षता के आधार पर समूह निर्माण एवं समूह शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

viii. वर्ग 1-8 के छात्र-छात्राओं के लिए पाक्षिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जा रही है ।

ix. वर्ग सापेक्ष एवं आयु सापेक्ष दक्षता के लिए भी विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है ।

x. सभी विद्यालयों में चेतना सत्र का आयोजन, बाल संसद एवं मीना मंच का गठन तथा विद्यालय के संचालन में उनका सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है ।

3- उपर्युक्त अंश 1 एवं 2 में उत्तर सन्निहित है ।

टर्न-2/आजाद/02.03.2021

श्री (मो0) आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, हम यह माननीय मंत्री जी कहना चाहते हैं और माननीय मंत्री जी बहुत ही अच्छे विचार के हैं और इनका सोच भी शिक्षा के तरफ रहा है। हम यह कहना चाहते हैं कि शिक्षा में जो गुणवत्ता की कमी है और दूसरा यह है कि मध्याह्न भोजन में भी है । इस तरह के कई ऐसी चीजें हैं जिसमें गुणवत्ता की भारी कमी है, छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है, यह सब कमियां हैं । सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को कब तक सही करने का विचार रखती है, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं?

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बड़े ही जागरूक और सक्रिय सदस्य हैं । इसीलिए इन्होंने इस संवेदनशील प्रश्न को उठाया है । यह सही बात है कि यह पूरे राज्य के लिए और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिए एक रूचि का विषय हो सकता है । माननीय सदस्य ने कहा कि कब तक इसकी योजना है । हमने एक-एक करके दर्जन भर योजनाओं की चर्चा की जो हमलोग छात्र-छात्राओं को प्रारंभिक विद्यालयों के तरफ आकर्षित करने के लिए चला रहे हैं और इसके नतीजे भी आ रहे हैं । यह बात सही है कि बच्चों की संख्या में कमी हुई है लेकिन इसके और भी कारण है । हालांकि अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसका सही आकलन जो होता है कि स्कूल से बाहर के कितने बच्चे राज्य में रह जाते हैं । उनके आंकड़े जो शुरू में 12.5 प्रतिशत बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए था, वह नहीं जा पाते थे और आज.....

(व्यवधान)

अभी तो पूछते हैं तो उनको बताते नहीं हैं । अब आप बताइए कि आप अगर पूछियेगा कि सरकार शिक्षा में सुधार के कौन से उपाय कर रहे हैं । अब आप सोचिये कि हमको कितने उपाय बताने पड़ेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, हम आसन से भी अनुरोध करते हैं कि प्रश्न और पूरक यह सब भी अगर एक मुद्दा केन्द्रित रहे तो हम सरकार की तरफ से माननीय सदस्यों के संतुष्टि के मुताबिक उत्तर दे पायेंगे । अगर इस तरह का प्रश्न होता है कि कौन-कौन से उपाय कर रहे हैं तो हम अगर एक दर्जन उपाय कर रहे हैं तो सबकी चर्चा करना लाजमी है । इसीलिए उत्तर लम्बा होता है ।

महोदय, यह जानकर सबको प्रसन्नता होगी कि स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं जो आपने आंकड़े दिये हैं 2014-15 की तुलना में 2018-19 के, प्रश्न के खंड-1 में देखिए। हम आपको आंकड़ा बताना चाहते हैं कि स्कूल से बाहर बच्चों की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं वर्ष 2014-15 में स्कूल से बाहर बच्चे थे 380126, 2018-19 में स्कूल से बाहर बच्चे थे 143278 और आज आप सबको खुशी होगी कि आज 2020-21 में मात्र 111861 बच्चे ही स्कूल से बाहर रह गये हैं और इन सबको स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए और स्कूल की तरफ लाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में हमलोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि कल तो शिक्षा विभाग का ही बजट है, पूरा सदन शिक्षा पर चर्चा करेगा, उसमें और ज्यादा विस्तार से बातें होगी । अभी तत्काल माननीय सदस्य को और सदन को यही आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस बार भी महोदय देखा गया होगा कि शिक्षा का बजट सबसे अधिक है 21.94 प्रतिशत और हमने अपना लक्ष्य रखा है शिक्षा का सार्वजनिक करना यानी हमारे एक भी बच्चे बाहर नहीं रहेंगे । अभी जो हम बता रहे हैं कि 111861 बच्चे बाहर हैं, उनको हमलोग स्कूल व्यवस्था में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं । हमारा लक्ष्य है कि कोई बच्चा बाहर नहीं रहे । इसलिए हमलोगों ने इस बार विशेष रूप से 8 मार्च से एक अभियान शुरू कर रहे हैं प्रवेशोत्व के रूप में । जो हर स्कूल के तरफ जो बच्चे बाहर हैं वह स्कूल व्यवस्था में आ जायं । इसलिए सरकार गंभीरता से, संजीदगी से प्रयास कर रही है । हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि आप सब भी अपने इलाके में इस बात पर पूरी निगरानी रखिए क्योंकि हम जानते हैं कि आप जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं, हमारे, आपके समाज प्रदेश का कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहे, यह आपकी भी जिम्मेवारी है। आप सब इसमें रूचि लीजिए, जो भी सुझाव आपका होगा, हम सरकार की तरफ से करेंगे ।

अध्यक्ष : आप बैठिए, उनका पूरक है ।

श्री (मो0) आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, आबादी जो बढ़ रही है उस अनुपात में .....

अध्यक्ष : अब इतना लम्बा जवाब के बाद भी पूरक है ?

श्री (मो0) आफाक आलम : नहीं, नहीं सर, मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय .....

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, आबादी बढ़ रही है लेकिन इस क्षेत्र में भी एक अच्छी बात है कि प्रजनन दर घट रहा है । 3.9 प्रतिशत जो प्रजनन दर था, वह मात्र 3.2 प्रतिशत हो गया है, यह भी जानकर आपको खुशी होगी ।

अध्यक्ष : चलिए, अब आप बोलिए ।

श्री अख्तरूल ईस्लाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है राईट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह बताया गया है कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि मात्र 90हजार शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, करनी है जो प्रक्रियाधीन है । जबकि बिहार में 5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है तो एक्ट के हिसाब से भी और बिहार के आवश्यकता के हिसाब से भी 5 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है तो उसपर कहां स्पष्ट कर पाये कि बच्चे हमारे स्कूल छोड़ रहे हैं क्योंकि स्कूल में शिक्षकों की कमी है । दो-तीन शिक्षक मिलकर 500 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो यह 5 लाख शिक्षकों की कमी है, इसको कब तक दूर करेंगे, सिर्फ 90हजार के बारे में इन्होंने बोला तो इसको ये स्पष्ट करें कि 5 लाख शिक्षक की कमी है या नहीं, अगर है तो इसको कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, सरकार का भी मानना है कि 20 लाख लोगों को नौकरी देना है तो उसी में से 5 लाख शिक्षा विभाग में नौकरी दे दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : माननीय सदस्य का भी सुझाव मान लेते हैं । जितने लोगों को नौकरियां सरकार को देनी है, अधिकांश लोगों को हम शिक्षा विभाग की तरफ से नौकरी देंगे क्यों आप परेशान हो रहे हैं ।

अध्यक्ष : अब आगे बढ़िए, अल्पसूचित प्रश्न का समय समाप्त हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री मेवालाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक क्वोश्चन । महोदय, हमलोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही सवाल है ....

अध्यक्ष : आप भूमिका मत बताइए, सीधे पूरक पूछ लीजिए एक लाईन में ।

श्री मेवालाल चौधरी : महोदय, मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से, महोदय, जब भी हमलोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी टीचर्स की बात होती है । महोदय, आज के दिन में जितने भी शिक्षक हमारे हैं, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जितने भी टीचर्स ट्रैनिंग कॉलेज या

स्कूल खोले गये हैं, सभी शिक्षकों की मैनडेटरी उसको तीन महीने के बाद 15 दिन रिफ्रेशमेंट कोर्स जरूर करा दें ताकि जो भी शिक्षक हैं .....

अध्यक्ष : आपका सुझाव है ।

श्री (मो0) आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : मो0 आफाक आलम, आपका पूरक खत्म हो गया ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, मैं पूछ लेता हूँ । क्या यह बात सही है कि एकीकृत जिला सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी तथा अनुदानित स्कूलों में वर्ष 2014-15 की तुलना में 2018-19 में 40 लाख बच्चों का नामांकन कम हुआ है ? महोदय, यानी चार साल के अन्तराल में जहां बढ़ना था वहां कम हुआ है तो क्या माननीय मंत्री जो हमारे बड़े संजीदा मंत्री हैं, हमलोग इनसे उम्मीद करते हैं कि शिक्षा में .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया, आप सुने नहीं क्या ?

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया सर, चले दिन भर लेकिन खड़े वहीं पर, वही वाला सवाल है महोदय । माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया लेकिन संतुष्ट नहीं कर पाये .....

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न समाप्त हुआ, अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । अब समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

टर्न-3/शंभु/02.03.21

<u>तारांकित प्रश्न सं0-656(श्रीमती शालिनी मिश्रा)क्षेत्र सं0-15 केसरिया</u>

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय संचालित नहीं है । पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया विधान सभा क्षेत्र में मूलतः चकिया एवं अरेराज अनुमंडल आता है । चकिया अनुमंडल में पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में आर0पी0एस0 कॉलेज, चकिया तथा अरेराज अनुमंडल में पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में एम0एस0एस0जी0 कॉलेज, अरेराज संचालित है । अतः पूर्वी चम्पारण जिले के केसरिया विधान सभा क्षेत्र में सरकारी डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मेरा पूरक है । माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद ही बहुत जागरूक हैं शिक्षा के प्रति, सरकार भी जागरूक है । मेरा आग्रह है और क्वेश्चन भी है कि सरकार कब तक हर विधान सभा में महाविद्यालय बनाने की योजना रखती है ताकि बच्चियों को खासकर के 20-25 कि0मी0 जाने में दूरी होती है, बहुत परेशानी होती है और

अभी-अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि सरकार चाहती है कि सारे बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ें तो महिलाएं और नौजवान स्वाबलंबी तभी होंगे जब कॉलेज जायेंगे, आगे पढ़ेंगे तो मेरा आग्रह और प्रश्न भी है कि सरकार कब तक विचार रखती है ? बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या जो कह रही हैं उनकी भावना से कोई असहमत नहीं हो सकता है । इसलिए कि जितने अधिक विद्यालय, महाविद्यालय खुल जाये उतने अधिक हमारे बच्चे उसमें पढ़ पायेंगे । इसमें तो कोई दो राय है नहीं । हमने तो यही कहा है कि सरकारी नीति के अनुसार वर्तमान में हमलोग वैसे अनुमंडल जहां पर डिग्री महाविद्यालय एक भी नहीं है । वहां हमलोग सरकार की तरफ से डिग्री महाविद्यालय खोल रहे हैं और 18 ऐसे अनुमंडलों को चिन्हित किया गया है और वहां एक-एक डिग्री महाविद्यालय खोलने की योजना क्रियान्वित की जा रही है । जब सभी अनुमंडल मुख्यालयों में या जब सभी अनुमंडलों में डिग्री महाविद्यालय हो जायेंगे फिर जो माननीय सदस्या का कहना है उसपर विचार करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-657(श्री मो0आफाक आलम)क्षेत्र सं0-58 कसबा

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय परिसर को विद्यालय में उपलब्ध संगत निधि से विद्यालय का फेनसिंग कराने का परामर्श संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति को दिया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता पर करा लें ।

श्री मो0 आफाक आलम : महोदय, कब तक करायेंगे ?

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, हमने तो यह नहीं कहा है कि हम करा रहे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि कब करा दीजिएगा । हमने कहा है कि विद्यालय की जो प्रबंध समिति है जिनको यह अधिकार है । हम उनको भी कह रहे हैं और माननीय सदस्य के इलाके का मामला है, ये खुद भी प्रयास करेंगे तो सरकार भी आपके साथ मिलकर प्रबंध समिति के माध्यम से इसको करायेगी ।

श्री मो0आफाक आलम : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अभी जहां-जहां उत्क्रमित हाईस्कूल बना है हर जगह इसी तरह से ओपेन स्कूल बनाकर के मैदान में छोड़ दिया गया है और जहां बच्चे-बच्चियां जाती है वहां हर तरह के पशु घूमते रहते हैं ।

अध्यक्ष : आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री मो0आफाक आलम : हम पूछना चाहते हैं कि जहां भी इस तरह का स्कूल बनाया गया है उसको घेराबन्दी के साथ बनाया जाय और उसका गेट बनाया जाय ।

अध्यक्ष : मतलब कोई और फंड है इसके सन्दर्भ में जानना चाहते हैं ?

श्री मो0आफाक आलम : जी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, विद्यालय की घेराबन्दी संगत फंड के अलावे भी किसी से हो सकता है?

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : वह तो माननीय सदस्य भी अपने ऐच्छिक कोष से भी करा सकते हैं और दूसरी बात है- हम मदद बता रहे हैं हम क्या मदद करेंगे यह भी बता रहे हैं । माननीय सदस्य को हम सूचना दे दें, पता नहीं आपको विद्यालय प्रबंध समिति ने सूचना दी है कि नहीं दी है कि उस विद्यालय के विकास कोष में 55 हजार रूपये जमा है और हमलोग आपको 1 लाख रूपये कंपोजिट ग्रांट में सरकार की तरफ से विद्यालय को दे रहे हैं और आप मिलाकर करा लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सिद्धार्थ : महोदय, पहले तो सरकार प्रबंधन समिति का गठन करे, आधा स्कूल में तो प्रबंध समिति का गठन ही नहीं हुआ है । सदन के माध्यम से स्पष्ट निदेश जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक पत्र विभाग से चला जाना चाहिए कि सभी उत्क्रमित और पहले से जो भी उच्च विद्यालय है उसके प्रबंध कमिटी का गठन करे और ससमय बैठक करे ।

श्री सिद्धार्थ : प्रबंधन समिति का गठन किया गया है कि नहीं ?

अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी खड़े हैं तो बैठ जाइये सिद्धार्थ जी । सिद्धार्थ जी, आप बैठ जाइये, थोड़ा सा जब माननीय मंत्री खड़े हो जाएं, नेता खड़े हो जाएं तो....

श्री सिद्धार्थ : महोदय, अगर प्रबंध समिति का गठन नहीं करते हैं तो उनपर कार्रवाई की जायेगी ? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ।

श्री भाई वीरेन्द्र : यह सदन की भावना है ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जो भावना माननीय सदस्यगण व्यक्त कर रहे हैं या जो आसन से निदेश हुआ है, सरकर की तरफ से हमने पहले ही चूंकि उसमें विधायक सम्मिलित रहते हैं, विधान सभा का नया चुनाव हुआ है, नयी विधान सभा गठित हुई है, हमारे ढेर सारे विधायक नये जीतकर आये हैं । इसलिए हमने सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से पहले ही अपने जिला के पदाधिकारियों को निदेश जारी कर दिया है कि....व्यवधान ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, यह उचित नही है, जब मंत्री बोल रहे हैं तो सुनिए, थोड़ा धैर्य रखिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, अभी तो सभी लोग जीतकर आये हैं हमलोगों ने निदेश दे दिया है और निदेश का पालन नहीं होगा तो जो पालन नहीं करेंगे उनपर कार्रवाई होगी ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा, अब आप बैठ जाइये ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, मेरा यह कहना है कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि नया चुनाव हुआ है तो निदेश जारी कर दिया गया है तो क्य पूर्व में यह निदेश जारी किया गया था क्या कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष विधायक होंगे । मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : अब नये वातावरण में नयी बात रखिये न कहां पुरानी बात रख रहे हैं ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, नया में ही क्या विभाग ने ऐसा पत्र भेज दिया है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष क्षेत्रीय माननीय विधायक होंगे । ऐसा पत्र गया है क्या, ऐसा कोई पत्र गया है मैं जानना चाहता हूँ ।

श्री आलोक कुमार मेहता : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि छात्र कोष में 50 हजार रूपये हैं और सरकार से कंपोजिट ग्रांट दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये । आपलोग कितने गंभीर हैं सदन के प्रति और कितने सकारात्मक वातावरण में बातचीत हो रहा है तो शांति बनाये रखिये और सरावगी जी पीछे मत देखिए, आपस में मत बात कीजिए । सरावगी जी, आगे देखिए न ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय मंत्री जी ने 55 हजार रूपये छात्र कोष की बात कही, विद्यालय में पूर्व से हमलोग अध्यक्ष रहे हैं उच्च विद्यालयों में- उच्च विद्यालयों में हमें जो कहा गया उसमें सिर्फ विकास कोष के पैसे के सन्दर्भ में रिजोल्यूशन ले सकते हैं और उसको बनाया जा सकता है, छात्र कोष के बारे में उनलोगों का बहुत ऑब्जर्वेशन रहता है जिसके लिए कोई गाइडलाइन्स है, नहीं है हमको नहीं पता है । इसलिए माननीय विधायक की क्या रेस्पोंसिबिलिटी है और कोई भी सरकुलर जारी होता है, गठन संबंधित से लेकर और आपने जो लेबोरेट्री में इक्वीपमेंट खरीदने के लिए पैसा दिया, किसी-किसी विद्यालय में जब विधान सभा में प्रश्न उठा कि उसमें भारी लूट हुई है.....क्रमशः ।

टर्न-4/ज्योति/02/03/21

क्रमशः

श्री आलोक कुमार मेहता: किस किस विद्यालय में जो सचिव हैं उन्होंने कोशिश की कि पोस्ट एक्सपेंडीचर एप्रूवल उस कमिटी से ले ली जाय, हमने उसको एक्जेम्पट कर दिया, हमने हटा दिया हमने कहा कि इसतरह का कोई गाईडलाईन्स या कोई डायरेक्शन हमारी जानकारी में नहीं है कि लेबोरेट्री का पैसा विद्यालय में आया है और सारा औफिस से आपके पास पत्र आया है, आप उसको देखिये इसलिए इस संदर्भ में एक गाईडलाईन जारी किया जाय ताकि माननीय विधायकों को महसूस हो ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप तो पूर्व मंत्री भी रहे हैं और पूरी जानकारी भी रखते हैं, माननीय सदस्य अन्य सोर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी चाह रहे हैं तो माननीय मंत्री जी बतला दें कि और क्या विकल्प हो सकता है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री आलोक मेहता जी ने दो बातों की चर्चा की है। एक तो जो विद्यालय में उपलब्ध होते हैं दो तरह के कोष एक विकास की निधि और दूसरा छात्र कोष तो एक तो यह स्पष्ट कर दें कि हमने जो माननीय सदस्य अफाक जी के प्रश्न के सिलसिले में बतलाया था वह विकास कोष का ही पैसा है

55 हजार रुपया जो आपने भी कहा कि उसमें विधायकों को यह अख्तियार है । दूसरी बात जो आपने कहा है कि विद्यालय की प्रबंध समिति में जो विधायक होते हैं अध्यक्ष होते हैं या जो विकास के कोष होते हैं उनकी क्या भूमिका है । ये आपका सुझाव सही है इस संबंध में हम स्पष्ट विधायकों की भूमिका, अधिकार, उनकी क्या सीमाएं है, उनको क्या करना है इसके बारे में विभाग की तरफ से एक स्पष्ट परिपत्र जारी करेंगे जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से सारे प्रधानाध्यापकों को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 658 (श्रीमती स्वर्णा सिंह,क्षेत्र सं0-79 गौड़ाबौराम)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के गौड़ाबौराम प्रखंड के मनसारा पंचायत के मध्य विद्यालय , बड़गांव को नहीं बल्कि मध्य विद्यालय मनसारा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है । यह सही है कि इस विद्यालय में उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण का कार्य नहीं हुआ है । महोदय, हम निर्देश दे रहे हैं कि इस उच्च माध्यमिक विद्यालय, मनसारा में जो उत्क्रमित हुआ है उसमें भवन निर्माण की कार्रवाई शीघ्र की जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या 659 (श्री समीर कुमार महासेठ,क्षेत्र सं0-36 मधुबनी)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2-वस्तुतः राज्य के विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों के अंतर्गत पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं पुस्तकालय सहायक के 299 पद रिक्त हैं ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के अंतर्गत पुस्तकाध्यक्ष जो यू.जी.सी. की योग्यता न रहने पर सहायक पुस्तकाध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक के पद तृतीय श्रेणी के गैर शैक्षणिक पद, विश्वविद्यालय के शिक्षकेत्तर कर्मी को 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने संबंधी निर्गत संकल्प में तृतीय श्रेणी के गैर शैक्षणिक पदों पर आयोग के माध्यम से नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है । इसलिए संबंधित अधिनियम के संगत प्रावधानों में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । राज्य के विश्वविद्यालयों में पुस्तकाध्यक्ष का पद यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार ये शिक्षक के समतुल्य श्रेणी के पद हैं । यू.जी.सी. के द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार विहित प्रक्रिया अपना कर नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

4- 3 में उत्तर सन्निहित है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : अब तो उत्तर स्पष्ट दे दिए हैं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : स्पष्ट है लेकिन ये तीन वर्षों से लगातार जो शिक्षित है जो पी.एच.डी. कर लिए, नेट कर लिए, सब चीज कर लिए लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही है, कबतक दिला देंगे ?

अध्यक्ष : जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया है । श्री मुकेश कुमार यादव, मंत्री शिक्षा विभाग ।

तारांकित प्रश्न संख्या 660 (श्री मुकेश कुमार यादव,क्षेत्र सं0-27 बाजपट्टी)

अध्यक्ष : ऑन लाईन उत्तर मिला है आप देखें हैं उत्तर । संलग्न है उत्तर, औनलाईन उत्तर उपलब्ध है, आप देखने का प्रयास करिये ।

श्री मुकेश कुमार यादव : नहीं देखे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पढ़ दिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, 1-वस्तुस्थिति यह है कि पांचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था में कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि या इ.पी.एफ. के प्रावधान को दिनॉक 1-9-2020 से लागू किया गया है ।

2 एवं 3 - वस्तुस्थिति यह है कि इम्पलाईज प्रोविडेंट फंड ऐण्ड मिसलेनियस प्रोविजन ऐक्ट, 1952 की धारा 16 में प्रावधानित है कि इस अधिनियम को नियुक्ति तिथि से भिन्न अन्य किसी तिथि से भी लागू किया जा सकता है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, क्या सरकार नियुक्ति की तिथि से इ.पी.एफ. देने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : आप तो प्रश्न का उत्तर सुने नहीं, उन्होंने बोल दिया है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : इसमें है कि 1 सितम्बर 2020 से लागू होगा तो जो 1952 के ऐक्ट में प्रावधान है और वह केन्द्रीय कानून है जिसमें नियुक्ति की तिथि से देना है तो नियुक्ति की तिथि से देना चाहती है कि नहीं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वही तो माननीय सदस्य को हमने बताया कि हमलोगों ने तो 1 सितम्बर से दिया है और जिस ऐक्ट का हवाला आप दे रहे हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि नियुक्ति की तिथि से दिया जायेगा उसी ऐक्ट में यह भी लिखा हुआ है कि सरकार नियुक्ति की तिथि अथवा जो भी अन्य तिथि उचित समझे उससे वो उसको लागू कर सकती है इसीलिए कोई उस ऐक्ट का वायलेशन उल्लंघन करके हमलोग ऐसा नहीं कर रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 661 (श्री अख्तारुल इस्लाम शाहीन,क्षेत्र सं0-133 समस्तीपुर)

अध्यक्ष : मंत्री, शिक्षा विभाग । उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये । ऑन लाईन डाल रहे हैं लोग तो थोड़ा आपलोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा । उत्तर आया हुआ है औन लाईन सब लोग निकाल लिए हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी , मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 2000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 के लिए प्रति विद्यालय 5 लाख की दर से राशि उपलब्ध करायी गयी है । इसीप्रकार 4 हजार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 एवं 10 के लिए प्रति विद्यालय 3 लाख रुपये की दर से राशि उपलब्ध करायी गयी है । विद्यालय के शिक्षक के द्वारा प्रयोगशाला का संचालन किया जाता है इस हेतु तकनीकी शिक्षक की बहाली का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री अख्तरुल इस्लमाम शाहीन : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पिछले 5 वर्षों में लगातार मिडिल स्कूल को हाई स्कूल किया गया और इन्टर स्कूल किया गया लेकिन उस अनुपात में शिक्षक वहाँ पर नहीं दिए गए हैं तो पूरे बिहार में जो स्कूल हाई स्कूल हुआ, इंटर स्कूल हुआ, उसमें जो सायंस के टीचर नहीं रहने की वजह से जो आपने लैब का पैसा दिया वह तो रुम में ही बंद रह गया क्योंकि वहाँ पर कोई सायंस का शिक्षक ही नहीं है जो लेबोरेट्री का उपयोग हो सके इसलिए हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि तमाम उत्क्रमित उच्च विद्यालय और इन्टर स्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो रिक्त पद है सायंस या तमाम विषयों के शिक्षक की बहाली कबतक कर ली जायेगी ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार तो इन उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विभिन्न विषयों में शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति करनी चाह रही है लेकिन शायद सदन अवगत है कि जो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी वो कुछ कारणों से न्यायालय में उससे संबंधित मामला लंबित है और उसे रोक दिया गया है हालांकि हमलोगों ने सरकार की तरफ से आई.ए. यानी इन्टरलोक्यूट्री एप्लीकेशन दाखिल करके हमने सरकार की तरफ से न्यायालय से इजाजत मांगी है कि आप जो भी बताना चाहते हैं ।

क्रमशः

टर्न-5/अभिनीत/पुलकित/02.03.2021

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः): आप जो भी बताना चाहते हैं, चाहे आरक्षण के जो नियम हैं, चाहे दिव्यांगों के बारे में जो प्रावधान हैं और जिसके आधार पर इसे रोका गया है, हमलोग उनको शत-प्रतिशत, जो नियम और प्रावधान हैं उसी के तहत करना चाहते हैं लेकिन आपने जो नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है उसमें हमको इजाजत दीजिए हम तत्काल नियुक्ति करना चाहते हैं । सरकार तो तुरंत करना चाहती है ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीनः अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्षः हो गया, उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है । अब श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-662

(श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र सं0- 216 जहानाबाद)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधारी, मंत्री: 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जहानाबाद जिलांतर्गत रतनी फरीदपुर प्रखंड के पंचायत झुनाठी के ग्राम- रसलपुर में प्राथमिक विद्यालय भवन के लिए अंचलाधिकारी, रतनी फरीदपुर के द्वारा 14 डिसमिल गैर मजरूआ भूमि उपलब्ध कराया गया है । वर्तमान में यह विद्यालय सामुदायिक भवन में चल रहा है ।

2- उक्त विद्यालय की भूमि गड्ढ़ा रहने के कारण उप विकास आयुक्त, जहानाबाद से गड्ढ़ा भराने का अनुरोध किया गया है । इसके उपरांत समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत आगामी बजट में राशि उपलब्ध होने पर उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कराया जायेगा ।

अध्यक्ष: उत्तर संलग्न है । आप पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: महोदय, जैसा उत्तर में बताया गया है, उस तरह की गड्ढ़े वाली जमीन नहीं है और इसको भरने में कोई परेशानी नहीं है । एक-दो फीट, भवन बनाने में जितना पिलर बनाने के लिए गड्ढ़ा होता है उससे ज्यादा गड्ढ़ा नहीं है । इसके लिए पहले भी हमने उप विकास आयुक्त से संपर्क किया था तो उस जमीन को भरवाया जाय ।

अध्यक्ष: आपका पूरक क्या है ?

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: अध्यक्ष महोदय, वही पूरक है, बहुत ज्यादा गड्ढ़ा नहीं है लेकिन माननीय मंत्रीजी ने जवाब में बताया है कि उस जमीन में गड्ढ़ा है और उप विकास आयुक्त को बोले हैं भरने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में...

अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, हमने जो जानकारी ली है कि वहां पर 6 फीट का गड्ढ़ा है, यह हमको जानकारी है और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उतना गड्ढ़ा नहीं है तो हमलोग फिर से इसकी जांच करा लेंगे, माननीय सदस्य को भी सूचित कर देंगे । गड्ढ़ा नहीं रहेगा, हमलोग तो काम करना चाहते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 663

(श्री विजय कुमार, क्षेत्र सं0- 169 शेखपुरा)

(लिखित उत्तर)

श्री आलोक रंजन, मंत्री: उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है ।

शेखपुरा जिलान्तर्गत चेवाड़ा प्रखंड के श्री बीजो जानकी प्लस टू उच्च विद्यालय, एकाढ़ा में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या- 111, दिनांक- 13 जून, 2017 द्वारा दी जा चुकी है ।

अतएव, एक ही प्रखंड में दो स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

अध्यक्ष: उत्तर मुद्रित है, पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री विजय कुमार: अध्यक्ष महोदय, स्टेडियम मॉडल का प्राक्कलन लगभग 1 करोड़ 45 लाख का है, जिसमें मात्र 45 लाख की लागत से एकाढ़ा में बनाया गया है और इसके दोनों छोर को चहारदीवारी से घेरा भी नहीं है फलत: यह स्टेडियम कम चारागाह ज्यादा प्रतीत होता है । महोदय, स्टेडियम में कोई सुविधा नहीं है, स्टेडियम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गयी है । प्रश्नगत चेवाड़ा आजाद मैदान पर निरंतर जिला एवं राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक कराया जाता है । आजाद मैदान चेवाड़ा सभी मानको को पूरा करता है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पूरक प्रश्न पूछिए । आप पूरक क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री विजय कुमार: महोदय, हम स्टेडियम बनवाना चाहते हैं । हम मांग किये हैं कि वहां जिला में कोई स्टेडियम नहीं है ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री: महोदय, ये जहां पर स्टेडियम बनवाना चाह रहे हैं वहां पर लगभग 54 लाख 74 हजार की राशि से स्टेडियम का कार्य प्रारंभ है ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

श्री विजय कुमार: महोदय, उसकी जांच करा ली जाय । वहां बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है ।

अध्यक्ष: कार्य प्रारंभ हुआ है या नहीं ?

श्री विजय कुमार: महोदय, पूर्व का ही कार्य है ।

श्री आलोक रंजन: महोदय, उस प्रखंड में ये दूसरा स्टेडियम चाह रहे हैं, दूसरा स्टेडियम बनाने का लक्ष्य नहीं है । एक स्टेडियम उस प्रखंड में बीजो जानकी प्लस टू उच्च विद्यालय एकाढ़ा में है जिसकी विभागीय स्वीकृति 13.06.2017 को दी गयी है, उसमें कार्य प्रारंभ है और कार्य अंतिम चरण में है, इसलिए वहां दूसरा स्टेडियम निर्माण नहीं हो सकता है ।

श्री विजय कुमार: महोदय, मैं जिला स्तर का बोल रहा हूँ वहां जमीन उपलबध है, मैं प्रखंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ । प्रखंड में जो स्टेडियम है, जिला स्तर का उसी को बना दिया जाय ।

अध्यक्ष: आप प्रखंड का प्रश्न किये हैं, आप जिला मत पहुंचिये ।

श्री विजय कुमार: महोदय, मैंने जिला स्तर का ही बताया है कि वहां पर जमीन उपलब्ध है, वहां बन सकता है ।

श्री चन्द्रशेखरः महोदय, सरकार का हर प्रखंड में आउट डोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य है । मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन प्रखंडों में आउट डोर स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है, उन प्रखंडों में कब तक सरकार आउट डोर स्टेडियम का निर्माण करा देगी ।

श्री आलोक रंजन, मंत्रीः महोदय, ये एक पत्र के माध्यम से हमें दें, जिस प्रखंड में नहीं हुआ है उसको हमलोग तुरंत स्वीकृति के लिए भेज देंगे जिला को और वहां पर जमीन उपलब्ध रहेगा तो हमलोग बनवा देंगे ।

अध्यक्षः बहुत सकारात्मक जवाब है चन्द्रशेखर बाबू । श्री भरत बिन्द ।

तारांकित प्रश्न सं0- 664

(श्री भरत बिन्द, क्षेत्र सं0- 205, भभुआ)

श्री सुनील कुमार, मंत्रीः महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के कारणों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है । दोनों मृतकों के बेसरा को विधिवत जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना में अनुसंधानक द्वारा दिनांक- 15.02.2021 को भेजा गया है । पुलिस अधीक्षक कैमूर (भभुआ) के ज्ञापांक 983/अप0 श0 दिनांक- 19.02.2021 द्वारा निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बिहार, पटना को प्राथमिकता के आधार पर जांच प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकता है जबकि चंद्रिका पासवान की मृत्यु अन्य कारणों से होना प्रतिवेदित किया गया है।

फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्रतिकर भुगतान के संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी । जहां तक शराब धंधे में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई का प्रश्न है, तो उक्त घटना के संबंध में भभुआ थाना कांड सं0-71/21 दिनांक- 06.02.2021 धारा- 302/328/307/भा0द0वि0 एवं 34(b)/ 34(b) (i)(ii)(iii) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम एवं परिवर्तित धारा- 302/328/307/34 भा0द0वि0 एवं 30(a)/ 34(b)(i)(ii)(iii) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त, मुन्ना मुसहर, पेसर-स्व0 शिवपूजन मांझी, साकिन-कुरासन, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर के विरूद्ध दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त (1) मुन्ना मुसहर, पेसर- स्व0 शिवपूजन मांझी, साकिन-कुरासन, थाना-भभुआ, जिला-कैमूर को दिनांक- 06.02.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3- बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत धारा 42 में प्रतिकर का भुगतान करने का प्रावधान है । उक्त प्रावधान के आलोक में इस

अधिनियम के अधीन कलक्टर द्वारा आदेश पारित करते समय यदि उसका समाधान हो जाता है कि किसी स्थान पर विक्रीत शराब के उपभोग के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा क्षति हुई है तो वह विनिर्माता अथवा विक्रेता, चाहे वह किसी अपराध में सिद्धदोष हुआ हो अथवा नहीं, प्रतिकर के रूप में प्रत्येक मृतक के विधिक प्रतिनिधि को कम से कम चार लाख रूपये अथवा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को दो लाख रूपये अथवा किसी अन्य पारिणामिक चोट खाने वाले व्यक्ति को बीस हजार रूपये भुगतान करने का आदेश होगा ।

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पादन अधिनियम, 2016 तथा संशोधित अधिनियम के अध्याय VI- अपराध एवं शास्ती के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में शराब के धंधे में लिप्त दोषियों को दण्डित करने का प्रावधान किया गया है ।

अत: विधि विज्ञान प्रयोगशाला के फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत प्रतिकर का भुगतान हेतु धारा 42 के अंतर्गत नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी । धन्यवाद ।

श्री भरत बिन्द: अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में .....

अध्यक्ष: पूरा जवाब तो मंत्री जी दे दिये हैं, अब क्या पूछियेगा ?

श्री भरत बिन्द: अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी है और जहरीली शराब से .....

अध्यक्ष: आप प्रश्न का जवाब पहले देख लेते, उत्तर संलग्न है तो पूरक पूछ लेते ?

श्री भरत बिन्द: महोदय, कम से कम 10 लाख रूपया मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शराबबंदी पर आपको क्या परेशानी है ?

श्री प्रहलाद यादव: महोदय, परेशानी नहीं, जो बात आई है माननीय मंत्री जी की तरफ से उसमें एक समय-सीमा निर्धारित कर दें ।

अध्यक्ष: किस चीज के लिये समय-सीमा चाहते हैं ?

श्री प्रहलाद यादव: महोदय, मुआवजा के लिए समय-सीमा चाहिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री: महोदय, जो फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी होती है उन्हीं के द्वारा जब ये जांच रिपोर्ट आती है...

अध्यक्ष: जांच रिपोर्ट के बाद आप मुआवजा देंगे ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री: महोदय, 48 घंटे के अंदर हम निर्देश देंगे कि मुआवजा देंगे अगर.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: कौन है, ऐसा आप बताइये ?

(व्यवधान)

डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, जब प्रश्न चल रहा था तो आप बाधक बने, आपको खेद व्यक्त करना चाहिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री: महोदय, आसन को ही तो सुनाना है ।

टर्न-6/हेमन्त धिरेन्द्र/02.03.2021

तारांकित प्रश्न सं0-665(श्री युसुफ सलाहउद्दीन, क्षेत्र सं0-76, सिमरी बख्तियारपुर)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हम आगे बढ़ गये हैं, अब इनका प्रश्न है ।
माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आगे बढ़ गये हैं, अब अगला प्रश्न आ गया है, बैठ जाइये । आप अलग से मिलकर मंत्री जी को बता दीजिए, वह संज्ञान में ले लेंगे ।

(व्यवधान)

शराब से जुड़ा हुआ मामला है, तो इनसे मिलिये ये बड़ी गम्भीरता से ले रहे हैं । आप बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जैसा कि हमने शालिनी मिश्रा जी के प्रश्न के उत्तर के क्रम में बताया था कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार उन अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से कोई डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । इस श्रेणी में सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल भी शामिल है । सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित करने का निदेश जिला पदाधिकारी सहरसा को दिया गया है । भूमि चिन्हित होने के उपरांत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय के भवन निर्माण एवं पढ़ाई की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-666(श्री अरूण शंकर प्रसाद, क्षेत्र सं0-33, खजौली)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय संतनगर में चार कमरों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 में स्वीकृति दी गयी थी तथा भवन निर्माण हेतु विद्यालय शिक्षा समिति को रु0 6,32,625/- (छः लाख बत्तीस हजार छः सौ पच्चीस रुपये) मात्र निर्गत की गई । विमुक्त राशि के विरुद्ध

चार कमरों की छत ढलाई स्तर तक का निर्माण कार्य विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा कराया गया है । शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु वर्तमान में अद्यतन दर से राशि की गणना की गई है। राज्य निधि से प्राथमिक विद्यालय संतनगर के अधूरे भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर मिला है, उसमें मैं जानना चाहता हूं कि जो कर्णांकित राशि इन्होंने विद्यालय निर्माण के लिए दी थी, क्या वह पूरी राशि खर्च हो चुकी है जो बाकी और निधि देने की बात हो रही है । दूसरा, कि अतिपिछड़ा और कमजोर वर्ग के बीच में यह विद्यालय है, वह विद्यालय 14 वर्ष पहले से बनना शुरू हुआ था और अभी तक उस विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि और कितने वर्ष लगेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय.....

(व्यवधान)

स्पष्ट बोलने के साथ स्पष्ट सुनना भी न पड़ता है । महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा कि इस विद्यालय के भवन निर्माण में काफी विलंब हुआ है और जो उनका पहला पूरक था कि जो बची हुई राशि है या उसके अलावा भी राशि की व्यवस्था की जायेगी, तो हम बताना चाहते हैं कि उस समय की जो भी बची हुई राशि है, उसका फिर से पुनरीक्षित प्राक्कलन बनाकर, जो भी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, उस राशि की व्यवस्था करके अगले वित्तीय वर्ष में यह कार्य पूरा करा दिया जायेगा ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : महोदय,....

अध्यक्ष : अब बता दिया गया है, स्पष्ट बोल दिया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करा दिया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-667(श्री विजय कुमार, क्षेत्र सं0-169, शेखपुरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक-98, दिनांक-23.02.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि आलोच्य बस-पड़ाव बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की भूमि है । इस भूमि की मापी हेतु पत्रांक-91, दिनांक-19.02.2021 द्वारा अंचलाधिकारी, शेखपुरा को निदेशित किया गया । निदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, शेखपुरा ने अपने पत्रांक-261, दिनांक-23.02.2021 द्वारा संसूचित किया है कि आलोच्य भूमि की मापी करायी गयी है और उक्त खेसरा में अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया

गया है तथा अतिक्रमणवाद संख्या- 3/2020-21 संधारित कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार : पूरक है, महोदय । तथाकथित सुशासन बाबू के राज में दबंग लोगों के द्वारा लगभग 50 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा है, महोदय, सरकार कब तक इसे मुक्त करायेगी ?

अध्यक्ष : मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के ज्ञापांक-98, दिनांक-23.02.2021 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि आलोच्य बस-पड़ाव बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की भूमि है । इस भूमि की मापी हेतु पत्रांक-91, दिनांक-19.02.2021 द्वारा अंचलाधिकारी, शेखपुरा को निदेशित किया गया । निदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, शेखपुरा ने अपने पत्रांक-261, दिनांक-23.02.2021 द्वारा संसूचित किया है कि आलोच्य भूमि की मापी करायी गयी है और उक्त खेसरा में अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है तथा अतिक्रमणवाद संख्या- 3/2020-21 संधारित कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है ।

श्री विजय कुमार : महोदय, समय-सीमा बता दें ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : हम जल्द करा देंगे ।

श्री विजय कुमार : महोदय,....

अध्यक्ष : अब उन्होंने बोला तो है कि जल्द करा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-668 (श्री मनोज मंजिल, क्षेत्र सं0-195, अगिआँव)

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रत्येक प्रखण्ड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है ।

भोजपुर जिलान्तर्गत गड़हनी प्रखण्ड के रामदहिन मिश्र उच्च विद्यालय, गड़हनी में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-65, दिनांक 17.12.2008 द्वारा दी जा चुकी है ।

उक्त स्टेडियम के जिर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव की मांग जिला पदाधिकारी, भोजपुर से विभागीय पत्रांक-417, दिनांक 01.03.2021 द्वारा की गयी है ।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-669 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0-82, दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत लिपिकीय संवर्ग विभागीय संकल्प संख्या-2280 दिनांक 19.05.2014 से जिला संवर्ग घोषित है, जिनके नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होते हैं । स्थानान्तरण एवं पदस्थापन जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाता है । विशेष परिस्थिति में निदेशालय द्वारा लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों का उनके अभ्यावेदन के आधार पर स्थापना समिति की बैठक में प्रत्येक वर्ष माह जून में स्थानान्तरण किया जाता है ।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-10000 दिनांक 10.07.2015 एवं आदेश संख्या-2877 दिनांक 25.02.2016 के आलोक में सेवानिवृति से पूर्व अभ्यावेदन करने वाले कर्मी का उसी पद पर संविदा के आधार पर नियोजन का प्रावधान है, जिसके आलोक में श्री धनानंद झा, बाल विकास परियोजना कार्यालय मनीगाछी, दरभंगा से दिनांक 31.08.2014 को सेवानिवृत होने के पश्चात् 01.09.2014 से अबतक एवं श्री जय नन्द झा दिनांक 13.03.2020 को सेवानिवृत होने के पश्चात् 01.04.2020 से अबतक बाल विकास परियोजना कार्यालय मनीगाछी, दरभंगा में संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत हैं ।

जहाँ तक इनके द्वारा ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का प्रश्न है, इस संबंध में कोई परिवाद निदेशालय को प्राप्त नहीं है । परिवाद प्राप्त होने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है । हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, यह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0) और डी0पी0ओ0 के कार्यालय में 20-20 वर्षों से गैंग बनाकर लोग बैठे हुए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली हो रही है । महोदय, इसकी उच्च स्तरीय जाँच करायी जाय । 20-20 साल से ज्वाईन...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, यही है कि 20-20 साल से गैंग बनाकर एक जिला में...

अध्यक्ष : क्या पूछना चाहते हैं, जाँच कराई जाय ?

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब संतोषप्रद नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक आपका क्या है, जाँच कराई जाय ?

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, एक तो सभी जिलाधिकारी को या विभाग को निदेश दिया जाय कि तीन वर्ष से ऊपर नियम नहीं है एक जगह रहने का । 20 सालों से गैंग बनाकर, फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली हो रही है, तमाम लोगों की जाँच कराकर जो तीन वर्ष से ऊपर डी0पी0ओ0 में और आई0सी0डी0एस0 हैं, उनका स्थानांतरण कराना चाहते हैं या नहीं ? यह मेरा पूरक प्रश्न है ।

अध्यक्ष : अब बताइये ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में यह स्पष्ट है कि वह पहले से वहां कार्यरत थे और सेवा निवृत्ति के बाद संविदा पर बहाल हुए तो उनकी जाँच करने का औचित्य क्या है ? जब वह पहले से सेवा में थे और रिटायरमेंट के बाद उनकी बहाली संविदा पर हुई है तो आप कैसे यह कह रहे हैं कि वे अवैध बहाली में थे ? एक तो यह है ।

दूसरा, इनका कहना है कि वह लगातार 15-20 वर्षों से वहां कार्यरत थे तो हमने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि यह स्थानांतरण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा तीन वर्ष में किया जाता है और हमने यह भी जवाब दिया है, अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री यह कह रहे हैं कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा तीन वर्षों पर स्थानांतरण होता है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सदस्य प्रश्न कर रहे हैं, इसका जवाब सरकार दे रही है और ये जिला पदाधिकारी को बीच में ला रहे हैं । सरकार नाम की चीज है या नहीं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछते हैं तो सुन लिया कीजिये । आपका अधिकार है पूरक पूछने का ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में ही सरकार ने स्वीकार किया है कि तीन वर्ष से ऊपर नहीं रह सकते...

अध्यक्ष : ये तो कह रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, तो फिर 20 साल से पूरे राज्य में कितने लिपिकीय संवर्ग के लोग हैं जो तीन साल से ज्यादा अपने कार्यकाल में पदस्थापित हैं । सरकार ने स्वीकार किया है ।

अध्यक्ष : यह तो कह रहे हैं । मंत्री जी बताइये कि तीन वर्ष में ट्रांसफर का अधिकार किसको है ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी को है ।

अध्यक्ष : जिलाधिकारी ट्रांसफर करता है, जहां पर नहीं हुआ है, उसको दिखवा लीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार से प्रश्न पूछा जा रहा है । जिलाधिकारी भी सरकार के अंडर में है । हम कह रहे हैं कि सरकार सबसे बड़ी...

अध्यक्ष : कहीं का कोई पार्टिकुलर है क्या ?

(व्यवधान)

जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बीच में आप कैसे उठ गये ?

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : बोलिये । आप पूरक पूछिये न । आप प्रश्न को भूमिका में न ले जा कर, डायरेक्ट पूछिये।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष से ऊपर सरकार ने कहा है कि एक स्थान पर रहने का कोई औचित्य नहीं है, सरकार ने यह स्वीकार किया है । हम कह रहे हैं कि 20 साल से गैंग बना कर जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय में लोग बैठे हुए हैं । सरकार कहती है कि हम जून में आवेदन लेते हैं, जून में स्थानांतरण करते हैं । हम स्पेसिफिक श्री धनानंद झा और श्री जय नन्द झा के बारे में कहे हैं । पूरे जिले में 100 फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली है, महोदय ।

अध्यक्ष : आप इसकी जाँच करवा लीजिये ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह अनर्गल आरोप नहीं लगाइये बिना प्रमाण के ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले पूरा जवाब तो सुन लिया जाय । ये पूरा जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं ।

अध्यक्ष : पूरी बात सुनिये, इनका जवाब पूरा सुनिये ।

टर्न-7/सुरज-संगीता/02.03.2021

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य, पुराने सदस्य हैं, अनुभवी हैं महोदय..

श्री ललित कुमार यादव : प्रश्न को पढ़िये । पुराने सदस्य हैं, मंत्री हो गए हैं ,पहले प्रश्न को पढ़िये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, इनका जो पूरक सवाल है सरकार बहुत गंभीरता से सुन रही है और सरकार इनको सही-सही जवाब देना भी चाहती है लेकिन माननीय सदस्य को संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है । पुराने सदस्य हैं, थोड़ा धैर्य के साथ सरकार का जवाब सुनिये और अगर आपका सवाल हल नहीं होता है तो उत्तेजित होकर बात कीजिएगा तो हल नहीं होगा । शालीनता के साथ बात का जवाब हमलोग देंगे । कितना बढ़िया से माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं और ललित बाबू जी उसको घुमा रहे हैं वायुमंडल में । महोदय, तो वायुमंडल में घुमाने से नहीं होगा ।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये । ललित जी बोलिये । सभी लोग बैठ जाइए । पहले सभी सदस्यगण बैठेंगे तभी हम सुनेंगे, खड़े-खड़े नहीं ।

(व्यवधान जारी)

आप नहीं चाहते हैं कि सही बात सामने आए, आप आसन पर जाइये और चौधरी जी बोल रहे हैं सुनिए ।

(व्यवधान जारी)

जवाब आपको मिला है ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : वेल में आने की क्या आवश्यकता है ? जब हम जवाब देने के लिए तैयार हैं तो ये सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । ये पहले से तय कर रखें हैं, हमलोगों की बात को नहीं सुनना चाह रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

व्यक्तिगत रूप से हमला करना चाहते हैं, ये हमलोगों की बात को सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सभी बैठ जाइये । जिनको अपने प्रश्न के जवाब से संतुष्टि नहीं है हमने उनसे कहा है कि आप लिखकर माननीय मंत्री को देंगे, माननीय मंत्री जवाब देंगे ।

(व्यवधान जारी)

भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस की बात करती है सरकार और अगर लगता है कि यह गलत है तो आप लिखकर दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

बैठ जाइये सब । कार्यस्थगन प्रस्ताव नहीं सुनना है ?

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 02 मार्च, 2021 के लिए निम्न सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

1. श्री महबूब आलम
2. श्री समीर कुमार महासेठ
3. श्री महानंद सिंह
4. श्री अरूण सिंह
5. श्री आलोक कुमार मेहता
6. श्री रामबली सिंह यादव

(व्यवधान जारी)

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना आमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिए जायेंगे ।

शून्यकाल

श्रीमती भगीरथी देवी : माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड गौनाहा के ग्राम दोन कैनाल से बसवरिया तक पथ का निर्माण कार्य ग्रामीण कार्य विभाग, नरकटियागंज द्वारा हुआ है, जो घटिया कार्य हुआ है ।

मैं जांच कराने की मांग करती हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला सहित राज्य के सभी जिलों में बंगला भाषी शिक्षक एवं किताब के अभाव में बंगला भाषी छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

अतः मैं सरकार से बंगला भाषी छात्रों के लिए राज्य में शिक्षक एवं पुस्तक उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री प्रकाश वीर । श्री प्रकाश वीर । नहीं हैं ।

(अनुपस्थित)

श्री विद्यासागर केसरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर परिषद्, फारबिसगंज के सुभाष चौक पर चौतरफा रास्ते से आने वाली भीड़ एवं रेलवे क्रासिंग के कारण घंटों छोटी-बड़ी वाहनों की लम्बी कतार लगने से आमजनों के साथ स्कूली छात्र/छात्राओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है । सुभाष चौक पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : श्री शाहनवाज, श्री शाहनवाज ।

(व्यवधान जारी)

श्री शाहनवाजः अध्यक्ष महोदय,अररिया जिलान्तर्गत...

(व्यवधान जारी)

श्री जय प्रकाश यादव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के महथावा बाजार में नाला नहीं रहने के कारण घरों का पानी रोड पर जमा रहता है और बरसात के समय

नारकीय स्थिति बनी रहती है । पथ निर्माण विभाग द्वारा रोड के दोनों तरफ नाला निर्माण करवाने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।

अध्यक्ष : श्री रणविजय साहू, श्री रणविजय साहू ।

(अनुपस्थित)

(व्यवधान जारी)

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, विगत दस वर्षों से पंचायत स्तर पर कृषि विभाग में लगभग 6300 से अधिक की संख्या में किसान सलाहकार एक पूर्णकालिक एक सरकारी सेवक की तरह कार्य कर रहे हैं । कृषि विभाग द्वारा विभागीय तकनीकी एवं गैर तकनीकी कार्य किसान सलाहकारों द्वारा कराये जा रहे हैं ।

अत: किसान सलाहकारों को नियमित एवं संविदा कर्मियों की तरह लाभ देने की मांग करता हूं ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक अभियंता आर॰डब्लू॰डी॰ कार्य प्रमंडल चकिया 31.01.2021 को एवं अधीक्षण अभियंता, मोतिहारी ग्रामीण कार्य अंचल 31.12.2020 को सेवानिवृत्त हो गए जहां अबतक पदस्थापन नहीं हुआ है, जिससे नई योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि दोनों जगह पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाय ।

(व्यवधान जारी)

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय कला एवं संस्कृति मंत्री की समीक्षा बैठक वर्ष 2017-18 में बक्सर सदर प्रखंड के स्थित किला मैदान में विकास के लिए 1 करोड़ 25 लाख की राशि आवंटन की गई थी...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायं ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : अभी तक वह राशि उपलब्ध नहीं हो पायी । मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि राशि अविलंब उपलब्ध कराया जाये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिए । आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं ?

श्री अवध बिहारी चौधरी : माननीय ललित यादव जी ने जो प्रश्न किया है और मंत्री जी जो जवाब दिये हैं, मंत्री जी भी यह स्वीकार करते हैं कि 15 वर्ष 17 वर्ष से वहां पदस्थापित हैं तो वैसे पदाधिकारी पूरे बिहार में इतने ज्यादा वर्षों से एक जगह पर पदस्थापित हैं और सदस्य द्वारा उनके उपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं...

अध्यक्ष : आप पूरे प्रश्न का जवाब सुन लीजिए और उस जवाब के अनुसार हम पूरक का अवसर दिये हैं ।

श्री अवध विहारी चौधरी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं ?

श्री अवध विहारी चौधरी : मैं चाहता हूं कि वैसे जो कर्मचारी हैं उस कर्मचारी को हटाईए, वहीं नहीं अन्य लोगों को भी और वहां पर जांच कराइये सरकार बड़ी है, न कि कलेक्टर बड़ा है । जांच कराकर के पूरे बिहार में इतने वर्षों से एक पद पर पदस्थापित कर्मचारी को हटाइये..

अध्यक्ष : चौधरी साहब सुनिए, एक मिनट । पहले माननीय सदस्य सुन लीजिए, माननीय सदस्य को अपने स्थान पर बैठने के लिए कहिए हम फिर माननीय मंत्री से प्रश्न का जवाब पढ़वा देंगे । आप पहले अपने स्थान पर बैठिए । सभी लोग अपने स्थान पर बैठिए ।

(व्यवधान जारी)

आप चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता से व्यवस्था बने तो सदन को संचालित करने में सहयोग करें । पूरी पारदर्शिता से आसन काम करेगा ।

(व्यवधान जारी)

अब ललित जी सबको बैठवाइये पहले । आप सब लोग बैठ जाइये पहले । सदन को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे तभी न सरकार और मंत्री जवाब देंगे । बैठ जाइये । मंजिल जी, देखिए, पोस्टर लेकर अंदर आना उचित नहीं है । आज हमने नहीं हटवाया है लेकिन आगे से हटा देंगे । पोस्टर लेकर प्रवेश नहीं होने देंगे । बैठ जाइये सबलोग ।

(इस अवसर पर वेल से माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर चले गए)

टर्न-8/ मुकुल-राहुल/02.03.2021

अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप पूरक पूछिए और पूरक डायरेक्ट प्रश्न कीजिए । जवाब उनके पास है आप पूरक पूछिए ।

श्री अवध विहारी चौधरी: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से सीधा-सादा प्रश्न पूछ रहा हूं कि जिन कर्मचारियों के संबंध में इन्होंने कहा है कि ये नाम के साथ इन्होंने स्पेसिफिक किया है कि वे लोग बहुत वर्षों से वहां पदस्थापित हैं और रिटायर कर जाने के बाद पुन: जो ज्यादा दिन से हैं उन्हीं लोगों को संविदा पर बहाल किया गया है इस बहाली का क्या औचित्य है तो ऐसे लोगों की जांच कराकर, उनकी संपत्ति की जांच कराकर उनके ऊपर कार्रवाई हो । मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि वह कब तक कार्रवाई करेंगे, तत्क्षण उन लोगों को हटा दें और सभी बिंदुओं पर जांच कराकर उन

पर कार्रवाई की जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी प्रश्न करता हूं कि पूरे बिहार में इस तरीके के केस हैं सक्षम तरीके से उनकी भी जांच कराई जाय ।

अध्यक्षः आप अब बैठ जाइये । ललित बाबू, इन्होंने प्रश्न पूछ लिया है और आपका पूरक अब खत्म हो गया, ललित बाबू नहीं ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, श्री अवध विहारी चौधरी जी ने सही कहा है, स्पेसिफिक दो नाम हैं और राज्य में तीन वर्षों से कौन लोग जमे हुए हैं । महोदय, आज नहीं हो तो इसे स्थगित कर दिया जाय दूसरे दिन कार्यकाल आयेगा तो उस पर चर्चा हो जायेगी। अगर माननीय मंत्री जी उत्तर पर तैयार नहीं हैं तो इसे स्थगित कर दिया जाय।

अध्यक्षः एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए । देखिए, हम एक बात और आग्रह करेंगे बड़ी गंभीरता से, सबकी जिम्मेवारी है, सब लोग यहां बहुत ही कीमती समय देकर बैठे हुए हैं और जनता देख रही है । माननीय मंत्री जी बोलें तो उसे सुनें, उसके बाद फिर अपनी बात को रखें, सबको थोड़ा सा धैर्य रखना आवश्यक है । माननीय मंत्री जी, आप डायरेक्ट बताइये।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य से आग्रह करेंगे कि वह सबसे पहले पूरा जवाब सुन लें, अगर आप नहीं संतुष्ट होंगे तो उसके बाद आपको जो कहना होगा हम उसको मानने के लिए तैयार हैं, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्षः सुन लीजिए, सुन लीजिए ।

श्री मदन सहनी, मंत्रीः एक तो जो व्यवस्था का सवाल है, आप कह रहे हैं कि पूरे बिहार का मामला है । आपने दो लिपिक के बारे में स्पष्ट रूप से सवाल किया है, हमने उनके बारे में जवाब दिया है लेकिन माननीय और सदस्य पूरे बिहार के बारे में कह रहे हैं तो हम लोग पूरे बिहार के संदर्भ में कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार का जो लिपिक संवर्ग विभागीय संकल्प संख्या-2280, दिनांक-19.05.2014 का जो पत्र है, उसके आलोक में और फिर सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या-10,000 दिनांक- 10.07.2015 का जो आदेश है एवं आदेश संख्या-2877, दिनांक-25.02.2016 के आलोक में जो सेवानिवृत्ति पूर्व अभ्यावेदन करने का जो कर्मी का उसी पद पर संविदा के आधार हो और वह जवाब हम दे दिये हैं और आप पढ़ लिये हैं । रही बात सिर्फ दो लिपिक का तो उसके संबंध में जब हम लोग प्रश्न आता है और विभाग में अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग उसका अध्ययन करते हैं तो हमने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि माननीय सदस्य हम लोग के जिले के हैं और हम लोग से सीनियर हैं और चूंकि ये जो दो लिपिक हैं इन्होंने भी उस सवाल किया है कि ये 15-20 साल से हैं तो माननीय सदस्य भी 20-25 साल से उसी क्षेत्र से सदस्य हैं । मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा तब आपको जो कहना होगा कहियेगा, बीच में नहीं बोलियेगा । हम पहले पूरा जवाब दे रहे हैं और हम लोग मंत्री बने

हैं अध्यक्ष जी मात्र 20-25 दिन हुआ है तो पूरे बिहार के संदर्भ में अभी तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि जितने लोग तीन साल से ज्यादा से हैं इस विभाग के अंतर्गत उनको हम लोग हटा देंगे, लेकिन इसके संबंध में जब हम लोगों ने इसका अध्ययन किया तो हम लोगों ने पाया कि जिला अधिकारी को हटाना चाहिए था लेकिन नहीं हटाये तो हम लोगों ने 1 तारीख को ही इसकी चिट्ठी विभाग की ओर से निदेशालय के पत्रांक-1261, दिनांक-01.03.2021 को जिला अधिकारी को हम लोगों ने उनके स्थानांतरण के लिए लिख दिया है । उसके बावजूद भी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब हम लोग जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो कृपया हम लोगों की बात को सुन लिया जाय, टारगेट कृपया नहीं किया जाय ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, इसमें दो प्रश्न और हैं ।

अध्यक्षः देखिए, इन्होंने पत्र लिख दिया है ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, इसमें इनकी संपत्ति की जांच की भी है, इसे देखा जाए।

अध्यक्षः आप अलग से एक प्रश्न लाइयेगा । एक चीज सुन लीजिए, प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने के उपरांत भी इस प्रश्न पर चर्चा करने की मैंने जो अनुमति दी है यह पूर्वोदाहरण नहीं होगा, यह आज स्पेशल केस था । श्री आलोक कुमार मेहता ।

(व्यवधान जारी)

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्षः आपका भी प्रश्न आ रहा है । आप वरीय सदस्य हैं, सुन लीजिए महबूब साहब ।

श्री आलोक कुमार मेहता: दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज कराना नागरिकों का अधिकार एवं दर्ज करना थानों का कर्तव्य है । पिछले वर्षों में थानों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करने से अपराधियों के मनोबल एवं कोर्ट में प्राथमिकी दर्ज करने वालों की भीड़ बढ़ गई है । सरकार से अपील है कि सुधार हेतु कड़े कदम उठाए ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस सदन में मोबाइल से प्रश्न पढ़ना क्या नियमानुकूल है ?

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष: श्री सुधाकर सिंह ।

(व्यवधान)

महबूब जी, शून्यकाल हो जाने दीजिए, आप लोगों का भी है । लेकिन मोबाइल सदन के अंदर लाना या उसके उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन चलिए कोई वरीय सदस्य अगर ऐसा करते हैं तो आगे से ध्यान रखेंगे, बैठ जाइये ।

श्री सुधाकर सिंह: अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड अंतर्गत दुर्गावती बाजार में एन. एच-2 के चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया लेकिन अभी तक ग्रामीणों के जमीन का मुआवजा नहीं मिला है । जिससे ग्रामीणों में असंतोष है सरकार ग्रामीणों की जमीन का मुआवजा दिलावें ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर भाकपा माले के कुछ माननीय सदस्य वेल में आ गये)

अध्यक्ष: आप शून्यकाल में दिये हैं, पढ़ियेगा उसमें सुनेंगे । आप सुन लीजिए माननीय सदस्य, आप शून्यकाल में यह मामला दिये हैं न ? आपको मौका देंगे, उसमें आप अपने विषय को रखियेगा । आप अपने स्थान पर जाइयेगा तब ही न इसको पढ़ियेगा, सबसे पहले आप अपने स्थान पर जाइये । आप महबूब साहब, अपने स्थान पर जाइये, तब मौका देंगे । जाइये ।

(इस अवसर पर भाकपा माले के माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर वापस चले गये)

टर्न-9/यानपति-अंजली/02.03.2021

श्री अरूण शंकर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखण्ड के पंचरतन ग्राम से लेकर चचराहा तक निर्मित प्रधानमंत्री ग्राम सम्पर्क सड़क अत्यन्त जर्जर हालत में है । जिससे आम लोगों का यातायात बाधित हो रहा है । शीघ्र उक्त सड़क की मरम्मती कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, वैश्य समाज की बाड़ी जाति सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से बिल्कुल पिछड़ी हुई है और अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु सारी अहर्ताएं पूरी करती है ।

अतः बाड़ी जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने की मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंहः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में वैशाली पथ प्रमण्डल हाजीपुर के कार्यपालक अभियंता के द्वारा 7 पथों का निर्माण कार्य ऐसे संवेदकों को दिया गया जिन्होंने कार्यान्वयन का जाली प्रमाणपत्र दिया था और करोड़ों रुपये के राजस्व की हेराफेरी की गई । मैं इसकी उच्चस्तरीय जांच एवं कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झाः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखण्ड के पंचायत कर्जापट्टी में हजाम टोल, लाधा में भोली पासवान के घर से मरतौला तक एवं मझिगामा पंचायत में महमदपुर श्मशान के पास धौंस नदी के कटाव के कारण गांवों का अस्तित्व संकट में है, सरकार इसकी जांच कर निदान हेतु उचित कार्रवाई करे ।

श्री प्रणव कुमारः अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर में रेल सह सड़क पहुंच पथ में जीरो माइल के पहले, लालदरवाजा, चौखंडी या काला पत्थर में मुख्य मार्ग में सम्पर्क पथ के निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार यादवः भागलपुर जिलान्तर्गत घोरघट से मिर्जाचौंकी तक जाने वाली एन0एच0 80 मुख्य सड़क संकीर्ण एवं प्रतिदिन दस हजार गाड़ियों के परिचालन होने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है ।

अतः सरकार से एन0एच0 80 के 10 मीटर चौड़ीकरण के साथ निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री अचमित ऋषिदेवः अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखण्ड पहुंसरा पंचायत वार्ड नं0-2 मिरचाईबाड़ी आदिवासी टोला में 65 उपभोक्ताओं द्वारा एक वर्ष पूर्व विद्युत मीटर लगाने के लिए रिक्वेस्ट नम्बर प्राप्त किया गया किन्तु अब तक मीटर नहीं लगाया गया है ।

अतः यथाशीघ्र मीटर लगाने के लिए मैं सरकर से मांग करता हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवालः अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति सहित खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मलखम्भ खेल को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि मलखम्भ को राज्य के खेल कैलेण्डर में शामिल कर प्रोत्साहित किया जाय ।

श्री कुमार शैलेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत बिहपुर प्रखण्ड के हरिओ पंचायत के गोविंदपुर मुसहरी के तीन सौ परिवार का घर कोशी नदी से कट जाने के कारण विस्थापित हो गए हैं ।

अतः विस्थापित परिवार को वासगीत पर्चा देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री महबूब आलमः अध्यक्ष महोदय, एक मार्च को 19 लाख रोजगार मांग रहे छात्र-युवाओं पर बर्बर लाठीचार्ज व प्रदूषित पानी से हमला हुआ, आंदोलनकारियों के समर्थन में गए विधायकों के साथी भी अपमानजनक व्यवहार हुआ, कई लड़के गंभीर रूप से घायल हैं । घटना की उच्चस्तरीय जांच तथा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव रामः अध्यक्ष महोदय, पुलिस विधायकों की पिटाई करेगी, यह तो शर्मनाक है इस पर तो सरकार को जवाब देना चाहिए ।

श्री मुकेश कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में ओलावृष्टि से किसान को नुकसान हुए फसल की क्षतिपूर्ति हेतु बाजपट्टी प्रखण्ड का चयन किया गया था । सभी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी आज तक क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किया गया जनहित में भुगतान कराई जाये ।

अध्यक्षः माननीय विधायक, बैठ जाइये । सरकार इसको संज्ञान में ले । बैठिये सभी लोग । अरूण बाबू जी, बैठ जाइये । सदन को गंभीरता से लेंगे तो सरकार को भी गंभीरता से लेना होगा। श्री रामबली सिंह यादव ।

श्री रामबली सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी थाना के खेमचन्द बिगहा निवासी अजय कुमार का लापता होने की सूचना थाना को दिनांक-17.01.2021 को दी गई है जिसका घोसी थाना कांड संख्या-38 दर्ज है । पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में उदासीनता बरती जा रही है ।

अतः सरकार से मांग है कि अजय कुमार को शीघ्र परिजनों को सौंपा जाए ।

श्री अरूण सिंहः अध्यक्ष महोदय, काराकाट विधान सभान्तर्गत दनवार स्वास्थ्य केन्द्र का भवन 48/- लाख की लागत से बनकर तैयार है । परन्तु नए भवन में स्वास्थ्य केन्द्र नहीं चलाकर पुराने जीर्णशीर्ण स्वास्थ्य भवन में ही मरीज की देखरेख होती है । मैं मांग करता हूं कि तत्काल नए भवन में स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाए ।

श्री विनय कुमार चौधरीः अध्यक्ष महोदय, बहेड़ा-झंझारपुर पथ जो बेगुसराय से राष्ट्रीय उच्च पथ-57 को जोड़ने वाली सड़क है । इस वजह से इस पथ पर बहुत संख्या में भारी वाहनों का आवागमन है । सड़क की चौड़ाई बहुत कम है, जिससे हमेशा जाम की समस्या रहती है। इसका चौड़ीकरण कराया जाय ।

श्री महानंद सिंहः अध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी, 2021 को अरवल में थाना से सटे दिन में बेखौफ अपराधी दो गैरेज मिस्त्री को गोली मार दी । थानेदार की लापरवाही और भ्रष्ट आचरण के

कारण जनता में भारी आक्रोश है । घायल व्यक्ति का समुचित इलाज एवं अपराधियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने एवं थानेदार को हटाने की मांग करते हैं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के ग्राम पंचायत घींवाढ़ार ग्राम लौकरिया गांधी स्मारक के नजदीक खाली भूखण्ड पर 6 बेड का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण जनहित में है । उक्त स्थल से 5-6 किलोमीटर के अंदर दूसरा कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त भूखण्ड पर 6 बेड का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया जाय ।

श्री विजय कुमार: अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिलान्तर्गत सुदूरवर्ती घाटकुसुम्भा प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय नहीं होने की वजह से अनेकों छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उन्हें उच्च शिक्षा जिला अवस्थित कॉलेज में आवागमन में काफी परेशानी होती है तथा छात्राओं की सुरक्षा को भी खतरा रहता है ।

अतएव घाटकुसुम्भा मुख्यालय में छात्र एवं जनहित में एक महाविद्यालय स्थापित करने की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार रौशन: अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के महुआ अनुमंडल में विधि एवं कानून व्यवस्था जर्जर है जिला मुख्यालय की दूरी अधिक रहने के कारण आम जनों को काफी कठिनाई होती है । महुआ अनुमंडल में प्रशासनिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक विधि व्यवस्था लचर होने की स्थिति में इसे जिला का दर्जा देना आवश्यक है ।

अतएव महुआ अनुमंडल को स्वतंत्र जिला का दर्जा होने की मांग करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरी: अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के रजौन प्रखंड मुख्यालय में हजारों वर्ष से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में 8 एकड़ में थाना के पास अवस्थित तालाब को जनहित में सौंदर्यीकरण एवं चारों तरफ सीढ़ीनुमा घाट के निर्माण कराने एवं अवैध कब्जा से मुक्त करने की आवश्यकता है ।

अत: उपरोक्त तालाब को जनहित में सौंदर्यीकरण एवं घाट के निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मांग पर प्रदर्शन कर रहे छात्र युवाओं को पर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया जिसमें माले विधायक संदीप सौरभ, मनोज मंजिल, अजित कुशवाहा सहित दर्जनों युवा घायल हो गये । सरकार दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए अपने वायदेनुसार 19 लाख स्थायी रोजगार की व्यवस्था करावे ।

श्री प्रह्लाद यादव: अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला के चानन एवं लखीसराय-प्रखंड के निम्न राजस्व ग्रामों जैसे:- महेशलेटा गोड्डीह, घोसीकुण्डी, मोहनकुण्डी, पंचाग, खगौर, वृन्दावन,

गदीविशुनपुर, महिसौना, दामोदरपुर को नगर परिषद में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जबकि 100 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं ।

अत: सरकार से मांग है कि उक्त राजस्व ग्रामों को नगर परिषद में लेने के प्रस्ताव से अलग रखा जाय ।

टर्न-10/सत्येन्द्र/02-03-21

श्री शंभू नाथ यादव: अध्यक्ष महोदय, भोजपुर(आरा) और राजधानी पटना को जोड़ने वाला कोईलवर में सोन नदी पर बने हुए नये पुल पर प्रशासन की लापरवाही से विगत 15 दिनों से गिद्धा से बिहटा तक महाजाम लगा हुआ है जिससे आम जनता एवं मरीजों को पटना आने जाने में कठिनाई हो रही है, सरकार महाजाम से निजात दिलावे ।

श्री कुंदन कुमार: अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में निजी विद्यालय के द्वारा लॉक डाउन अवधि के स्कूल फीस जमा नहीं किये जाने पर बच्चों को परीक्षा से वचिंत किये जाने का अभिभावक पर दवाब है। अत: सरकार से छात्र/छात्राओं के हित में उक्त अवधि की फीस माफ कराने की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष: यह मामला गंभीर है, पूरे बिहार का है । सरकार इसको संज्ञान में ले और आपको धन्यवाद भी देते हैं कि शून्यकाल में 36 वाँ चल रहा है, सबसे कम शब्दों में, मात्र 22 शब्दों में आपने रखा है इसलिए एक बार जोरदार आपका..

श्री अजय कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, जामलपुर प्रखंड के इन्दरूख पंचायत पूर्वी के पश्चिम ताल में हजारों एकड़ भूमि में किसानों की सुविधा के लिए कृषि हित में नाले में पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री नीतीश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, झंझारपुर कमला बलान नदी पर पुराने रेल सह सड़क पुल से अनुमंडल मुख्यालय, झंझारपुर जाने वाली सड़क पर अधिक मात्रा में बालू रहने से आवागमन की खतरनाक स्थिति एवं दुर्घटना की संभावना बढ़ गयी है। सरकार से तत्काल इस महत्वपूर्ण सड़क को सुगम यातायात के लिए कार्रवाई की मांग करता हूँ।

अध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेगी । माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा अपनी सूचना को पढें।

श्री प्रकाश वीर : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: बैठ जाईए। आप उस समय नहीं पढे जब अन्य मा0 सदस्य पढ़े, अब 37 ले लिये।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री अजीत शर्मा, अजय कुमार एवं श्री आनंद शंकर सिंह,
स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार
(सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री अजीत शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के 103वां संशोधन द्वारा ई0डब्लू0एस0 के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया हैं । यह आरक्षण ऐसे लोगों को देय है जो अन्य किसी आरक्षण कोटि से अचछादित नहीं है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 31-01-2019 को ई0डब्लू0एस0 से संबंधित औफिस मेमो नं0 36039/1/2019 निर्गत किया गया है जिसमें कहीं भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों के विनिमय का प्रावधान नहीं है परंतु बिहार अधिनियम 2, 2019 की धारा 11 में ई0डब्लू0एस0 की कैटेगरी में विनिमय का प्रावधान कर दिया गया है फलस्वरूप तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निकाले गये विज्ञापन सं0-16/2019 में सामान्य चिकित्सकों के ई0डब्लू0एस0 के लिए आरक्षित पदों पर अन्य आरक्षित वर्गों के 97 व्यक्तियों का चयन कर दिया गया। पदों की कुल संख्या 4012 थी जिसमें से ई0डब्लू0एस0 कैटेगरी के लिए मात्र 343 पदों को चिन्हित किया गया जबकि 10 प्रतिशत एवं रोस्टर के अनुरूप 401 पद आरक्षित होने चाहिए थे। अत: ई0डब्लू0एस0 कैटेगरी के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए बिहार अधिनियम 2, 2019 की धारा 11 को विलोपित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

अध्यक्ष: मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: बिहार अधिनियम, 2, 2019, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में(आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा-11 में यह प्रावधान है कि- यदि किसी भर्त्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवार आरक्षण कोटि से भरे जाने वाले इस अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध ना हों, तो बची हुई रिक्तियां/सीटें उसी समव्यवहार अथवा उसी भर्त्ती वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवार से भरी जायेंगी ।

विवेचित अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि विनिमय का प्रावधान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के बदले किसी अन्य आरक्षित कोटि के लिए नहीं किया गया है अपितु खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवारों से भरे जाने का प्रावधान है। इस अधिनियम का प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में भी किया गया है।

जहां तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा निकाले गये विज्ञापन संख्या 16/2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की रिक्तियों के भरे जाने का प्रश्न है, इस संबंध में बिहार

तकनीकी सेवा आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। इस प्रतिवेदन के अनुसार विज्ञापन संख्या- 16/2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन कुल रिक्ति 343 के विरूद्ध 196 योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध पाये गये जिनका चयन किया गया । बची हुई 147 रिक्तियों को खुली गुणागुण कोटि के अभ्यर्थियों से भरा गया है जिसके अधीन मेघा (मेरिट) के आधार पर आरक्षित/गैर आरक्षित सभी वर्ग के अभ्यर्थी चयनित होते हैं। इस प्रकार बची हुई 147 रिक्तियों को खुली गुणागुण कोटि के आधार पर भरे जाने का प्रावधान पूर्णतः व्यवहारिक एवं नियम संगत है। यह भी उल्लेखनीय है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण हेतु पदों/सीटों की गणना चालू रिक्तियों के आधार पर की जाती है, बैकलॉग रिक्तियों पर नहीं।

उपर्युक्त के आलोक में बिहार अधिनियम, 2,2019 की धारा -11 को विलोपित करने की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है।

श्री अजीत शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि राज्य में चार वर्ग के लिए पूर्व से आरक्षण विद्यमान है पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं अनुससूचित जनजाति तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जन जाति को देय आरक्षण में विनिमय का प्रावधान है और यदि नहीं है तो ई0डब्लू0एस0 में विनिमय का प्रावधान करने का क्या औचित्य है? दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय,सरकार द्वारा जो उत्तर दिया गया है, वह भ्रामक है। तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो अनुशंसा की गयी है वह खुली गुणागुण कोटि के आधार पर नहीं की गयी है बल्कि आरक्षण के आदर्श रोस्टर के बिंदुओं के आधार पर की गयी है। यह संविधान विरोधी अनुशंसा है, इसकी जांच विधान-सभा की समिति से करायी जाय और तीसरा महोदय, ई0डब्लू0एस0 के लिए रोस्टर निर्धारित है जिसमें 7,17,27,37, से लेकर 97 तक 100 पदों में से दस पद आरक्षित हैं। तकनीकी आयोग ने कौन सा गणित पढ़ा है जिसके आधार पर 4012 पदों का 10 प्रतिशत 343 होता है । कृपया इसको स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सारा पौलिसी है गजट है, अगर आप बोलियेगा तो देंगे, पहले मंत्री जी जवाब दे दें उसके बाद।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण के जवाब में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है महोदय और जो बिहार अधिनियम 2, 2019 है महोदय, उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है महोदय और माननीय सदस्य के पास अगर कोई जानकारी है तो माननीय सदस्य उसको उपलब्ध करवा दें, उसकी समीक्षा करा देंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

श्री अजीत शर्मा: मेरे पास सारी चीज है, ये है आपकी पौलिसी और जब आप उस चारों में नहीं कर रहे हैं तो इसमें ई0डब्लू0एस0 में क्यों कर रहे हैं, सब को एक होना चाहिए। दूसरा

उन्होंने जो कहा है कि भारत का गजट, यह भी है मेरे पास जो संविधान का रूप ले लिया है, इसको आपकी सरकार ने चेंज किया है इस पर आप बोलियेगा तो सारा पेपर हम दे सकते हैं, इसको आप देख लीजियेगा पत्र बनाकर।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: महोदय,मैंने कहा कि जो जानकारी है और जो कागजात है..

अध्यक्ष: आप उपलब्ध करवा देंगे, उसकी समीक्षा आप करवा लीजिये।

श्री अजीत शर्मा: बहुत गंभीर मामला है हुजूर, इसमें आपका संरक्षण चाहिए।

अध्यक्ष: देखिये, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी भी इस पर विशेष रूप से कई बार चर्चा कर चुके हैं और सदन भी आज गंभीरता से इसको सुन रहा है । आप उपलब्ध करवा दें, सरकार उसको गंभीरता के साथ देख लेगी।

श्री अजीत कुमार: धन्यवाद।

टर्न–11/मधुप/02.03.2021

श्री सिद्धार्थ सौरव, मो0 आफाक आलम एवं अन्य नौ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [कृषि विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : महोदय, आत्मा किसान सलाहकार समिति के प्रखण्ड अध्यक्ष के चयन सम्बन्धी नेशनल मिशन फॉर Agriculture and extension तकनीक को कार्यान्वित करने हेतु वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये गाईड लाईन के कंडिका 6 में यह स्पष्ट है कि प्रखण्ड अध्यक्ष, किसान सलाहकार समिति (BFAC) का चयन चुनावी प्रक्रिया के तहत Rotation basis पर होना है ।

बिहार सरकार कृषि विभाग के नियमावली अनुदेश में अध्यक्ष के चयन में कंडिका (3:5:1) में उल्लेखित अधिकतम शर्त्तों को पूरा करने वाले किसान को समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष चयन प्रक्रिया को तबज्जो नहीं देते हुए कृषि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए चयन किया गया है ।

अत: उक्त वर्णित कंडिका का पालन करते हुए राज्य सरकार द्वारा आत्मा किसान सलाहकार समिति के प्रखण्ड अध्यक्ष का चयन करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, कंडिका 3.5.1 के प्रावधान भारत सरकार एवं बिहार सरकार कृषि विभाग के नियमावली के अनुरूप है । महोदय, इस नियमावली के अन्तर्गत सभी परियोजना निदेशक को किसान सलाहकार समिति के गठन हेतु नियमावली पालन करने का निदेश दिया गया है ।

फिर भी, कहीं से इसके चयन में नियमावली में दिए गए प्रावधान का उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होती है तो विभाग निश्चित रूप से त्वरित कार्रवाई करेगी ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : अध्यक्ष महोदय, गाईड लाईन में स्पष्ट है कि इलेक्शन के द्वारा सेलेक्शन होना चाहिए । लेकिन यहाँ प्रशासनिक तंत्र इतना हावी है कि कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं कराकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ की पूर्त्ति के लिए इलेक्शन की प्रक्रिया को सेलेक्शन की प्रक्रिया के तरीके से नौबतपुर प्रखण्ड में किया गया है ।

आप त्वरित कार्रवाई कीजिए और कानून सम्मत जो चीज है उसके अनुसार इसपर स्पष्ट आदेश दीजिए । आज पटना डी0ए0ओ0 के माध्यम से व्यक्गित लाभ के लिए पूरे डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को नष्ट करके अपने द्वारा थोपे गए प्रखण्ड अध्यक्षों से किसानों का कभी भला नहीं हो सकता है । आत्मा के माध्यम से भी चुनाव.....

अध्यक्ष : पूरक प्रश्न पूछिए डायरेक्ट ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : पूरक पूछ रहे हैं कि नौबतपुर में ऐसा क्यों किया गया ? नौबतपुर प्रखण्ड अध्यक्ष के चयन में इलेक्शन प्रक्रिया को नजरअंदाज करके अनडेमोक्रेटिक तरीके से क्यों किया गया ? यह मैं पूछ रहा हूँ ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण के माध्यम से कोई स्पेसिफिक पूछा नहीं है, सामान्य उन्होंने इसकी चर्चा की है । गाईड लाईन की चर्चा उन्होंने की है, भारत सरकार के गाईड लाईन की उन्होंने बात की है लेकिन उस गाईड लाईन के ही आधार पर बिहार सरकार कृषि विभाग की भी नियमावली बनी हुई है और उसी नियमावली के आधार पर चयन की प्रक्रिया भी होती है ।

महोदय, यदि नौबतपुर के लिए स्पेसिफिक सप्लीमेंट्री में पूछ रहे हैं...

अध्यक्ष : आप इसको देखवा लें ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : तो कृषि विभाग बिहार सरकार के....

श्री सिद्धार्थ सौरव : अध्यक्ष महोदय....

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : सुन लीजिए ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । सुन लीजिए ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : जवाब सुन लीजिए । हमें अंदाजा था कि आप यह पूछेंगे तो सुन ही लीजिए ।

कृषि विभाग, बिहार सरकार आत्मा, पटना कार्यालय का किसान सलाहकार समिति गठन से संबंधित शिकायत प्राप्त हुआ है, इसके पहले शिकायत विभाग को मिली है जिसकी जाँच की जा रही है । गठन में नियम के उल्लंघन पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री सिद्धार्थ सौरव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इतना ही संरक्षण चाहता हूँ कि यदि अधिकारी दोषी है तो उसको सजा मिले इससे आगे आने वाले समय में जितने भी बिहार के प्रखंड हैं, उनमें कम से कम अधिकारियों को सही दिशा-निर्देश मिलने से लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, निर्देश दे दिया जाय आसन से ।

अध्यक्ष : आसन को आप निर्देशित करिएगा तब आसन बोलेगा, ऐसे होगा ?
ठीक है, वे देख लेते हैं ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, पूरे बिहार का मामला है । अगर मंत्री जी चाहें तो एक सर्कुलर जारी कर दें कि तमाम प्रखंडों में नियमानुसार इसका गठन हो जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, देख लीजिए । पूरे बिहार का मामला है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, मंत्री : महोदय, जाँच का रिपोर्ट तो आने दीजिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, हमने तो आग्रह किया है....

अध्यक्ष : आपके आग्रह को स्वीकार करके कह दिया गया ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

(व्यवधान)

वे पढ़ रहे हैं । धैर्य रखिए । धैर्य क्यों खो रहे हैं ? पढ़िए ।

श्री जनक राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा-111 के तहत "THE BIHAR WAQF RULES, 2020" की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का जल संसाधन विभाग से संबंधित 284वाँ प्रतिवेदन, ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 288वाँ प्रतिवेदन, 290वाँ एवं 293वाँ प्रतिवेदन, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 289वाँ एवं 291वाँ प्रतिवेदन तथा श्रम संसाधन विभाग से संबंधित 297वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन में पूछे गए प्रश्नों में खान एवं भूतत्व विभाग से 100 प्रतिशत जवाब आया है, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग से 100 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से 100 प्रतिशत, समाज कल्याण

विभाग से 50 प्रतिशत, शिक्षा विभाग से 66 प्रतिशत, परिवहन विभाग से 100 प्रतिशत, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से 100 प्रतिशत, कला,संस्कृति एवं युवा विभाग से 100 प्रतिशत, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से 100 प्रतिशत जवाब आया है ।

अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(अन्तराल)

टर्न–12/आजाद/02.03.2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जल संसाधन विभाग की अनुदान की मांग पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल	–	56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	–	55 मिनट
जनता दल युनाइटेड	–	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	–	14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	–	09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस–ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन	–	04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	–	03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	–	03 मिनट
सी0पी0आई0एम0	–	01 मिनट
सी0पी0आई0	–	01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	–	01 मिनट

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री संजय कुमार झा,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ....

'' जल संसाधन विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 40,74,38,16,000/–(चालीस अरब चौहत्तर करोड़ अड़तीस लाख सोलह हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अखतरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श

कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटायी जाय । ''

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग की ओर से जल संसाधन विभाग साथ में गिलोटीन में पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एवं खनन एवं भूतत्व विभाग शामिल है ।

महोदय, जल संसाधन विभाग के मांग पर कटौती प्रस्ताव मैंने इसलिए रखा है कि इसपर व्यापक विचार करने की जरूरत है, इसके औचित्य पर भी विचार करने की जरूरत है । पिछले वर्ष सिंचाई विभाग को जो राशि दी गई थी, यह फरवरी खत्म है, मार्च महीना केवल बाकी है, व्यय इस अनुपात में अब वर्ष के अंतिम माह बचे हुए हैं और माननीय मंत्री श्री संजय झा जी को खर्च करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए मैं कटौती प्रस्ताव लाया हूँ ।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज दो महत्वपूर्ण प्रंखड है महाराजगंज और भगवानपुर हाट । भगवानपुर हाट 20 पंचायतों का प्रखंड है और 16 पंचायतों का प्रखंड है महाराजगंज । महोदय, इसमें बहुत बड़ा भू-भाग 7000 से लेकर 8000 एकड़ तक भूमि वाटरलॉगिंग की परेशानी से जूझ रहा है वर्षों-वर्ष से महोदय। 1919 में इसका सर्वे हुआ था .....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : दूबे जी, आवाज क्यों भारी लग रही है ?

श्री विजय शंकर दूबे : थोड़ा सर्दी हो गया है । आप मेरा ध्यान रखते हैं, धन्यवाद ।

महोदय, 1919 के सर्वे में जल निकासी की व्यवस्था जो अंग्रेजों द्वारा की गई थी, वह बड़ा ही परफेक्ट था । जल निकासी उससे हो जाती थी । सबसे बड़ा बाढ़ का प्रकोप उस इलाके में 1952 में आया था । माननीय जनता का कहना है कि मैं उस इलाके का व्यापक दौरा किया था । वहां के इलाके के लोगों का कहना है कि 1952 में इतनी वाटरलॉगिंग हुई थी, जल निकासी पहले हो गई लेकिन इस बार वाटरलॉगिंग का महोदय जल निकासी अभी तक नहीं हुई । 7000 से 8000 एकड़ जिसमें सवा लाख से लेकर डेढ़ लाख की आबादी किसानों की है, उनके रब्बी के फसल की बोआई आज भी नहीं हो पायी है । राज्य के माननीय मुख्यमंत्री 2019 में वहां दौरा किये थे । जल निकासी का आलम यह है कि महाराजगंज, बनियापुर और मशरख, तरैया यह सारे इलाके इससे प्रभावित होते थे और उसी के जंक्शन पर माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकोप्टर उतरा था । जल जमाव को देखकर के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम मछली पालन का हब बनायेंगे। लोगों ने पूछा कि कब बनायेंगे, तिथि एकचुअल नहीं

दिया, उन्होंने कहा कि जल्दी बनायेंगे, ये लोगों का बताना था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर गये थे । इतनी बातें कहे हैं, वह रेकोर्ड पर है । लेकिन महोदय आज तक वहां कोई काम नहीं हुआ । इसीलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि उस इलाके का आप व्यापक दौरा करें । आखिर राज्य के डेढ़ लाख किसानों को ऐसे ही रोते-बिलखते नहीं छोड़ा जा सकता और इसका दौरा करके जल निकासी की योजना बनायें । जल की निकासी हो, वहां पर बड़ी उपजाऊ भूमि है लेकिन एक फसल पैदा होता है । इसीलिए मैं मांग करता हूँ माननीय मंत्री से कि जब भी फुर्सत हो, आप इरीगेशन के अधिकारी-पदाधिकारियों को समय देकर के और उसके पहले वो तीनों चॅवर जो हैं, प्रमुख तीन चॅवर हैं । महोदय, 20 पंचायत इसमें इनवॉल्व है जिसमें 12 पंचायतों महम्मदपुर, सोंधानी, बनसोही खेड़वा, महम्मदा, सराय पड़ोली, बिठुना, मोरा खास, शंकरपुर, बलहा एराजी, मिरजुमला और गोपालपुर प्रमुख हैं । इन सारे इलाके में माननीय मंत्री जी दौरा करें, यह सब ऑनरोड है, एन0एच0 पर है । इन इलाकों का दौरा करके माननीय मंत्री जी योजना बनायें, यह मैं आपके माध्यम से महोदय सरकार से यह मांग करता हूँ । महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे ज्यादा बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है लेकिन .....

अध्यक्ष : इसलिए अब संक्षिप्त कर लें ।

श्री विजय शंकर दूबे : नहीं महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यह मैंने लिखित भी तैयार कर दिया है । वह मैं सदन पटल पर रख देता हूँ वो प्रोसीडिंग्स का पार्ट कृपया बनवा दें ।

अध्यक्ष : जो विषय आप बोल चुके हैं, वह रख देंगे ।

श्री विजय शंकर दूबे : इस विषय पर महोदय ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुधाकर सिंह ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, अभी तो हमारी बात खतम नहीं हुई, एक-दो मिनट और ।

अध्यक्ष : आपका समय फिर आगे के वक्ता से कटेगा । सात मिनट का समय हो गया ।

श्री विजय शंकर दूबे : दो मिनट महोदय । इसमें ....

अध्यक्ष : ठीक है, अब अगला वक्ता से कट जायेगा ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, इसमें सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग शामिल है, इसीलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन चल रहा है इनटायर ऑपोजिशन और ऑपोजिशन के माननीय सदस्यों का, रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्यों का छपने का अधिकार है । केवल सरकार को ही छपने का अधिकार नहीं है, वो अधिकार हमें भी प्राप्त है । इनको भी प्राप्त है । कल राज्य के कृषि प्रधान प्रदेश में एग्रीकल्चर का डिमांड था, एग्रीकल्चर पर डिवेट हुए

..... क्रमशः .....

टर्न-13/शंभु/02.03.21

श्री विजय शंकर दूबे : क्रमशः महोदय, कट मोशन मेरा था आसन से नाम पुकारा गया और आसन के परमिशन से मैंने निवेदन किया । अखबार में यहां तक महोदय, आश्चर्य तब है कि इस राज्य का लीडिंग अखबार, अखबारों के नेता हिन्दुस्तान में नाम तक नहीं लिया गया कि कट मोशन आया कि नहीं आया राज्य सरकार ऐसे ही प्रस्ताव खारिज कर ली यह दुखद विषय है । इसीलिए महोदय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है । ये मैं निवेदन करता हूँ किसी भी पत्रकार को उनकी भावना को आहत करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों उनको छपने का बराबर संवैधानिक अधिकार है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करें, बैठ जाएं ।

श्री विजय शंकर दूबे : इसलिए महोदय, आपको आसन को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री सुधाकर सिंह ।

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, पहली बार बिहार विधान सभा में चुनकर मैं आया हूँ रामगढ़ से, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और जिन लोगों ने चुनकर मुझे भेजा उनको धन्यवाद देता हूँ । जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में आज खड़ा हूँ । मैं जनरल बजट विस्तार से देख रहा था 2019-20 जो सत्र बीता है उसमें सिंचाई परियोजनाओं के सृजन के लिए 380 करोड़ मात्र खर्च हुआ । मुझे आश्चर्य हुआ कि 380 करोड़ से ज्यादा हुआ होगा, आप इसको देखवा लें, चूंकि आप मांग रहे हैं 4 हजार करोड़ ।

अध्यक्ष : माइक पर बोलिये ।

श्री सुधाकर सिंह : जी । आप इस बात को देखवा लें दुबारा कि 4 हजार करोड़.....

अध्यक्ष : इसको निकालेंगे तो और फ्री होकर बोलेंगे ।

श्री सुधाकर सिंह : महोदय, 4 हजार करोड़ रूपये आप मांग रहे हैं इस साल खर्च के लिए और 2019-20 में मात्र बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर 380 करोड़ रूपये खर्च करते हैं । आप 2020-21 में 1724 करोड़ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मांगा था बजट में, आपके विभाग के द्वारा आश्चर्यजनक रूप से 456 करोड़ रूपये और अतिरिक्त मांगा गया, आपका बजट 2180 करोड़ रूपया सिंचाई पर- मैं बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को छोड़कर बात करता हूँ । इस साल जब 2180 करोड़ रूपये खर्च करने की आपकी क्षमता है । बिहार का बजट घटा नहीं है फिर भी इस साल आप मात्र 1740 करोड़ रूपये सिंचाई परियोजनाओं के लिए मांगा है । यह तीन सालों का आपका जो अंतर है कहीं न

कहीं विभाग के स्तर पर योजनाओं के चयन में जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वह ठीक से उसमें समेकित रूप से विभाग प्रयास नहीं कर रहा है । मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ कि सिंचाई विभाग कृषि रोड मैप के जरिए चूंकि कृषि रोड मैप जो बना था द्वितीय 2012-17 और अभी जो हमारा तृतीय कृषि रोड मैप चल रहा है 2017-22 इसमें कृषि विभाग का इसमें सिंचाई विभाग का लक्ष्य रखा गया था कि हम साढ़े 11 लाख हे0 पूरे बिहार में नये सिंचाई सृजन की क्षमता का निर्माण करेंगे और जो बजट आपने मांगा इस सदन के माध्यम से उसको बजट ही उपलब्ध कराया गया कई विभाग को लेकिन आश्चर्यजनक है कि जो द्वितीय कृषि रोड मैप 2012-17 समाप्त हुआ 11 लाख 56 हजार हे0 के मुकाबले मात्र 77 हजार हे0 का आप नया सृजन करते हैं, अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाय तो साढ़े 6 फीसदी उपलब्धि आपकी रही है । आज भी कोई परीक्षा में बैठता है तो 40-45 परसेंट से नीचे तो उसको पास मार्क्स मिलता नहीं है तो साढ़े 6 परसेंट उपलब्धि पर आपकी सरकार को कैसे हमलोग पास करें यह तो विधान सभा के विवेक पर है । इतना ही नहीं जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जब छात्र राजनीति से निकलकर के चुनावी राजनीति में शामिल हो रहे थे, करीब 45 साल एक लंबा वक्त होता है । उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1975 के आसपास मोकामा टाल-मोकामा बड़हिया टाल जिसको बोलते हैं । मोकामा बड़हिया टाल की समस्या को समाप्त करने की राजनीति करते हुए विधान सभा, लोक सभा, केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, विधान परिषद् तमाम पदों को सुशोभित किया । मोकामा टाल समस्या उनके व्यक्तित्व को इतना बड़ा टौल बनाया, इतना बड़ा उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया, लेकिन जो मोकामा टाल की समस्या है आज भी उतना ही टौल वह समस्या बनी हुई है । 1972 में 1 लाख 6 हजर हे0 डूब का क्षेत्र है जिसमें नालन्दा, पटना, शेखपुरा, नवादा पांच जो जिला हमारा फैला हुआ बाढ़ बड़हिया का जिसको टाल कहते हैं । लंबे प्रयास के बाद भी इतना बड़ा पद मुख्यमंत्री जी को मिला, सरकार 15 साल से चला रहे हैं । इससे पहले भी वे केन्द्र में कृषि मंत्री के रूप में रहे, लेकिन 1 हजार हे0 भी जल जमाव से मुक्त नहीं हुआ इससे बड़ा आश्चर्य नहीं हो सकता । बीच-बीच में चर्चा होती है कि 4600 करोड़ रूपये से हमलोग बाढ़ बड़हिया टाल की समस्या को समाप्त करेंगे । फिर उसमें पुनरीक्षित कोई बात होती है कि उसमें 1900 करोड़ रूपये लगेंगे । मुझे याद है कि लोक सभा चुनाव के पूर्व, 2019 का जो लोक सभा चुनाव था तो माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी सभा हुई थी उस इलाके मोकामा में जिसमें नितिन गडकरी जी तत्कालीन जल संसाधन मंत्री भी थे, पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के कहने पर चर्चा किया था कि यह कौन सी ऐसी समस्या है जो सुलझ नहीं रही है । उस समय के तत्कालीन मंत्री ने कहा था कि डी0पी0आर0 बनवाकर भेजे बिहार सरकार इस समस्या को दूर करने का मैं काम

करूँगा । पिछले दो साल बीत गये डी0पी0आर0 कहां है यह किसी को पता नहीं है । लेकिन वह बाढ़ बड़हिया टाल के इलाके का विस्तार हुआ है । मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ इसकी जॉच करा ली जाय । मोर, कन्हाइपुर, सुल्तानपुर टाल, मरांची, औंटा टाल, चिंतामणिचक ये प्रखंड मोकामा और घोसवरी का जो इलाका है वहां नये जल जमाव पैदा हुए हैं । हमको तो आशा थी कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में टाल की समस्या समाप्त होगी । राजनीति में उनको जहां जाना चाहिए शायद सर्वोच्च स्तर पर हैं, प्रधानमंत्री बनें हमारी इच्छा है, बिहार का विकास होगा, लेकिन वह समय बतायेगा । इन तमाम सवालों को लेकर के जब हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं तो आपने क्या प्रावधान किया है उस समस्या के समाधान के लिए हमलोगों को पता नहीं है क्योंकि जो उपलब्धि है वह शून्य है । अगर मान लीजिए पैसे आपको चाहिए तो पैसे की कोई कमी नहीं है जैसा सरकार कह रही है, 2 लाख करोड़ का बहुत बड़ा बजट होता है । 1 लाख 6 हजार हे0 का जल जमाव कोई बड़ी समस्या नहीं है उसके लिए क्या सरकारों ने प्रयास किया यह मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब लालू प्रसाद जी की सरकार थी तो उस योजना की समस्या के समाधान के लिए गंगा में कई जगह कट प्वाइंट बनाये गये थे, लेकिन कट प्वाइंट जो बने उसका जो विस्तार होना चाहिए था वह बाद के कालखंडों में केवल कागजी ही साबित हुआ । सिंचाई विभाग की जल प्रबंधन का जो सवाल है उसपर हमारी पार्टी के सदस्य बोलेंगे । मैं मुख्यत: जो सिंचाई परियोजनाओं पर है उसपर ही फोकस करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह जो सरकार है यह जो 16 सालों से किसी एक योजना का नाम बताने का काम करे जो वर्तमान सरकार ने शुरू किया हो और सौ फीसदी पूरी हो गयी हो, कोई एक योजना ।

क्रमश:

टर्न-14/ज्योति/02-03-21

क्रमश:

श्री सुधाकर सिंह : यहॉ तक कि पहले से पूर्व से जो योजनाएं चल रही है, कोई एक योजना का नाम जो पहले से चल रही हों उसको सौ फी सदी सरकार ने पूरा करने का काम किया हो । मैं पिछली बार का बजट भाषण पढ़ रहा था, 15 साल बनाम 15 साल की बात की चर्चा थी, उस चर्चा में उपलब्धियों की चर्चा नहीं थी । खर्चे की चर्चा थी कि तब 34 सौ करोड़ रुपया 15 सालों में खर्च हुआ और हमारी सरकार ने 15 सालों में 22 हजार करोड़ रुपये खर्च की । यह सुनने में अच्छा लगा लेकिन किसी बजट का जो पेश होता है तो उस बजट का तीन हिस्सा होता है जेनरल बजट और दूसरा होता है जेंडर बजट और तीसरा होता है रिजल्ट बजट । अब इसमे जेंडर बजट की इसलिए मैं

चर्चा नहीं कर रहा हूॅ क्योंकि सिंचाई एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसानों के खेत का पटवन होता है इसलिए स्त्री–पुरुष का बंटवारा इसमें महत्व नहीं रखता है क्योंकि दोनों ही समान रुप से लाभान्वित होते हैं । लेकिन जब हम परिणाम बजट की बात करते हैं तो 1990 से पहले इस बिहार में कितना पटवन होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा को देखा और जब हमलोगों ने पढ़ा तो यहॉ सिंचाई विभाग का मुख्य काम सिंचाई की क्षमता का सृजन था । बजट इसीलिए इशु होता था लेकिन उससे पटवन कितना हुआ इसपर कभी चर्चा नहीं होती थी इसीलिए उस सरकार ने तय किया था 15 साल की सरकार जो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की सरकार थी, उन्होंने तय किया कि हम जो पैसा लगायेंगे उसका हमको परिणाम चाहिए और जब आकलन हुआ तो उस समय काल्पनिक सवाल 30 लाख, 27 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ और तत्कालीन सरकार ने अध्ययन किया तो 12 लाख हेक्टेयर का पटवन होता था वास्तविक रुप से तो इसको ब्रोलते हैं हमलोग वाटर डिपोजिट तो हम जब वाटर डिपोजिट से जब लेते हैं पानी, हम जो रेगुलर जहॉ से डिस्चार्ज होता है जिस प्वायंट से हम जो पानी डिस्चार्ज करते हैं और टेल एंड तक न पानी पहुंचे तो उस पानी को हमलोग पटवन नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहिए और उसका सही आकलन कैसे है ? आप जब पानी का कहते हैं कि हमने इतना क्यूसेक पानी खेतों की तरफ भेजा और खेतों में नहीं पहुंचा उसका आकलन करने का विभाग के पास एक ही मिकैनिज्म है कि कितना रेवेन्यू कलेक्शंस हुआ तो जब रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए अमीन जाता है खेतों पर और देखता है कि कितना पटवन हुआ तो उसी को वास्तविक आकलन का आधार सिंचाई विभाग मानता रहा पिछले 15 सालों में तब 12 लाख हेक्टेयर से जब सरकार ने प्रयास किया तो कम संसाधनों में 18 लाख हेक्टेयर तक पटवन सुनिश्चित करने का काम किया था और आज जब हम देखते हैं परिणाम बजट की तरफ तो आज परिणाम बजट पेश नहीं हुआ है लेकिन जब आपके जो भाषण है पिछले साल का उसको जब मैं देखता हूॅ तो बिहार में वास्तविक रुप से पटवन जिसको आप स्वीकार करते हैं मात्र 19 लाख हेक्टेयर तो 16 साल में मात्र एक लाख हेक्टेयर जिसको मैं नहीं मानता क्योंकि जो अभी की सरकार है वर्तमान सरकार वह कभी भी अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया कि हमको रेवेन्यू कितना आया ? कितना लाख हेक्टेयर का रेवेन्यू राज्य सरकार के खजाने में जमा हुआ । बहुत छोटी रकम होती है सरकार के लिए और वह बहुत महत्व नहीं रखता । करीब 25–30 करोड़ की छोटी रकम होती है, वह सरकार के लिए बड़ी रकम नहीं है किसानों के लिए भी कोई बड़ी रकम नहीं है लेकिन जब जाता है सरकार का पदाधिकारी और कर्मचारी और किसान से संवाद करता है तब पता चलता है कि वह पानी छोड़ा था 1 लाख हेक्टेयर के लिए

और पटवन हुआ कितना ? 60 हजार हेक्टेयर यही उसका माप करने का तरीका होता है तो जो 19 लाख हेक्टेयर पर राज्य सरकार का जल संसाधन विभाग कह रहा है कि मेरा पटवन तो आखिर 22 हजार करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती । 22 हजार करोड़ रकम खर्च करने के बाद बिहार में मात्र 1 लाख हेक्टेयर नये पटवन की व्यवस्था हुई है इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता । सिंचाई के लिए पूरे बिहार में तीन हमलोग मानते हैं बड़ी बेसीन योजना जिसको हम लोग बोलते हैं नदी बेसीन योजना जो एक हमारा कोशी नदी बेसीन योजना है, दूसरा गण्डक बेसीन योजना है तीसरा सोन बेसीन योजना है । पानी तो सबसे ज्यादा गंगा में है जरुर लेकिन हमलोगों ने गंगा का पानी का इस्तेमाल आज तक बिहार के भीतर नहीं कर पाए एक लंबी कहानी है लेकिन मैं आता हूँ आपके सोन प्रणाली पर जो पूरे बिहार में जो सिंचाई का पटवन है तकरीबन 40 प्रतिशत जो पटवन जो सुनिश्चित होता है वह सोन नहर प्रणाली से होता है बिहार का करीब 7 लाख हेक्टेयर के आस पास और बिहार के खाद्यान्न के जो उत्पादन हैं जो बिहार को हंगर स्टेट जो ग्लोबल हंगर इण्डेक्स है उसमें बिहार को इज्जत बचाने वाला जो एरिया है वह हमारी सोन की नहर प्रणाली जिसमें 40 प्रतिशत पूरे बिहार में जो पटवन होता है अकेले 40 प्रतिशत पटवन करती है और खाद्यान्न जो पैदा होता है बिहार के भीतर वह करीब 50 परसेंट खाद्यान्न का योगदान करता है अकेले जो सोन का जो इलाका है लेकिन जब उसमें बजट की बात करते हैं तो सबसे कम बजट का प्रावधान है । मैं बताना चाहता हूँ यह जो सोन नहर प्रणाली को बचाने में राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी महती भूमिका का इस्तेमाल किया था जब वाणसागर समझौता हो रहा था, इस देश के भीतर कई अन्तर्राज्यीय समझौते थे उस समझौते में बिहार के साथ नाइंसाफी हुआ था फिर भी उस नाइंसाफी के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन 7.7 लाख एकड़ फीट पानी हमको समझौते में मिला जिसमें हमको वाणसागर से 7.5 लाख एकड़ पानी और .2 लाख एकड़ पानी हमको गंगा से मिलना था जिसको उत्तर प्रदेश से उठाना था हमको वह आज तक .2 लाख एकड़ फीट का तो हिसाब छोड़ दीजिये । उस समय गुरवत में बिहार की सरकार थी , संसाधनों की कमी थी । केवल बिहार के साथ ही नहीं उस समय उत्तर भारत के जितने राज्य थे उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे । आर्थिक उदारीकरण का दौर 92 के पास, राज्य सरकारों के पास पैसे की आमदनी बढ़ी थी उस दौर में भारत सरकार ने ..

अध्यक्ष : संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री सुधाकर सिंह : कुछ समय दिया जाय पार्टी सहमत है कुछ बढ़ा दिया जाय पार्टी अपना समय कम कर लेगी । उसमें बिहार सरकार ने ...

अध्यक्ष : जितना समय पार्टी दिया है वह पूर्ण होने जा रहा है ।

श्री सुधाकर सिंह : वह बढ़ा दिया जाय सर ।

अध्यक्ष : किनका समय कम किया जाय ?

श्री सुधाकर सिंह : वाणसागर परियोजना को, बिहार सरकार गुरवत में भी, एक मुश्त रकम देकर वाणसागर को बनवाने का प्रयास किया जिसका परिणाम है कि सोन नहर प्रणाली आज भी 80 से 90 फीसदी पर आज भी काम करने में कामयाब है और बिहार के टोट्ल सिंचाई का करीब करीब 40 प्रतिशत वह पटवन करती है आज उसी सोन का आधुनिकीकरण हुआ था उसी जमाने में और सोन का आधुनिकीकरण- यह सोन नहर कोई आसानी से नहीं मिला । वह 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, वीर कुवॅर सिंह के नेतृत्व में बड़ी लड़ाई लड़ी गयी थी तो अंग्रेजों द्वारा अध्ययन हुआ कि इस इलाके के लोग बहुत मेहनती है लेकिन बंजर जमीन के चलते ये लोग बड़े लड़ाके प्रवृति के हैं इसीलिए उस समय के अंग्रेजों की सरकार ने इस परियोजना को देने का काम किया था और वह मुख्यत: बनी थी रबी फसल के लिए बाद में जब राष्ट्रीय जनता दल 1990 में, 100 साल के बाद जबकि वह रबी की फसल के लिए पटवन के लिए यूज होता था लेकिन 1990 में जब सरकार बनी तो सोन संघर्ष समिति के आन्दोलन का प्रभाव था कि उसको खरीफ पटवन के लिए भी उस नहर प्रणाली को उसकी क्षमता को, पूरा करने का प्रयास सरकार ने किया और इसके लिए बड़ी रकम उन्होंने दिया था लेकिन उसमं से एक छोटा सा काम 2004 में रह गया था । उसमें पैरेलल कैनाल बनाना था डिहरी में जिससे कि पानी की क्षमता को दोगुना ज्यादा किया जा सके लेकिन यह एन.डी.ए. की सरकार 12 साल तक कान में तेल डालकर सोयी रही । 12 साल के बाद मात्र 5 प्रतिशत सोन आधुनिकीकरण का काम जो था उसको देर से करने का काम हुआ । परिणाम क्या हुआ कि जो हमारी जो हमारी कैनाल सिस्टम है पूरा सोन का वह जर्जर स्थिति में पहुंच गयी जो आधुनिकीकरण हुआ था स्वाभाविक है मिट्टी का क्षरण होता है । कोई भी आप रिमौडलिंग करते हैं तो उसका 15 से 20 साल से ज्यादा लाईफ नहीं होता । उस इलाके में फिर भी आज भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूॅ। इस सरकार को देर से ही सही लेकिन वह जागी लेकिन आज भी वह पैरेलल चैनल हन्ड्रेड परसेंट कंपलीट नहीं हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि थोड़ा सा जो भी पैसा लगे उसको पूरा कराने का काम करेंगे। सोन बेसिन का एक पार्ट है कर्मनाशा नहर प्रणाली जो मेरे इलाके से गुजरती है उसपर दो पुराने पम्प हाउस लगाए गए थे, 1998 में लरमा पंप और 2004 में विश्वकर्मा पंप लेकिन कोई भी जो तकनीकी विशेषज्ञ जानते हैं कि किसी भी पम्प का मोटर का लाईफ 10 साल से 12 साल से ज्यादा नहीं है लेकिन पम्प हाउस 22-23 साल पुराने हो चुके हैं

और अगर सरकार उसको पुनः मेंटेन करने के लिए नये मोटर को इंसटौल नहीं करेगी तो वह परियोजना फिर डेथ कर जायेगी । हमारे बिहार में यही सबसे बड़ी चुनौती है हम तो योजना तो बनाते हैं लेकिन कोई मेंटीनेंस पॉलिसी नहीं होने के कारण वह कभी भी उच्चतम क्षमता पर काम नहीं करती । इसके लिए विशेष उपाय करने होंगे । मैं देख रहा हूँ कि इसमें 150 करोड़ रुपये केवल इसमें खर्च कर रहे हैं मेंटीनेंस पर जो हमारी पुरानी परियोजनाएं हैं यह 150 करोड़ बहुत ही कम हैं । आप नयी योजनाओं पर पैसे लगातार बढ़ा रहे हैं हम तो सरकार को सलाह देंगे नयी परियोजना पर कम व्यय कीजिये पुरानी जो परियोजनाएं हैं उसको मेंटेन करने का काम करेंगे ।

क्रमशः

टर्न–15/पुलकित/अभिनीत/02.03.2021

श्री सुधाकर सिंह (क्रमशः): इसी क्रम में हम बताना चाहते हैं, दूसरी बड़ी परियोजना है गंडक परियोजना जिसमें दो कैनाल हैं तिरहुत और सारण । तिरहुत कैनाल का जो सिस्टम था, जब बना था उसके हिसाब से उसको मुजफ्फरपुर से बढ़कर वैशाली तक आना था लेकिन आजतक कोई परियोजना मुजफ्फरपुर से आगे नहीं बढ़ सकी है । 16 साल से डबल इंजन की सरकार है, हमलोगों को लगा था कि जरूर आगे बढ़ेगी । गंडक परियोजना का निर्माण 8 लाख हेक्टेयर तक के लिए हुआ था और अधिकतम चार, साढ़े चार लाख हेक्टयर तक उससे पटवन हुआ है । आज वास्तविक रूप से देखते हैं तो दो लाख हेक्टयर से कम पटवन, हमलोग कई सालों से देख रहे हैं । इसका कारण यह है कि इसकी प्रोपर मरम्मति जो होनी चाहिये उस मरम्मती का प्रावधान नहीं किया जा रहा है । हमारा कोसी जो बेसिन है, जो 1985 की बाढ़ में ध्वस्त हो गया था, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार जब 1990 में आई चार साल, 1994 तक उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया और उस परियोजना से चार लाख हेक्टेयर तक पटवन करने का काम हुआ था ।

आज जब बाढ़, हमारे आदरणीय विद्वान मंत्री बैठे हुए हैं, 2007 में जो कुसहा का तटबंध टूटा वह सब जानते हैं, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ । 2007 के बाद से 2 लाख हेक्टेयर से भी कम पटवन रह गया है जो कभी 4 लाख हेक्टेयर पटवन करता था । बिहार सरकार ने इसमें काफी पैसा भी लगाया लेकिन आज तक योजना, आज भी चार लाख, जो पुरानी क्षमता होनी चाहिये थी आठ लाख वह नहीं हुई । वेस्टर्न कैनाल पर बनने वाला जो हमारा साइफन था वह आजतक नहीं बन पाया है जिसके कारण इसका अधिकतम उपयोग हमलोग नहीं कर पा रहे हैं । गंगा का जो सवाल है हमारे सामने, किसी जमाने में भारत की सरकार और देश के लोगों ने माना था कि बिहार सरप्लस वाटर एरिया है, वह एक काल्पनिक सवाल था, एक काल्पनिक आकलन था,

जिसके आधार पर बिहार सरकार ने बहुत लड़ा कि हमारे पास कोई सरप्लस नहीं है । एक जमाने में आया कि गंगा और कावेरी का हमारा लिंक बनेगा और वह गंगा-कावेरी का लिंक हरिद्वार से कावेरी नहीं जुड़ेगी, वह लिंक पटना से कावेरी बनेगा जिसका बिहार सरकार ने विरोध किया और इस योजना को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया था तब बिहार सरकार, तत्कालीन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने द्वितीय सिंचाई आयोग बनाने का काम किया था कि बिहार के पास सरप्लस वाटर है या डेफिसिट स्टेट है और उस आकलन के आधार पर 8 वॉल्यूम में एक मोटी किताब और उस द्वितीय सिंचाई आयोग के सदस्य थे हमारे आदरणीय वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिनके हस्ताक्षर से 8 वाल्युम की जो किताब है वह देश ही नहीं दुनिया के लिए वह मानक रिपोर्ट है । इसमें पता चला कि पानी के मामले में हम डेफिसिट स्टेट हैं, हम सरप्लस स्टेट नहीं हैं । उसी काल में सरकारों ने तय किया कि हम पानी की एक बूंद भी बिहार से दूसरे राज्य को देने का काम नहीं करेंगे लेकिन हम गंगा से पानी उठाने में नाकामयाब रहें । एक चौसा में छोटा पम्प है और एक भागलपुर में बटेश्वर पंप योजना है, जिसको आपके द्वारा शुरू करते ही टूट गया था, आप जानते ही हैं लेकिन केवल मैं कह रहा हूँ कि गंगा का डिसिल्टेशन कर दें । किसी जमाने में डच कारोबारी, ब्रिटिश कारोबारी इसी गंगा के माध्यम से नौ परिवहन के जरिए बिहार में अपना कारोबार करते थे । पानी का उपयोग केवल खेतों में सिंचाई के लिए नहीं होता, जब कि पानी के कई उपयोग हैं, पीने से लेकर के, जानवरों के पीने से लेकर के, इंसानों के पीने से लेकर के, खेतीबाड़ी से लेकर के नौ परिवहन तक है । गंगा का अगर आप डिसिल्टेशन करते हैं और कोसी का डिसिल्टेशन करते हैं...

अध्यक्ष: अब समाप्त करें ।

श्री सुधाकर सिंह: महोदय, बस दो मिनट में समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष: वह दो मिनट भी आपका घटेगा ।

श्री सुधाकर सिंह: केवल इतना ही नहीं मैंने जो कहा था, चर्चा की थी कि सरकार कोई एक योजना बता दे, किसी पुरानी योजना को शत-प्रतिशत पूरा कर दिया हो तो मंत्रीजी अपने जवाब में जरूर इसका उल्लेख करेंगे । उत्तरी कोयल की जो हमारी परियोजना है, जिस पर आजतक गेट नहीं लगा है । प्रधानमंत्रीजी ने चुनाव के दौरान वहां जाकर आश्वासन दिया था कि हम इस परियोजना को चालू करेंगे । मुहम्मदगंज में जो बैराज है नीचे, जिससे वहां अधिकतम पटवन होता है, इसका हम इसलिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्तरी कोयल में बना हुआ जो डैम है उसमें केवल गेट लगाना है जो आजतक नहीं लग पाया है । एक साधारण बात है, दुर्गावती जलाश्य परियोजना जो केवल 5 प्रतिशत काम के लिए रूकी हुई थी, वह इस एन0डी0ए0 की सरकार में जिसे 16 साल हो गये,

आज भी 5 प्रतिशत जो काम बचा हुआ था आज तक पूरा नहीं हुआ है । इसका परिणाम यह निकला कि उस इलाके की जो नहरें हैं, जो परियोजना पूरी होने से पहले ही टूट गई है, कई ऐसे सवाल हैं, समय हमारी पार्टी की तरफ से जो निर्धारित था, हम इतना ही उपयोग कर पाये, फिर भविष्य में कभी अवसर मिला तो अपनी बात को रखेंगे । धन्यवाद।

अध्यक्ष: श्री विद्या सागर केशरी, आपका 8 मिनट का समय है ।

श्री विद्या सागर केशरी: महोदय, आज जल संसाधन विभाग के द्वारा लाये गये अनुदान मांग, जिसकी राशि 40,74,38,16,000/- (चालीस अरब चौहत्तर करोड़ अड़तीस लाख सोलह हजार) रूपये हैं, इसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, आपने जो बोलने का मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, साथ ही मैं अपने इस प्रदेश के मुखिया और इस राज्य के उप मुख्यमंत्री जिनके कुशल वित्तीय प्रबंधन के द्वारा आज जो बजट लाया गया है, वह बहुत ही सराहनीय बजट आज सदन के समक्ष पेश किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व में महासागर पृथ्वी को लगभग तीन-चौथाई भाग से घेरे हुए हैं । संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक पृथ्वी पर पानी की कुल मात्रा लगभग 1400 मिलियन घन किलोमीटर है जिससे पृथ्वी पर पानी की तीन हजार मीटर मोटी परत बिछ सकती है । अध्यक्ष महोदय, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में से मीठा जल लगभग 2.7 प्रतिशत है, जबकि इसमें लगभग 75.2 प्रतिशत जल ध्रुवीय प्रदेशों में हिम के रूप में विद्यमान है तथा 22.6 प्रतिशत जल भू जल के रूप में विद्यमान है । शेष जल झीलों, नदियों, वायुमंडल, नमी, मृदा और वनस्पति में मौजूद है । अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन की महत्ता तब और बढ़ जाती है, जल की महत्ता तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसके बारे में मैं एक पंक्ति सुनाकर के आपको बताना चाहूंगा कि-

''भुवन-भास्कर क्रोध में उगले धूप की आग,
दिन सन्नाटे से सना, रात फुसकती नाग,
जल-जीवन अनमोल है, सृष्टि का परिधान,
अमृतमय हर बूंद है, श्रेष्ठ प्रकृति वरदान ।''

अध्यक्ष महोदय, इस धरा पर उपयोग और अन्य इस्तेमाल के लिए प्रभावी रूप से उपलब्ध जल की मात्रा बहुत थोड़ी है, जो नदियों, झीलों और भू-जल के रूप में उपलब्ध है । अधिकांश जल इस्तेमाल के रूप में उपलब्ध न होने और इसकी उपलब्धता में विषमता होने के कारण जल संसाधन विकास और प्रबंधन की आवश्यकता को समझते हुए जल के महत्व को पहचाना गया और इसके उपर्युक्त प्रयोग तथा बेहतर प्रबंधन पर अधिक जोर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, राज्य में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है, इसके बावजूद बाढ़ की समस्या खड़ी है । हमलोगों के सामने में, सिंचाई के लिए समय

से खेत पर पानी नहीं मिल पाता है । इन सभी समस्याओं के निदान के लिए राज्य सरकार ने महती महत्वाकांक्षी योजनाएं लाकर के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए एक अच्छा कदम उठाया है । अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की समस्याओं से निदान के लिए हमारे ही पूर्णिया प्रमंडल में महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज-2 के तहत...

(क्रमशः)

टर्न-16/हेमन्त-धिरेन्द्र/02.03.2021

....क्रमशः....

श्री विद्यासागर केशरी : राज्य सरकार ने सात अरब बयानवे करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी है, जो कोसी क्षेत्र के लोगों के लिए, खासकर इन चार जिलों अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन चारों जिलों के लिए एक वरदान साबित हुई है । अध्यक्ष महोदय, जब कुशा की बाढ़ आयी थी और कुशा का बांध टूटा था, उस समय की जो त्रासदी थी, उस त्रासदी का अगर ख्याल किया जाय तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र थे ये ही चार जिले थे । उन प्रभावित जिलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाकर उस क्षेत्र की जनता के लिए एक वरदान के रूप में महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना का कार्यक्रम दिया है, यह क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुआ है । अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में जलांतरण के लिए भी कई एक महत्वाकांक्षी योजनाएं बनायी गयी हैं, जिसमें नदियों को जोड़ने की योजना के तहत कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन में जलांतरण की एक महत्वाकांक्षी योजना 'कोसी मेची लिंक योजना' पर भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस दिनांक- 08.12.2020 को प्राप्त कर लिया गया है । इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल करने पर सहमति प्रदान कर ली गयी है ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति श्री अवध विहारी चौधरी ने आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर जी के बजटीय नेतृत्व के तहत और उनके भाषण की कई योजनाओं का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, जिन्हें 2021-22 के वित्तीय वर्ष में सम्पन्न किया जाना है । उन सभी योजनाओं में यथा गया के विष्णुपाद मंदिर के सामने फलगू नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित हेतु 266 करोड़ की योजना, जिसे 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जिसे आई0आई0टी0, रुड़की के इंजीनियर लोग संपादित कर रहे हैं । सभापति महोदय, बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत 548.13 करोड़ रु0 से तटबंध निर्माण हेतु प्राप्त स्वीकृति के आलोक में 2021-22 में कार्य प्रारंभ किया गया है । इसी संदर्भ में हमारे यहां जो क्षेत्रीय कुछ बाते हैं, उसके

संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा, चूंकि समय बहुत कम है । एक हमारे यहां हिमालय से कजरा नदी निकलती है । 1984 ई0 में कजरा बांध परियोजना बनायी गयी थी । जिसमें हरिपुर से तिरवाहा तक जो बांध है, 2017 की बाढ़ में पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया । महोदय, लाखों हेक्टेयर जमीन में किसानों ने अपने बीज और फसल को लगाया हुआ था, 2017 से आज तक उस बांध का निर्माण नहीं होने से काफी किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है । हम चाहेंगे अपने बिहार के मंत्री जी से कि इस काम को अमलीजामा पहनाकर उस क्षेत्र के किसान के दर्द को समझेंगे । सभापति महोदय, हमारे यहां बथनाहा से अररिया तक एक नहर जाती है जो एबीसी नहर के नाम से जाती है । उस नहर पर पिछली बार रोड का निर्माण कराया गया था, जो सड़क 12.4 फीट चौड़ाई के अंतराल में है । पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत, उसे हमने आग्रह करके विभाग को भेजा है । हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि एबीसी नहर जो बथनाहा से अररिया को जाती है, उस सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए अपना समर्थन दीजिये ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हो गया, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विद्यासागर केशरी : माननीय सभापति महोदय, हमारे ही विधानसभा क्षेत्र में कुछ छोटी-छोटी आवश्यकताएं हैं, उसमें मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । आजादी से पहले नहरों के दोनों किनारों पर बसावट कम हुआ करती थी और आज जब जनसंख्या की वृद्धि हुई, तब नहरों के दोनों किनारों पर काफी मात्रा में लोगों की बसावट हो गयी है और जो योजनाएं पहले, जो नहरों पर पुल निर्माण की बात हो रही थी, उसमें 2 किमी के रेडियस के उपरांत ही कहीं नहर पर पुल बनाना था ।

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें । आपका समय पूरा हो गया है ।

श्री विद्या सागर केशरी : सभापति महोदय, बस एक मिनट । कम-से-कम उन स्थानों पर जहां एक हजार की आबादी हो, वैसे सभी स्थानों पर जल संसाधन विभाग पुल का निर्माण कराये ताकि बहुत दूरी तय कर छात्र-छात्राओं को या किसानों को अपने खेत का माल या आवागमन करने में जो दिक्कतें आती हैं, उसका निदान हो ।

सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार ।

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद यादव जी ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, आज जो जल संसाधन विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है उसके विरोध में और कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ । महोदय, भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार दो भागों में बँट जाता है...

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आपका समय दस मिनट है ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, नहीं, मेरा पंद्रह मिनट समय है ।

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : नहीं, इसमें लिखा हुआ है । इसलिए, आप समय-सीमा के अंदर बोलें ।

श्री प्रहलाद यादव : ठीक है । अगर घट गया तो वह भी घट जाय, हम छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है । घट गया, कैसे घट गया ?

दो भागों में बँटा हुआ है । एक तो बाढ़ से तबाह होता है और दूसरा सुखाड़ से तबाह होता है और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हर खेत में पानी देना है । अब कैसे पानी देंगे, यह तो हम नहीं बता सकते हैं । यह स्थिति है एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सुखाड़, तो निश्चित रूप से बाढ़ का निदान आज तक नहीं हुआ है । बहुत ज्यादा इस पर बहस भी हुई है, बहुत तरह की बातें आयी हैं लेकिन बाढ़ का निदान नहीं हुआ । इसलिए, हम चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े तो निश्चित रूप से बाढ़ का निदान होना चाहिये और जो सुखाड़ का एरिया है दक्षिणी बिहार, उसके लिये भी सिंचाई की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिये । सबसे बड़ी बात है कि इस विभाग में हैंड की कमी है, पैसा तो ठीक है बजट में आ गया है, उस पैसे को खर्च करने के लिये इनके पास उतने हैंड नहीं हैं । एक-एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर कई एक क्षेत्रों को कवर करते हैं, ये खर्च कैसे करेंगे, खर्च करने के लिये तो हैंड होना चाहिये लेकिन इनके पास हैंड नहीं है । यह स्थिति है, तो निश्चित रूप से इस पर विचार करना होगा । मैं लखीसराय जिला के संबंध में बताना चाहता हूँ, वहां पर मुख्य रूप से तीन डैम हैं । एक मोरवे डैम है, दूसरा, बासकुंड डैम है और तीसरा, लोअर किऊल जलाशय योजना (एल0के0वी0)। तो एक दायां भाग कुंदर से बंदवचक्तता, उसका तो आर0सी0सी0 हो गया लेकिन उसको और बढ़ाना था, वह पूरा नहीं हुआ था । बासकुंड की जो स्थिति है, वह बहुत बड़ा डैम है, बहुत पुराना हो गया है लेकिन उस पर विभाग की कोई नजर नहीं है, इसलिए उस पर ध्यान दिया जाय और उस डैम से पक्का नाला निकाल कर, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसको वहां तक पहुँचाया जाय ।

(क्रमशः)

टर्न-17/सुरज-संगीता/02.03.2021

...क्रमशः...

श्री प्रहलाद यादव : और उस डैम से पक्का नाला निकालकर जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसको वहां तक पहुंचाया जाये । मोरवे डैम की भी वही स्थिति है । डैम बहुत बड़ा है और बहुत पुराना है लेकिन उसका आज तक जीर्णोद्धार सही ढंग से नहीं हुआ है, बहुत बड़ा एरिया है और उस डैम से जो नहर निकली है बहुत दूर तक कजरा होते, अरमा होते गया है लेकिन है

क्या वह कच्ची नहर है ? कच्ची नहर रहने के कारण जब पूर पानी उसमें फोर्स के साथ बहना शुरू होता है तो जहां-तहां टूट जाता है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि अगर सही में पानी देना चाहते हैं हर खेत में तो निश्चित रूप से उसको भी जिस तरह से कुंदर से बन्नु बगैइचा दियर तक आपने पक्कीकरण किया नहर को उसी तरह से इसको भी पक्कीकरण कीजिए लेकिन एल0के0भी0 का बायां भाग जो हल्सी रामगढ़ होते मोरमा तक जाता है वह अभी भी कच्ची है उसको भी हम चाहेंगे कि उसको भी पक्कीकरण किया जाय ताकि एक बार पक्कीकरण हो जाने के बाद बार-बार उसमें मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च नहीं होगा । बन जाने के बाद यह स्थिति वहां है जो मुख्य रूप से सिंचाई की व्यवस्था वहां पर है उसमें दिक्कत और क्या है जो मेन नहर से ब्रांच नाला निकाला है, छोटा-छोटा नाला निकला है जो खेत का पटवन करता है वह सारा का सारा एकदम ध्वस्त है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है जिसके कारण पानी अगर फूल आता है करेंट के साथ तो निश्चित रूप से वह पानी जो है बर्बाद हो जाता है फिर बहकर के वह पानी खेत में नहीं जाकर के कहीं-कहीं चला जाता है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये जो भी छोटा-छोटा मेन नहर से जो नाला निकला है उसका पक्कीकरण किया जाय और एक हमारे क्षेत्र में टाल है वह मुंगेर और सूर्यगढ़ा प्रखण्ड के बीच में, बहुत बड़ा टाल है और उसमें बहुत ज्यादा दलहन होता है जिस तरह से बड़हिया मोकामा उतना बड़ा तो नहीं है उससे थोड़ा छोटा है लेकिन उसमें दिक्कत क्या है जब भी वर्षा होगा तो पानी जमा हो जाएगा और पानी जमा हो जाने के बाद क्या होता है कि समय पर खेती नहीं हो पाता है क्योंकि पानी जमा होने पर निकलता ही नहीं इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि उस टाल में जो पानी जमा होता है उसका निकासी होना चाहिए । दूसरी बात है कि किऊल से सुरक्षा बांध गया है वह सूर्यगढ़ा होते मेदनीचौक से होते रसलपुर होते मुंगेर चला गया है और रसलपुर के बगल में और मुंगेर सीमा के बीच में वहां पर बांध नहीं है जिसके कारण हर साल जब भी बाढ़ आती है उस छोर से पूरे गांव के फसल को हर साल बर्बाद कर देता है इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह होगा कि जो सुरक्षा बांध बचा हुआ है उसको भी थोड़ा बढ़ा करके बनवाया जाय । किऊल नदी से बहुत सा गांव उसके बगल में बसा हुआ है । वहां बराबर वर्षा के समय में जब पानी ज्यादा आता है तो गांव के बगल से कटाव शुरू हो जाता है सूरजीचक हुआ, राहतपुर हुआ, नीस्ता हुआ उसके बाद आगे चल करके हुसैना उसके बाद भलुई, उसके बाद है गोड्डी, घोसीकुन्डी, मोहनकुंडी ये सारे इलाके जो हैं वे किउल के किनारे बसे हुए हैं और पानी के बहाव में बराबर उस किनारे से हमेशा कटाव होता है इसीलिए ये सारे जितने भी कटाव होते हैं निश्चित रूप से उसको कटाव को बांधने के लिए, कटाव से उस गांव को बचाने के लिए निश्चित रूप से सुरक्षा बांध की व्यवस्था

हो। यहां तक कि बहुत से ऐसे जैसे हुसैना गांव है सूर्यगढ़ा प्रखंड में, चंदनिया गांव है, इस तरह के कई गांव है, जब पानी आता है जिसके कारण पूरा का पूरा गांव पानी से डूब जाता है और उसका चूंकि निकास नहीं है अगर इन सारे गांवों में नाला के द्वारा अगर किऊल नदी के बगल में जो बांध है...

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ, कृपया आसन ग्रहण कीजिए ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, एक दो मिनट और बोलने दीजिए ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : अब आप आसन ग्रहण करें । अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान आपने आकृष्ट कर दिया है इसलिए अब...

श्री प्रहलाद यादव : सभापति जी, अभी तो अधूरा ही है ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : अब आप स्थान ग्रहण करें । अन्य सदस्यों को भी समय देना है ।

श्री प्रहलाद यादव : ठीक है सभापति जी, आपका आदेश है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं चूंकि मेरे समय को काटा गया है, यह ठीक नहीं हुआ है ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री रत्नेश सादा ।

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदय, मैं जल संसाधन विभाग के बजट भाषण के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, जल संसाधन वह विभाग है, जिस विभाग के कारण बिहार के ही नहीं अपितु देश-दुनिया जल संसाधन विभाग के ऊपर निर्भर करती है । जैसे किसान को पटवन के लिए जल की ही आवश्यकता होती है और पेड़-पौधे से लेकर कीट-पतंग, पशु-पक्षी, मनुष्य का भी जल के बगैर जिन्दा रहना असंभव बात है । महोदय, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब जल भू-गर्भ की गहराई अधिक होने लगी तो उन्होंने हार्वेस्टिंग के तहत जल संचय का कार्यक्रम चलाया, जो वर्षा जल से भूगर्भ जल में संचित करने का काम किया । महोदय, इस योजना के तहत वर्ष 2021 के पूर्व की तैयारी जो है, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य 270 अदद सुरक्षा की योजना है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपया खर्चा हो गया । महोदय, सुपौल और मधुबनी में कोशी नदी के पश्चिमी किनारे को ऊंचीकरण करने के लिए इस योजना में 116.36 करोड़ रुपये की योजना का प्रावधान किया गया है, जो कार्य प्रारंभ है महोदय । महोदय, सीतामढ़ी में रातो नदी के तट पर 110.65 करोड़ की योजना से बाढ़ प्रबंधन की योजना में वर्ष 2022 तक पूरा कराया जायेगा । महोदय, भागलपुर के गंगा नदी के बाएं तट पर जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तटबंध निर्माण के लिए 42.42 करोड़ रुपया खर्च किए जायेंगे । बिहार के नदियों को जोड़ने की योजना है, कोशी बेसिन

नदी, महानंदा बेसिन में कोशी मेशी का इन्वेस्टमेंट क्लीयरेंस के लिए केंद्र सरकार ने 08. 12.2020 को मान्यता दे दी है ।

क्रमशः

टर्न–18/ मुकुल–राहुल/02.03.2021

क्रमशः

श्री रत्नेश सादाः महोदय, मधुबनी जिला के जय नगर कमला नदी पर निर्मित वीयर को बराज में परिवर्तन करने हेतु 405.66 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है । महोदय, हर खेत में जल का प्रबंध का लक्ष्य है, सात निश्चय पार्ट–2 के तहत किसानों को कृषि के लिए पानी की व्यवस्था करने का काम किया है, जो बिजली मीटर लगाने के लिए किसानों को दी जा रही है । महोदय, वर्ष 2020–21 में अब तक 1095 कार्य पूर्ण किया गया है इस योजना में 90,830 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता तथा 591.17 लाख हेक्टेयर घन मीटर जल संचय कराने की क्षमता सृजित की गई है । महोदय, 564 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है । महोदय, खनन क्षेत्र से प्राप्त राजस्व के मामले में बिहार राज्य द्वारा तीव्र विकास किया गया है, महोदय, वर्ष 2019–20 में वार्षिक लक्ष्य 1600 करोड़ के विरुद्ध 1616.25 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली की गई है । महोदय, वित्तीय वर्ष दिसम्बर, 2020 तक निर्धारित लक्ष्य के 800 करोड़ रुपये के विरुद्ध 807.48 करोड़ रुपये वसूली की गई है । महोदय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग खनन विभाग में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है । महोदय, इसके फलस्वरूप राजस्व संग्रह में अपेक्षित वृद्धि के साथ–साथ अवैध खनन पर प्रभारी कार्य नियंत्रण स्थापित किया जायेगा । महोदय, इस क्रम में विभाग में एक आधुनिक पी0एम0यू0 गठित किया गया है जिसके द्वारा लघु खनिज एवं परिवहन हेतु निर्गत किये जा रहे हैं । चालान पर नियंत्रण रखा जा रहा है । महोदय, पशु एवं मत्स्य विभाग में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं रोजगार/स्वरोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है इस विभाग में महत्वपूर्ण उपलब्धि निम्न प्रकार हैंः–

पशुओं के स्वास्थ्य एवं बीमारियों से रोकथाम हेतु विभिन्न प्रकार के टीकाकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है । इसके तहत गत वर्ष खुरहा एवं मुँहपका रोग (एफ0एम0डी0) के विरुद्ध दो चरणों में कुल 330.73 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है । महोदय, गलाघोंटू(एच0एस0) एवं लंगड़ी बुखार (बी0क्यू0) रोग के विरुद्ध कुल 165 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है । महोदय, भेड़–बकरियों की सुरक्षा हेतु पी0पी0आर0 रोग के विरुद्ध टीकाकरण कार्यक्रम चलाकर कुल 109.87 लाख भेड़–बकरियों को टीकाकृत किया गया है । इसके अतिरिक्त चार–आठ माह के बाछियों/पाड़ियों को ब्रुसेलोसिस रोग से बचाव हेतु कुल 10.98 लाख पशुओं का

टीकाकरण किया गया है । महोदय, कुछ हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं जो इस बार के चुनाव के मुद्दे में मुख्य मुद्दे थे । वे क्षेत्रीय समस्याएं हैं, हमारे सोनवर्षा विधान सभा के सोनवर्षा प्रखंड के शाहपुर पंचायत में हरिपुर चॉप है जो हजारों एकड़ जमीन जल-जमाव से ग्रसित है । विराटपुर पंचायत के भादा चॉप जो 2,000 एकड़ जमीन किसानों का जल-जमाव से ग्रसित है, सहसौल पंचायत के स्वेत कमल दह चॉप जो है लगभग 3,000 एकड़ में जल-जमाव है, इसकी जल निकासी की व्यवस्था की जाय । देहद वेहट पंचायत के देहद चॉप में जल निकासी की व्यवस्था की जाय, महुआ पंचायत के महुआ चॉप की जल-निकासी की व्यवस्था की जाय । परड़िया पंचायत के परड़िया चॉप के तहत फतेहपुर चॉप की जल-निकासी की व्यवस्था की जाय । कोपा पंचायत के भस्ती विन्द टोली पचादी चॉप की जल निकासी की व्यवस्था की जाय । महोदय, सहरसा जिला के महिषी विधान सभा के बलुआ पुल है, बलुआ पुल के पश्चिम नदी के किनारे से लेकर रसलपुर तक सुरक्षात्मक बांध की व्यवस्था की जाय, नहीं तो पुल पर असर पड़ेगा ही और लाखों किसान बेघर हो रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से से जल संसाधन मंत्री जी से मांग करता हूं, ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी): माननीय सदस्य, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: माननीय सभापति महोदय, आज मैं जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, सरकार के जल संसाधन विभाग की विफलताओं के बारे में विस्तार से हमारे बड़े भाई सुधाकर जी ने बताने का काम किया । सत्ता पक्ष के साथियों के द्वारा बोला जाता है कि कटौती प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और फिर योजना की स्वीकृति के बारे में बोला जाता है कि पैसा खर्च करने की क्षमता नहीं और फिर कटौती प्रस्ताव पर भी टीका-टिप्पणी होती है । सभापति महोदय, मैं बिहार के उस इलाके से आता हूं जहां सिंचाई के मामले में एक तरफ उत्तर बिहार जो बाढ़ की चपेट में और दक्षिण बिहार जो सुखाड़ की चपेट में आजादी के 70 साल बाद भी आज वही हालत है । सभापति महोदय, हम मगध से आते हैं जहां कभी अमर शहीद जगदेव प्रसाद जैसे जन नेताओं ने हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की थी । पिछली बार भी हमने सदन में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया था हमीदनगर पुनपुन परियोजना की तरफ । सभापति महोदय, मगध की वह काफी महत्वपूर्ण परियोजना है । सभापति महोदय, करीब सरकार का अरबों रुपया खर्च होकर के वह योजना आज तक अधूरी पड़ी हुई है । हम इस सदन में जिस सरकार में आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी नेतृत्व कर रहे थे और मेरे पिता मुद्रिका सिंह यादव जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर उसकी स्वीकृति मिली थी लेकिन आज वर्तमान सरकार जिसको 15 साल से अधिक समय हो गया है कई बार हमीदनगर पुनपुन सिंचाई

परियोजना के बारे में तारांकित प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया । महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल-जीवन-हरियाली पर चर्चा की थी जब पूरा बिहार सुखाड़ की चपेट में था और मध्य बिहार का इलाका, गया, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, पटना में जिस समय पानी की किल्लत हो रही थी उस समय जलवायु परिवर्तन पर एक चर्चा हो रही थी महोदय, उस समय हमने बताया था कि अगर हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित कराकर के उसका जो ध्येय था कि उसमें बैराज लगाकर के और फिर मोरहर, दरधा, फल्गू में पानी गिराकर के उसको बांधा जाय तो उस इलाके के किसानों के चेहरों पर खुशहाली होगी, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गंगा के पानी को बोधगया ले जाने की जो योजना बनाई गई, उल्टी धारा बहाने का, हमने उस समय भी ध्यान आकृष्ट कराया था माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, मंत्री जी को भी कि उसी पुनपुन के पानी को अगर बोधगया ले जाया जाय तो इस इलाके में सभी खेतों को पानी भी मिलेगा और जलस्तर में जो गिरावट हो रही है उसकी भी पूर्ति होगी ।

क्रमशः

टर्न-19/यानपति-अंजली/02.03.2021

...क्रमशः..

श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः सभापति महोदय, हमारे यहां इलाके में उदेरा स्थान जो बराज है उसका भी पूर्ण रूप से अगर उस पर भी काम हो तो हमारे यहां मकदुमपुर के इलाके में, घोसी के इलाके में, काको के इलाके में उससे सिंचाई होगी । हमारे यहां पंचतीर्थ पुनपुन में बीयर बांध बनाया गया जिसकी ऊंचाई कम रहने के चलते जो उससे पानी निकलता था वह नहीं निकल रहा है । महोदय, हमने सदन का ध्यान भी उस समय आकृष्ट कराया था पिछली सरकार में ही कि उसकी अगर पुनपुन तीर्थ बांध को अगर ऊंचा कर दिया जाय तो वहां से जो बांध लगा है, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी और हमारे रतनी इलाका में और जहानाबाद प्रखण्ड के कुछ इलाकों में और मसौढ़ी विधान प्रखण्ड के इलाके में उसकी सिंचाई होगी । महोदय, हमारे यहां नसरतपुर बीयर बांध है, सुगौर बीयर बांध है, जामुक बीयर बांध है, फरीदपुर रेगुलेटर है, मिल्की स्लुईश गेट है, हमीदपुर रेगुलेटर है, कश्मा रेगुलेटर है और इन सभी रेगुलेटरों की हालत बद से बदतर है । महोदय, चूंकि कई वर्षों से बारिश नहीं होने के चलते पानी का आना-जाना नहीं हो रहा था । महोदय, हम उपर्युक्त अधर में लटके सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं । महोदय, उदेरा स्थान बराज, हमीदनगर, पुनपुन सिंचाई परियोजना एवं पुनपुन

तीर्थ बांध को जोड़ दिया जाय तो जहानाबाद, अरवल, पटना, मसौढ़ी क्षेत्र के लोग खुशहाल हो जाएंगे महोदय और मखदुमपुर एवं रतनी फरीदपुर प्रखंड के किसानों के खेतों में जो पानी नहीं जा रहा है महोदय उससे पानी जाने लगेगा । महोदय, उदेरा स्थान जो बीयर बांध है, सुगौर बीयर बांध से जोड़ा जाय और जहानाबाद जिला के तीन प्रखंड जहानाबाद, काको, मखदुमपुर आंशिक खेती तक पानी पहुंचाया जा सकता है महोदय और किसानों के चेहरे पर खुशहाली होगी । महोदय, दक्षिण बिहार के किसानों एवं मजदूरों के पलायन को भी रोका जा सकता है । महोदय, हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है । महोदय, खेतों, आहर और पईन आ जाने से भूजल स्तर में जो गिरावट हो रही है....

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): माननीय सदस्य आपका मात्र दो मिनट बचा हुआ है इसलिए अपनी बात को जो आवश्यक हो उसको रखिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट कीजिए ।

श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: सभापति महोदय, हम वही ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं हमारे अपने क्षेत्र के बाहर का नहीं है । लेकिन जो महत्वपूर्ण योजना है हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना हम देख रहे थे सिंचाई विभाग का बजट, उसमें उस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं है । हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री महोदय अपने भाषण में उस हमीदनगर पुनपुन सिंचाई परियोजना का भी उल्लेख करें क्योंकि हमारे यहां मध्य बिहार के किसान और मध्य बिहार के किसानों के पास जो खेती है वह काफी उपजाऊ है, समतल है । महोदय, अगर उसके खेतों में पानी जाएगा तो उनके चेहरे पर खुशहाली होगी और पलायन बंद होगा ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव: हम आसन के प्रति आभार प्रकट करते हैं । धन्यवाद ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): श्रीमती रश्मि वर्मा जी ।

श्रीमती रश्मि वर्मा: सभापति महोदय, मैं जल संसाधन विभाग के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं । बिहार एक जल संपदा से परिपूर्ण राज्य है जैसा कि हम सभी जानते हैं । एक तरफ जहां नदियों का जाल है वहीं दूसरी तरफ नदियों से सिंचित होनेवाली नहरों का भी जाल मौजूद है वर्षों पूर्व इन नहरों को किसानों के हित में उनके फसलों को सिंचित करने के लिये बनाया गया था । इसका जीर्णाद्धार होने से तथा इसका विस्तार होने से जल संसाधनों का और अधिक उपयोग किया जा सकता है जिसका परिणाम होगा हमारे राज्य में बाढ़ एवं सूखा जैसी स्थिति के प्रकोप से बचाव । मैं जिन क्षेत्र चंपारण का प्रतिनिधित्व करती हूं वह क्षेत्र अरसे से अपने जल संसाधन एवं इनके प्रबंधन के लिये प्रसिद्ध रहा है। वर्षों पूर्व यहां पर गंडक पर बराज बनाकर हमारे देश के इंजीनियर्स ने अपने अद्‌भुत करामात को दिखाया है । भारत और नेपाल की मित्रता को एक आयाम देते हुए स्वराज की स्थापना की गयी । कालांतर में इसका भरपूर उपयोग सिंचाई के लिये भी किया गया।

अब ये बराज जीर्णोद्धार की बाट जोह रहा है । सदन के माध्यम से मैं आप सभी को इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है यह बताना चाहती हूं यदि ससमय इस बराज के पिलर्स एवं उनके फाटकों का जीर्णोद्धार नहीं किया गया तो भविष्य में कुछ अनिष्टकारी घटनाएं भी हमलोग झेल सकते हैं । यहां पर मौजूद गाद की सफाई एवं यहां से शुरू हो रही नहरों के जालों का समुचित प्रबंधन आज की अत्यंत आवश्यक मांगों में से एक है जैसा कि हम सभी जानते हैं इन नहरों से एक बड़े भूभाग की खेती का सिंचन किया जाता है हर साल आनेवाली प्रलयंकारी बाढ़ का प्रबंधन भी इन नहरों के माध्यम से किया जा सकता है । यदि इनकी ट्रिब्यूटरीज तक हम इनके कुशल प्रबंधन को नये टेक्निक के साथ पूर्ण करें तो इन नहरों के प्रबंधन में जो मुख्य परेशानियां आयेंगी उनमें नदियों का क्षरण, रैट हॉल्स का बनना और स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा इसपर अतिक्रमण किया जाना इत्यादि अनेक परेशानियां आ सकती हैं । इन छोटी छोटी समस्याओं का भी हल है । मेरी समझ से यदि हम अपने दृष्टिकोण से थोड़ी व्यवहारिकता लाएं तो ये परेशानियां दूर हो जायेंगी । मैंने वर्षों से इन नहरों को अपने क्षेत्र में देखा है शुरू से मेरे मन में यह भाव रहा है कि नहरों के बेहतर बेकार पड़े विभागों पर यदि कुछ ऐसी योजनाओं को प्रारंभ किया जाय जिससे नहरों की जमीन भी बचे और मिट्टियों का क्षरण भी न हो तो इन नहरों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है । मेरे अनुसार मैं यहां सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगी मेरे अनुसार यदि नहर के दोनों तरफ बांधों के किनारे यदि फूलों की खेती की जाय तो मिट्टी का क्षरण भी कम होगा साथ ही स्थानीय लोगों को बेहतर रोजगार भी उपलब्ध हो सकता है । आज हम फूलों के लिये पूर्णतः पश्चिमी बंगाल पर निर्भर हैं यदि हमारे स्थानीय कर्मवीर इन नहरों के किनारे बांध पर फूलों की खेती करते हैं इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत एवं बिहार का सपना साकार होगा । दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह हमारी बिजली है ऊर्जा है । बिजली की खरीद एवं उत्पादन में हो रही लगातार वृद्धि एवं उसकी मार झेल रहे नागरिकों को एक राहत गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्रियान्वयन से दिया जा सकता है । यह कांसेप्ट मुझे ऊपर बिजली नीचे मछली की प्रेरणा स्वरूप मिला है कि क्यों न नहरों के ऊपर सौर ऊर्जा के प्लेट्स को कुछ इस तरह से व्यवस्थापित किया जाय कि नहरों के मूल उद्देश्य भी परिपूर्ण हो जायं और उनके उपलब्ध भूभाग पर सोलर प्लेट्स का अधिष्ठापन किया जा सके ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): माननीय सदस्या, आपका समय समाप्त हुआ, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती रश्मि वर्माः महोदय, मुझे दस मिनट का समय था मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रही थी ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): नहीं, आपका दो मिनट ही समय था ।

श्रीमती रश्मि वर्मा: महोदय, वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है यदि मुझे दो मिनट का या एक मिनट का भी समय दिया जाय तो बहुत ही लाभदायक विषय पर कुछ चर्चा आगे भी हो सकती थी।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): बोला जाय ।

श्रीमती रश्मि वर्मा: जी धन्यवाद । नहरों का मूल्य देश भी पूर्ण होगा और उसके उपलब्ध भूभाग पर सोलर प्लेट्स का अधिग्रहण किया जा सके जो स्थानीय बिजली की आपूर्ति से परिपूर्ण कर सकेंगे हमलोग । यहां इस बात को मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देश का सबसे बड़ा नहर ऊर्जा के इकाई कार्य करना प्रारंभ कर दिया है तो क्या हम भी अपने उज्ज्वल भविष्य के लिये सौर ऊर्जा प्रबंधन पर कोई ठोस कदम उठायें जिससे न सिर्फ स्थानीय ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सके बल्कि ऊर्जा पर होनेवाले व्यय को भी बचाया जा सकता है । इन दो आयामों के अलावा यहां नियमित रूप से नहरों में पानी हमेशा मौजूद रहता है यह भी ध्यान देने योग्य है । उसमें पैन कल्चर के माध्यम से मत्स्य उत्पादन का भी कार्य किया जाय तो मत्स्य उत्पादन में हो रही वृद्धि साथ ही स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार भी मिल सकता है और सिंचित होनेवाले पानी से मछलियों का.....

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): आप समाप्त करें, आपका समय खत्म हो गया और माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह जी ।

श्रीमती रश्मि वर्मा: जी, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-20/सत्येन्द्र/02-03-2021

श्रीमती रश्मि वर्मा:(क्रमश:) नहरों का मूल उद्देश्य भी पूर्ण होगा और उसके भू-भाग पर सोलर प्लेट को अधिष्ठापित किया जा सकता है जिससे स्थानीय बिजली को परिपूर्ण कर सकेंगे। यहां इस बात का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में देश के सबसे बड़ा नहर ऊर्जा इकाई कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तो हम भी अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए सौर ऊर्जा प्रबंधन पर कोई ठोस कदम उठायें जिससे न सिर्फ स्थानीय ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सके बल्कि ऊर्जा पर होने वाले व्यय को भी बचाया जा सकता है। इन दो के अलावा यहां के नहरों में पानी हमेशा मौजूद रहता है जिस कारण हमें यह भी ध्यान देने योग्य है जहां मत्स्य उत्पादन का कार्य भी किया जाय तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार भी मिल सकता है और सिंचिंत होने वाली पानी से..

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी): अब समाप्त करें। आपका समय समाप्त हो गया।

अब माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह।

श्री अजय कुमार सिंह:सभापति महोदय,जो भी मैं देख रहा था, बजट में जो प्रावधान है कोई भी कार्यक्रम जब तय होता है तो उसका सर्वे होता है..

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी):माननीय सदस्य,आपका समय आवंटित है मात्र 7 मिनट।

श्री अजय कुमार सिंह: 7 मिनट।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी):जी,7 मिनट।

श्री अजय कुमार सिंह:तो बिहार में जैसी मुझे जानकारी है कि कृषि के क्षेत्र में जो विभाजित है उसके जोन-2 एवं जोन-3 में, तो जल संसाधन विभाग को उसके मुताविक योजनाओं को लेना चाहिए था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि साहेबगंज से लेकर बक्सर तक का जो ड्रायर पार्ट है वहां 1100-1200 एम0एम0 वर्षा होती है, ये मानना है लेकिन इधर के वर्षो में 400 एम0एम0, 500 एम0एम0, 700 एम0एम0 वर्षा होती है ऐसी स्थिति में जब मौसम का मिजाज बदलता है तो किसान परेशान हो जाता है, चिन्तित हो जाता है । इसके संबंध में मेरा यह कहना है कि देखा है मैंने कि यहां से पानी ले जाया जायेगा राजगीर पीने के लिए तो बाढ़ के समय में जब टाल में पानी स्वत: आ जाता है तो हमारे मुंगेर जिले में दो डैम है एक है कुंड जलाशय दूसरा सतघरवा जलाशय, उस बाढ़ के पानी को लिफ्ट कर के उसमें डाला जाता तो किसानों को लाभ होता, इसके संबंध में हमारे यहां एक डकरा प्रोजेक्ट है जो बहुत पहले आया था जिसके थर्ड फेज में गंगा का पानी उसमें डालने की व्यवस्था थी, एक तो यह हो गया कि डैम में अगर गंगा के पानी को ले जाकर हम भर दें, चूंकि 400 एम0एम0, 500 एम0एम0, 700 एम0एम0 वर्षा होने के बाद भी जलग्रहण क्षेत्र में उतना पानी रहेगा ही नहीं इसलिए ऐसा होने से उसमें पानी रहेगा तो किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। हमारे ही जिले में तारापुर विधान-सभा क्षेत्र में वरूआ नदी है जिसमें बालू के उठाव से उसका लेवल घट गया है। पहले जब बालू का उठाव नहीं होता था तो किसान धीरे धीरे वहां से छेक कर पानी अपने खेत में ले जाते थे लेकिन अब वहां बालू के उठाव से कोई उपाय ही नहीं रह गया है कि नदी के बगल के खेतों में पानी ले जाया जा सके तो वहां भी किसानों के मुताविक अगर चेक डैम का निर्माण होता तो पानी का लेवल बराबर होता और उनके खेत में पानी चला जाता। मेरे जिले में बहुत सी ऐसी योजनाएं है जैसे नहर को भरकर उस पर सड़क बना दी गयी है तो कल मैंने चीफ इंजीनियर से पूछा कि भाई इसका एन0ओ0सी0 आपने दिया है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है तो सड़क बनाने वाला आपका ग्रामीण कार्य विभाग जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर से एन0ओ0सी0 नहीं लेता है जिससे सिंचाई सुविधा बाधित होती है । ऐसे 2-3 जगहों पर मैंने देखा है कि इनलोगों ने सड़क बना दिया, नाला को ही भरकर सड़क बना दी गयी, जो सर्वे के नक्शा में नाला था उसको खड़गपुर झील की तरफ से बनाया गया था तो

इसका भी तालमेल होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो जोन-3 सेक्टर है हमारा, पठारी इलाका जो है उसमें बहुत चेक डैम तो है हमारे यहां, एक सिंधवारिणी कम्पलेक्श बना था इसमें गयघट और तीनों योजनाओं को मिलाकर एक सिंधवारिणी कम्पलेक्श कहा गया था लेकिन कुछ पार्ट उसका जंगल विभाग में आने के कारण बाधित हो गया, काम नहीं हुआ तो जल संसाधन विभाग पठारी इलाके के लिए ऐसी योजनाओं को चिन्हित कर के और इस पर अनापत्ति पत्र सरकार के रास्ते जो होना चाहिए। इसमें देखा है कि भागलपुर के तटबंध के किनारे दीवाल देने के प्रावधान है, मैंने अपने तारांकित प्रश्न में भी पूछा था कि भाई मुंगेर जिला में जो बसावट है गंगा के किनारे, यहां हर साल एक फीट, दो फीट का कटाव हो जाता है बसावट के इलाके में, इसमें भी व्यवस्था हो, मैंने मांग किया था कि यह होना चाहिए। महोदय, थोड़ी देर पहले चर्चा हुई कि बाढ़ का पानी टाल में जमा हो जाता है, दूबे जी ने भी चर्चा किया कि जहां तहां फंस जाता है तो हमारे यहां भी फंसता है और रिहायशी इलाके में भी पानी फंस जाता है जिसके कारण 5-6 पंचायतों में ऐसा होता है लेकिन ऐसी स्थिति में भी उस इलाके से पानी निकालने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी)माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री अजय कुमार सिंह: धन्यवाद।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी): अब मैं श्री राजेश कुमार सिंह जी को, जिनका समय आवंटित है 7 मिनट। श्री राजेश कुमार सिंह जी।

श्री राजेश कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-137): अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और साथ ही मैं मोहिउद्दीनगर से चुनकर आया हूँ तो मैं वहां के जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जल संसाधन के अनुदान की मांग पर विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2000 में झारखंड को बिहार से अलग होने के बाद बिहार का भू-भाग दो भागों में दिखता है- एक बाढ़ का मैदानी भाग और दूसरा कृषि योग्य भूमि। सभापति महोदय, बिहार का जलीय श्रोत 15 नदियों के प्रवाह प्रदेश में विभाजित है, राज्य का उत्तरी मैदान धरातलीय एवं भूमिगत दोनों दृष्टि से सम्पन्न है। गंगा के दक्षिणी मैदान को उपयोग में लाने हेतु जल संसाधन की मात्रा उतरी बिहार की तुलना में कम है किन्तु इस भाग में जल संसाधन के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग हुआ है। हिमालय, छोटानागपुर का पठार तथा विंध्याचल की पहाड़ियों से उतरने वाली कई नदियों की जल धारा गंगा में विसर्जित होती है। सभापति महोदय, यह गंगा नदी हमारे प्रदेश में लगभग बीचों बीच में बहती है । उत्तरी बिहार का समतल क्षेत्र घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अवधारा, कमला, कोशी और महानंदा नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, क्यूल, हरेहर, चंदन

और चिर नदियों का प्रवाह प्रदेश बिहार के दक्षिणी भाग में बहने वाली नदियां हैं। सभापति महोदय वर्षा के दिनों में उत्तर बिहार की नदियों में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है । इस 445 कि0मी0 लंबी गंगा का कुल प्रवाह क्षेत्र 19322 वर्ग कि0मी0 है। (क्रमशः)

टर्न-21/मधुप/02.03.2021

..क्रमशः..

श्री राजेश कुमार सिंह : जिसमें 12920 वर्ग किलोमीटर बाढ़ से प्रभावित होता है । इसी तरह कोसी नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 11410 वर्ग किलोमीटर है जिसमें 10150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है । पुनपुन के 9026 वर्ग किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो जाता है । ऐसी कई नदियॉं हैं जो अपने बाढ़ क्षेत्र में सैकड़ो वर्ग किलोमीटर जमीन को प्रत्येक साल डुबोती हैं ।

पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल विहारी वाजपेयी जी ने जो स्वर्णिम योजना की शुभारंभ की थी, नदियों से नदियों को जोड़ने का जो काम शुभारंभ की थी ताकि नदियों का जल का समान वितरण कर बाढ़ की समस्या से निदान के साथ-साथ हर खेतों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाय ।

सभापति महोदय, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94163 वर्ग किलोमीटर है जिसमें बिहार की कुल आबादी 89 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है और 11 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में बसती है । कुल क्षेत्रफल का 5694642 हेक्टेयर भूमि यानी 60.48 प्रतिशत भूमि पर कृषि होती है और कुल आबादी का 80 प्रतिशत लोग कृषि एवं इसके सहायक काम-धंधों पर निर्भर करते हैं ।

सभापति महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जहॉं राज्य के सिंचित खेती के विकल्पों को आगे लाकर ही किसानों के क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है । सभापति महोदय, इसके साथ-ही पूरे राज्य में जल प्रबंधन एवं जल आपूर्ति में अब घनात्मक बदलाव के साथ-साथ जल शक्ति का व्यवस्थित नियोजन भी किया गया है । पुराने पद्धतियों में बदलाव किया था जिसमें आज प्रौद्योगिकी बिहार की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है ।

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एन0डी0ए0 सरकार ने सिंचाई के कुशल प्रबंधन पर सराहनीय कार्य किया है । जहॉं जल की सुलभता सीमित है, वहीं प्रति इकाई से अधिकतर खेतिहर पैदावार को बढ़ाया है । बिहार की कृषि योग्य असिंचित भूमि को सिंचित बनाने के लिए शताब्दी नलकूप योजना, ड्रिफ्ट इरीगेशन जैसी

अनेक जन कल्याणकारी योजनाएँ चलाकर पूरे बिहार में सिंचाई की स्थायी व्यवस्था प्रदान की है । कुंदर सिंचाई परियोजनाओं पर लगातार समीक्षा कर इस योजना को समाज के अंतिम यूनिट तक पहुँचाने का काम की है । मुख्यमंत्री जी के इन प्रयासों के लिए बिहार के किसान मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं ।

सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरे प्रदेश में 60.48 प्रतिशत किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए संकल्पित है और इस दिशा में कार्य भी शुरू हो चुका है । सभापति महोदय, हमारी सरकार का प्रयास है कि गंगा जल योजना के अंतिम चरण का कार्य इसी वर्ष अंत तक पूरा कर लिया जायेगा ताकि गया और राजगीर जैसे शहरों को पेयजल की समस्याओं से छुटकारा मिल सके ।

सभापति महोदय, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना पर काम चल रहा है जिसमें दरभंगा, मधुबनी जिले के लाखों किसान लाभान्वित होंगे । किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार संकल्पित है । सभापति महोदय, लोकतंत्र की जननी वैशाली प्रसिद्ध शांति स्तूप के निकट 2500 साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक धरोहर अभिषेक पुष्कर्णी सरोवर जो सूख गई थी उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है । इसके लिए वैशाली शाखा के नहर से जल की आपूर्ति की जायेगी, यह काम 2021 में पूर्ण करने की सरकार का लक्ष्य है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान और साथ में मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मैं विधान सभा के सदस्य के रूप में मोहिउद्दीननगर से आया हूँ, क्षेत्र भ्रमण के दरम्यान हमारे विधान सभा क्षेत्र के पटोरी प्रखंड और मोहिउद्दीननगर प्रखंड के अन्तर्गत बहुत सारे जो पंचायत हैं वे वर्षा और बाढ़ के दिनों में डूबे रहते हैं जिसमें राजस्व ग्राम लोदीपुर, सुल्तानपुर, छौराही, गरमुआ, उत्तरी धमौन, दक्षिणी धमौन, माधोपुर मोहनपुर तथा भदहिया के चौर जल निकासी हेतु 1969-70 के दौरान जो तत्कालीन सरकार थी, जल निकासी के लिए एक योजना पर काम कर रही थी जिससे हजारों एकड़ भूमि प्रभावित होती है लेकिन आज भी वह कार्य पूरा नहीं हो पाया है । अगर धमौन चौर से नहर की उड़ाही कराकर गंगा नदी में मिला दिया जाय तो वहाँ के किसानों के आय का स्त्रोत और खाद्यान्न उपज में काफी बढ़ोतरी होगी । इसलिए मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ ।

धन्यवाद ।

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार साहनी जी । माननीय सदस्य, आपको 6 मिनट समय आवंटित है ।

श्री अनिल कुमार साहनी : 10 मिनट था, सर ।

सभापति (श्री अवध विहारी चौधरी) : था, कटौती हो गया । माननीय सदस्य सुधाकर सिंह जी ने कुछ ज्यादा समय ले लिया था ।

श्री अनिल कुमार साहनी : सभापति महोदय, मैं आज पहली बार विधान सभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और बोलने से पहले अपने विधान सभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों भाईयों-बहनों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा । अपने नेता, शोषितों-उपेक्षितों के नेता आदरणीय लालू यादव जी और बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव जी के प्रति भी हम हार्दिक सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं ।

महोदय, मैं आज विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । आज जो यह प्रस्ताव आया है जल संसाधन विभाग द्वारा तो जल संसाधन विभाग का सिंचाई पर किस प्रकार से बिहार में खास करके हमारा बिहार जो उत्तर बिहार है और दक्षिण बिहार, दो भागों में बँटा है । एक तरफ सुखाड़ और एक तरफ बाढ़ । बाढ़ के कारण हमारा जो उत्तर बिहार के जिले हैं, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, छपरा, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, सहरसा, कोसी का क्षेत्र, पूर्णिया और जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ बाढ़ आती है इसका क्या कारण है कि बार-बार बाढ़ आती है और इसपर कोई कार्रवाई नहीं होती है । तटबंध बनते हैं और महोदय, तटबंध टूट जाते हैं । तटबंध इसीलिए टूटते हैं क्योंकि यहाँ मूसा बहुत बड़ा चीज है जो मूसा तटबंध को तोड़ने का काम करता है । इस राज्य में जहाँ मूसा तटबंध को तोड़ेगा और आपका यहाँ पर 40 अरब 74 करोड़ 38 लाख रू0 का यह बजट आयेगा तो इस राज्य का मूसा से जब यह बजट को बचा नहीं पायेंगे तो दुर्भाग्य है इस बिहार के लिए कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये बाढ़ और सुखाड़ से बचाया जायेगा । यह सिर्फ बोलने की बात है ।

मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि इस बाढ़ का कारण नेपाल है । मंत्री महोदय, आप दिल्ली में जाते हैं, प्रेस कांफ्रेंस करते हैं मगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को इसपर बात करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करने के लिए आपने आजतक क्या पहल किया है ? आज तक आपने क्या पहल किया है कि कोसी बराबर दह जाता है, बराबर हमारा उत्तर बिहार दह जाता है, ये सारी व्यवस्थाएँ हैं । समय कम है, बहुत सारी चीज इसपर बोलने के लिए है, हमारा समय काट दिया गया है । महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ।

महोदय, इसी के साथ जुड़ा हुआ है पशुपालन और मत्स्य पालन । मैं मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग से यह जानकारी लेना चाहता हूँ कि पशुपालन विभाग में केवल कागज पर टीकाकरण हो रहा है । कागज पर सिर्फ टीकाकरण हो रहा है । महोदय, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि खुरहा, मुँहपारा, एफ0एम0डी0, गलघोंटू एवं

लंगड़ी बीमारी सामान्य हो चुका है जिसका समय पर हमारे क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भी टीकाकरण नहीं हो रहा है । सिर्फ कागज पर इसका गलत बिल बनाया जाता है । इसकी ओर भी माननीय मंत्री पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग का हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि आप इसपर ध्यान दें । खास करके मछुआ, जो हमारा फरक्का बाँध, मंत्री महोदय, सुनिए, यह बहुत बड़ी चीज है, फरक्का बराज जो बना, फरक्का बराज जब से बना है तब से परम्परागत मछली इस बिहार में आना खास करके उत्तर भारत में आना बंद हो गया है । परम्परागत मछली आना बंद हो गया ।

..क्रमशः..

टर्न–22/आजाद/02.03.2021

..... क्रमशः .....

श्री अनिल कुमार साहनी : आपको बता देना चाहता हूँ कि इसपर गंगा मुक्ति आन्दोलन और बागमती आन्दोलन चलाने वाले श्री अनिल प्रकाश जी माननीय मुख्यमंत्री जी से इसपर बातें की थी लेकिन इसपर कोई कार्रवाई नहीं की गई कि फरक्का बाँध को किस प्रकार से रोका जाय। मैं बता देना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय कि जिस समय फरक्का बाँध बना था, उस समय वहां पर पानी की गहराई थी 75 फीट 1975 में और 2001 में उसी जगह का नापी लिया गया मार्च महीना में तो गहराई घटकर हो गयी 13 फीट, गाद और बालू से गंगा भरता जा रहा है .....

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आपका मात्र एक मिनट बचा हुआ है ।

श्री अनिल कुमार साहनी : हां सर, एक मिनट में अपनी बात को कंक्लूड कर देते हैं । पहली बार बोल रहे थे सर, मेरा समय कट गया । महोदय, फरक्का बाँध के कारण सभी लोगों की समस्या है । खासकर के मछुआरा वर्ग इसके कारण भूखमरी के कगार पर है और माननीय मंत्री, पशुपालन एवं मत्स्य से मछुआरों के संबंध में कुछ समस्यायें हैं उसको उठाना चाहता हूँ । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2014 में स्पष्ट रूप से घोषणा किया था जब लालू यादव जी ने मछली को फ्री किया था ताड़ी और मछली को तो उसी के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था कि एक रूपया के टोकन मनी पर बन्दोबस्ती किया जायेगा जलकरों को परम्परागत मछुआरों के साथ । लेकिन आज तक वह बन्दोबस्ती कथनी और करनी में अन्तर ही होकर रह गया । अब तक 6 सालों में एक रूपया टोकन मनी पर बन्दोबस्ती नहीं किया गया .....

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री अनिल कुमार साहनी : महोदय, एक मिनट । मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय मछुआ आयोग का गठन कब करेंगे, सैरात रिमिशन कमेटी का गठन कब करेंगे, मत्स्य बीज विकास निगम का गठन कब करेंगे, मछुआरों को इनश्योरेंस कब देंगे, मछुआरा

आवास योजना कब बनायेंगे, माननीय मंत्री जी द्वारा जो घोषित किया गया है उसको कब पूरा करेंगे ? इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि सकारात्मक रूप से जो हमारे मछुआ समाज के लोग हैं उनको जो है आप लाभ पहुँचावें । आने वाले दिनों में इन्हें जो हैं एक रूपया टोकनी मनी पर जलकर का बन्दोबस्ती करावें ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद । आपका समय मात्र 4 मिनट है ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : सभापति महोदय, मैं एक विशेष सूचना पर खड़ा हूँ ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : कहा जाय ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : सभापति महोदय, सूचना यह है कि बिहटा से लेकर के कोईलवर और कोईलवर से लेकर के छपरा तक करीब एक वर्ष से महाजाम की स्थिति बनी हुई है । अभी किसी तरह हम गिरते पड़ते विधान सभा में पहुँचे हैं कई देहाती क्षेत्रों से घूमते हुए।

(व्यवधान)

एक समस्या है, जिसके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि बिहटा मोड़ पर अरवल से लेकर के, औरंगाबाद से लेकर के जहानाबाद कई जिलों की गाड़ियां वहां आ रही है । सरकार निश्चित रूप से व्यवस्था करे ताकि वहां पर जाम की स्थिति समाप्त हो अन्यथा बहुत द :खद स्थिति होगी । स्थिति यहां तक हो गई है कि कृषि मंत्री जी को 28 तारीख को वहां पर कृषकों का आयोजन था और उसका उद्घाटन करना था, कोईलवर से उन्होंने जाम से वहां .....

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आपने सदन के माध्यम से सरकार को सूचित किया, सरकार आपकी सूचना ग्रहण कर रही है । अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : धन्यवाद ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, हमारे सचेतक महोदय हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं और हमारे माननीया उप मुख्यमंत्री जी भी हैं । सरकार कम से कम कहे कि हमने सूचना ग्रहण किया ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : सैयद रूकनुद्दीन अहमद साहेब, अपनी बात को रखें। आपका समय बहुत ही कम है ।

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए उठा हूँ । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । सबसे पहले मैं अपने बायसी विधान क्षेत्र के लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे यहां आने का मौका दिया । महोदय, सीमांचल इलाका हर साल बाढ़ की त्रासदी को झेलता है । यहां परमार महानन्दा, पनार कनकई दास इत्यादि नदियां बहती है जिससे हर साल भीष्ण

कटाव होता है । इन सारी नदियों का बहाव सबसे ज्यादा बायसी, अमौर, कोचाधामन बहादुरगंज को प्रभावित करता है । नदियों में भीषण कटाव के कारण इन क्षेत्रों में बड़े-बड़े गांव नदियों से कटकर विलिन हो गये हैं । कटाव पीड़ित परिवार विस्थापित हो चुके हैं । विस्थापित परिवारों को सड़कों पर जीवन बसर करना पड़ रहा है । विस्थापित परिवारों के लिए सरकार अभी तक कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करायी है जो बड़े ही चिन्ता और खेद का विषय है । वर्ष 2017 में आयी भीषण बाढ़ से ही पूर्णिया जिला के बायसी विधान सभा क्षेत्र के ताराबाड़ी, चनकी, हाथीबंधा, नवाबगंज, मथुरापुर, खपड़ा, हरिनतोल, बनगांवा, गोटफोर खुटिया, बैरिया, पहाड़िया जैसे गांव नदी में कटकर विलिन हो गये हैं । अब तक इन गांवों में कटाव निरोधक कार्य नहीं कराये गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इन गांवों में शीघ्राशीघ्र कटाव निरोधक कार्य कराया जाय । इन गांवों से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क जो कई पंचायतों को जोड़ती है । इनका भी स्तित्व अब खतरे में है। सरकार इन गांवों में शीघ्र कटाव निरोधक कार्य कराया जाना चाहिए एवं कटाव पीड़ित विस्थापित परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था शीघ्र करानी चाहिए ताकि इन लोगों का जीवन-बसर हो सके । इसी प्रकार अमौर विधान सभा क्षेत्र के बैसा बिरजान टोला, काशीबाड़ी, सीमलबाड़ी, तालबाड़ी, गौरिया अधान और बहादुरगंज के पत्थरघटी की यही स्थिति है । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि इन गांवों में शीघ्र कटाव निरोधक कार्य कराया जाय ताकि इनकी दशा और दिशा दोनों को बचाया जा सके । बोलने का आपने मुझे मौका दिया, टाईम है .

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : अब स्थान ग्रहण किया जाय । श्री अरूण सिंह जी, सी0पी0आई0एम0एल0 ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, 5 मिनट का समय था ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : उनको 4 मिनट का समय था और उनका समय हो गया है।

श्री अरूण सिंह : सभापति महोदय,

श्री अख्तरूल ईमान : सभापति महोदय, सीमांचल में जो कटाव हुआ है

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । इनका सुन लिया जाय।

श्री अख्तरूल ईमान : सभापति महोदय, मामला यह है कि वहां पर भीषण कटाव हुआ है और कटाव जारी है । अभी सदन में बात चल रही है कि लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई हो रही है लेकिन हमारे क्षेत्र में जीरो है, सिंचाई नहीं हो रही है । हमारे यहां सबसे ज्यादा काम है कटाव निरोधक । हजारों परिवार हर साल विस्थापित हो रहे हैं । जितनी भी नदियां बह रही हैं किशनगंज में और पूर्णिया में कोशी के किनारे से निकलती है और सारा समाहित हो जाती है अमौर, बैसा और बायसी में और नतीजा यह होता है कि तेज धारा और घनी नदियों के कारण वहां हजारों परिवार विस्थापित हो गये हैं, उसपर माननीय मंत्री जी से ...

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अख्तरूल ईमान : महोदय, हम यही तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं । महोदय, चूँकि वहां पर पीड़ित लोग हैं, इस बार भी अगर कटाव हो गया तो हमलोग क्षेत्र में जाने लायक नहीं रहेंगे हुजूर।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह जी । आपका समय आवंटित है मात्र 9 मिनट ।

श्री अरूण सिंह : सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ । सरकार का जो संकल्प है कि हर घर को हम नल से पानी पहुँचायेंगे और हर खेत को हम पानी देंगे । लेकिन उतना ही विडम्बना है इस राज्य का कि पूरे बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है और आधा हिस्सा सुखाड़ से प्रभावित है । सरकार हमेशा कहती है कि हम हर संकट को अवसर में बदलने की बात कहती है । हमने देखा है कि कोरोना को जिस तरह से अवसर में बदला गया कि कल हमारे विधायक साथियों पर लाठी बरसाई गयी । उसी तरह से हम देख रहे हैं कि बाढ़ नियंत्रण के नाम पर, बाढ़ प्रबंधन के नाम पर जब भी हम सुनते हैं तो बाँध की ऊँचाई को बढ़ा दिया जाय और सुखाड़ के नाम पर हम सुन रहे हैं कि डिजल की सब्सिडी बढ़ा दी जाय, उसकी रकम बढ़ा दी जाय । इसके अलावे हम नहीं समझते हैं कि सरकार दूसरा कोई काम कर रही है । हम जानते हैं महोदय वृहद सिंचाई परियाजना का एकमात्र उद्देश्य है कि संकट के समय हम खेतों तक पानी पहुँचायें ।

..... क्रमशः .....

टर्न-23/शंभु/02.03.21

श्री अरूण सिंह : क्रमशः लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह की तीन परियोजनाएं हमारे बिहार में काम कर रही है- एक है कोशी परियोजना । कोशी परियोजना की उपलब्धि में कहीं भी उसमें डैम नहीं है । उसमें पानी आता है और बह जाता है । इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कभी भी संकट के समय पानी नदी नहीं दे पाती है । इस तरह से यह परियोजना एक तरह से भष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है । इसी तरह से गंडक परियोजना, गंडक परियोजना पर तो करीब 10 सालों से यहां के किसान विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि इससे तबाही होगी, हमारी खेती बर्बाद होगी, हमारे यहां जल प्रलय होगा, लेकिन इसके बावजूद, सरकार के निदेशन के बावजूद भी कि इसकी एक रिव्यू कमिटी बनायी जायेगी, लेकिन रिव्यू कमिटी के बिना रिपोर्ट के यह कार्य फिर से चलाने की कोशिश की जा रही है । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि किसके दबाव में, किस कारण से यह परियोजना फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है । महोदय, इसमें भी पूरी तरह से भ्रष्टाचार है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस सोन प्रणाली की बात चल रही है, यह सोन

प्रणाली 1874 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिहार को सुपुर्द किया था, जो अविभाजित बिहार था, लेकिन यह प्रणाली आज पूरी तरह से मृतप्राय पड़ी हुई है । हम उस जगह से आते हैं जहां से सोन नदियां निकलती है रोहतास जिला- ये सोन प्रणाली का रोहतास जिला में भी पटवन कराने की क्षमता कम हो गयी है, अंतिम छोड़ तक पानी नहीं पहुंचा पाती है । बहुत पहले से यह मांग उठ रही है, इस मामले में बहुत आंदोलन हुए हैं बिहार में कि कदवन में अगर जलाशय का निर्माण किया जाय तो शायद हम इस सोन प्रणाली को जो 150 वर्ष पुरानी हमारी प्रणाली है, जो बिहार को बैठाकर खिलाने की ताकत इस इलाके की है उसको बर्बाद होने से बचाया जा सकता है, लेकिन इस सोन प्रणाली को अभी तक इस बजटीय प्रावधान में हमने देखा, मुख्यमंत्री जी पहले वहां जाकर भ्रमण भी कर आये, शिनाख्त भी कर आये कि कदवन के मटिहानी में इस जलाशय का निर्माण किया जायेगा, लेकिन इस बजट प्रावधान में एक शब्द भी रहस्यमय ढंग से चुप्पी साध ली गयी और इस रहस्यमय ढंग से चुप्पी का मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं । इतनी बड़ी परियोजना, जिस परियोजना के बल पर हम बिहार को बैठाकर खिलाने की ताकत रखते हैं । इसपर सरकार क्यों नहीं बजटीय प्रावधान कर रही है ? इसपर बजटीय प्रावधान करना चाहिए तब जाकर हम बिहार के विकास की बात सोच सकते हैं । अगर यह सरकार सही मायने में विकासोन्मुखी है, विकास के लिए तत्पर है, विकास के लिए सबकुछ करती है मरती है, जीती है तो बिहार के विकास का हम समझते हैं कि सोन नहर सबसे बड़ी परियोजना है और सारे काम रोककर भी इस परियोजना को चालू करना पड़े तो पैसा खर्च करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन एक पैसा सरकार ने इस परियोजना में खर्च नहीं किया है । पिछले दिनों इसी सदन में जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था तो सरकार का उत्तर था कि हम तीन महीने के अंदर डी0पी0आर0 बना देंगे, लेकिन इतने दिन हो गये डी0पी0आर0 नहीं बन पा रहा है । इसलिए महोदय, इस समस्या पर मतलब अति महत्वपूर्ण समस्या है इसपर ध्यान देना चाहिए । मैं इसमें जो बजटीय प्रावधान है उस बजटीय प्रावधान पर मैं कहना चाहता हूँ जो सोन नहर हिस्से से संबंधित है कि इसको बढ़ाकर कम से कम 6 हजार करोड़ रूपया किया जाय ताकि सोन नहर का कदवन का निर्माण किया जा सके । यह कोशिश सरकार को करनी चाहिए । मध्यम सिंचाई परियोजना- मध्यम सिंचाई परियोजना में हम देख रहे हैं कि 21481 हे0 जमीन इससे सिंचित होती है । लेकिन हम देख रहे हैं कि एक मात्र कैमूर के दुर्गावती जलाशय को छोड़ दिया जाय तो यह मध्यम सिंचाई परियोजना- पूरी परियोजना जमुई और लखीसराय जिले में चल रही है और बिहार के किसी कोने में इस परियोजना का कोई भी काम नहीं चल रहा है । अब इसका मतलब मैं नहीं समझ पाता कि ऐसा क्यों ? क्यों नहीं अन्य जिलों में जहानाबाद हमेशा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, गया प्रभावित रहता है बहुत

सारे वहां स्रोत हैं जहां मध्यम सिंचाई परियोजना स्थापित किया जा सकता है । वहां क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है, क्यों दो जिले में पूरी परियोजना को सिमटाकर रखा गया है । इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, अब आपका समय केवल 2 मिनट बचा है ।

श्री अरूण सिंह : इसमें जो मांग हमारा बनता है उसको मैं पढ़ रहा हूँ । जल संसाधन के लिए व्यापक उपाय किया जाय, तमाम जल स्रोतों का संरक्षण किया जाय, सार्वजनिक आहरों, पोखरों को दुरूस्त किया जाय, बृहत्तर सिंचाई योजनाओं को तत्काल हाथ में लिया जाय, लेकिन कदवन जैसे डैम एवं अन्य संभावित परियोजनाओं को अपनाया जाय इसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रबंधन किया जाय । सोन नहर आधुनिकीकरण को शीघ्र हाथ में लिया जाय और उसका देखरेख प्राइवेट कमिटियों को नहीं सौंपा जाय । नहरों की देखरेख के लिए व्यापक तौर पर कर्मचारियों, इंजीनियरों, मेटों, तकनीकी सहायकों की नियुक्तियां की जाय । महोदय, आजकल एक और प्रचलन है ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : महोदय, अब आपका समय समाप्त हो चुका है अन्य सदस्य को भी बोलना है । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अरूण सिंह : नहरों की वितरणी को जो प्राइवेट हाथों में देने की कोशिश चल रही है इसको समाप्त किया जाय और नहरों की वितरणी को सरकार अपने हाथ में ले तब जाकर जल संसाधन सिंचाई विभाग और हमारी कृषि सुरक्षित हो सकती है ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, श्री राजकुमार सिंह, आपको मात्र 1 मिनट समय आवंटित है और 1 मिनट में ही आपको जो बजट पर कहना है उसपर आप अपनी बात को रखें ।

श्री राजकुमार सिंह : माननीय सभापति महोदय, बोलने से पहले एक आग्रह करना चाहूंगा कि 1 मिनट का समय शायद मेरी सदस्य संख्या के आधार पर मुझे दिया गया है, किन्तु यह बिलकुल ही नाकाफी है ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : आप अपनी बात बजट पर बोलिये । आप अपना समय बर्बाद नहीं करे इसलिए कि मात्र 1 मिनट ही आपको आवंटित है ।

श्री राजकुमार सिंह : महोदय, थोड़ा अवसर और दिया जाय क्योंकि मैं एक सदस्य जरूर हूँ, लेकिन मैं बिहार की लगभग 24 लाख मतदाताओं की एक मात्र आवाज हूँ इस सदन में इसलिए मुझे कम से कम 1 मिनट और दिया जाय ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी) : आप भूमिका में नहीं जाएं, अपनी बात को रखें ।

श्री राजकुमार सिंह : माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग के संबंध में जो कटौती प्रस्ताव दिया गया है यहां पर विपक्ष के द्वारा मैं न तो इसके पक्ष में बोलकर न विपक्ष में बोलकर किसी स्कूली वाद-विवाद प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ । मैं इस अवसर

का प्रयोग अपने क्षेत्र मटिहानी विधान सभा क्षेत्र जो कि बाढ़ के कारण हमेशा, हर साल आपदाग्रस्त होता है उसकी समस्या की ओर सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । मटिहानी विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो कि गंगा के दोनों किनारों पर बसा हुआ है और इसकी बहुत बड़ी आबादी है और हर साल ये आबादी बाढ़ की त्रासदी को झेलती है ।

क्रमशः

टर्न-24/ज्योति/02-03-2021

क्रमशः

श्री राज कुमार सिंह : आपको जानकर काफी अफसोस होगा कि कटाव के कारण विगत 30 सालों से 2 हजार परिवार आज भी गुप्ता लखमिनियां बांध पर बसे हुए हैं और उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । गुप्ता लखमिनियॉं एकमात्र एकमात्र ऐसा बांध है, तटबंध है जो बेगुसराय जिले को जो कि एक औद्योगिक राजधानी है बिहार की और मुख्यालय भी है उसकी सुरक्षा के लिए एक मात्र बांध है गुप्ता लखमियॉं बांध ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी): अब आप समाप्त करें, आपने एक मिनट ज्यादा बोल लिया इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राज कुमार सिंह : सर मुझे थोड़ा सा बोलने का अवसर दिया जाय, इसलिए मेरा सुझाव होगा।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी): अब श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी जी ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग पर हिन्दुस्तानी आवास मोर्चा के प्रतिनिधि के तौर पर मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । जल संसाधन विभाग एक ऐसा विभाग है जहॉं बिहार की आबादी का बहुसंख्यक गांव में बसते हैं और गांव में बसने के कारण यहॉं के बहुत सारे किसान बहुत बड़े नहीं हैं । छोटे और मध्यम स्तर के किसान हैं जिसकी सिंचाई के लिए सरकार ने चूँकि मेरा समय कम है, बहुत कम समय अपने बजट पर राय रखूंगा और अपने क्षेत्र की समस्या पर रखूंगा और कहना चाहते हैं कि सरकार ने छोटे छोटे किसानों के लिए लघु जल संसाधन विभाग की ओर से जो जल जीवन हरियाली के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, वह बहुत कारगर है । साथ ही साथ मेरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होने के साथ साथ ही पहाड़ों और वनों से आच्छादित है इसलिए सिंचाई की भी बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं । हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2008 में जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कुंड सिंचाई परियोजना, 2008 में घोषणा की गयी थी और 2010 में संचालित की गयी है । 50 करोड़ की राशि से बढ़ा कर उस परियोजना को 70 करोड़ का किया गया है लेकिन जो संवेदक हैं विजेता कंसट्रक्शन कंपनी वह पेटी

कौन्ट्रैक्टर को अपना ठीका दिए और वह दोनों आपस में लड़कर उस परियोजना का बंदरबाट कर रहे हैं । काम प्रारम्भ नहीं कराया जा रहा है और जिसके कारण है कि वह समय बढ़ता जा रहा है, राशि भी बढ़ती जा रही है । महोदय, आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री से निवेदन करेंगे कि इन विजेताओं की समस्या का आपस में निदान करवा कर काम शीघ्र करायें ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य आपका समय सीमा समाप्त हुआ ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : महोदय, एक मिनट सर, खाली इसको पूरा कर लेते हैं सर । महोदय, साथ ही साथ संवेदकों की लड़ाई को जल्द से जल्द निपटारा कराकर कुंड सिंचाई परियोजना को लागू करवाने का काम करेंगे । एकमात्र कैलाश डैम सिंचाई परियोजना है । उस पर माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि वह बालाडीह गांव से मात्र उसका पानी दरखा तक जाता है जबकि वह बालाडीह गांव से होते हुए दरखा होते हुए बालडा मोड़ और कईआर तक उसको जाना है नहर की स्थिति सुदृढ करवा दें और पानी की समस्या को समाप्त करने का काम करेंगे । बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी) : माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव जी 3 मिनट ।

श्री मिश्री लाल यादव : माननीय सभापति महोदय, आपके प्रति, अलीनगर जनता के प्रति और वी. आई.पी. के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री श्री मुकेश सहनी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, आज बिहार में एन.डी.ए. की सरकार जिसका मुखिया मान्यवर नीतीश कुमार जी हैं और उप मुख्यमंत्री तार किशोर जी हैं, उनके नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है । मैं सरकार के बजट कें पक्ष में खड़ा हूँ । जहॉ तक पशु मत्स्य संसाधन विभाग का सवाल है उस में मैं समझता हूँ कि जो पहले मछली का उत्पादन हमारे राज्य में बहुत कम हुआ करता था और पूरा का पूरे तौर पर दूसरे राज्यों से मछली का निर्यात कराया जाता था । अब सदन को सुन कर बड़ी खुशी होगी कि राज्य में मछली का औसत और उसका वार्षिक उत्पादन 2.88 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 6.41 लाख मैट्रिक टन हो गया है और इससे पूर्व बिहार में अन्य राज्यों से मछली का आयात 2 से 3 लाख मैट्रिक टन था जो घट कर मात्र 0.4 लाख मैट्रिक टन रह गया है । मान्यवर, सभापति महोदय, हमें लगता है जो इन पॉच वर्षों में 0.4 लाख टन रह गया है अब बिहार इस स्थिति में है कि बिहार की मछली दूसरे राज्यों में भी जायेगी। इतना उत्पादन हमारा बढ़ रहा है । जहॉ तक पशु का सवाल है । पशु के सवाल पर भी बिहार सरकार कई ऐसे कार्यों को कर रही है । पहले प्रखंड स्तर पर एक अस्पताल हुआ करता था और अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 8 से 10 पंचायत पर एक पशु अस्पताल का निर्माण करेंगे, यह उनका चहुमुखी विकास की ओर ध्यान है । अब मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले जल संसाधन के सवाल पर

इधर विपक्ष की ओर से कहा गया कि कटौती के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री जो संजय झा जी हैं, उनको पैसा खर्च करने में तत्परता नहीं है । महोदय, पिछली बार अलीनगर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव हार गया था और उस इलाके का बांध टूटा था लेकिन जब ये मंत्री बने तो इस बार जो बाढ़ आयी पिछले साल में तो संजय झा के नेतृत्व में और बिहार सरकार के नेतृत्व में बांध को टूटने नहीं दिया । रात रात भर बिजली जला कर बांध का निर्माण कराया । मैं मान्यवर मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक उसी इलाके में घनश्यामपुर में एतबार गांव है और दो तटबंध के बीच में है और बाढ़ में घिर जाता है और घिरने के बाद उसमें यातायात का साधन बंद हो जाता है मैं मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि पुलनुमा सड़क का निर्माण किया जाय और दूसरा एक भेड़ियाराही गांव हैं जो नदी से दोनों तरफ घिरा हुआ है । बाढ़ के जमाने में उससे आना जाना बंद हो जाता है वहाँ भेड़ियाराही मे पुल का निर्माण कराया जाय । मैं इन्हीं शब्दों के साथ बिहार के चहुमुखी विकास करने के लिए बिहार सरकार को बधाई देना चाहते हैं ।

सभापति(श्री अवध बिहारी चौधरी): आप स्थान ग्रहण करें । डा0 सत्येन्द्र यादव, एक मिनट सी.पी. आई. एम ।

डा0 सत्येन्द्र यादव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि की समस्याओं के समाधान करने के लिए बजट प्रस्ताव में चर्चा की है कि हर खेत तक पानी पहुंचायेंगे । बिहार के अंदर दो प्रमुख समस्यायें हें कृषि के अंदर एक जल जमाव की और दूसरी सूखे की । सारन जिले के अंदर जल जमाव की समस्या गंभीर है । जलालपुर प्रखंड के अन्तर्गत तेल नदी के कारण दर्जनों पंचायत जल मग्न रहते हैं जिसके चलते गेहूँ की खेती नहीं हो पाती, धान की खेती हम नहीं कर पाते । उसी तरह से मशरख के अंदर घोघरडीहा और परिहारा चौर में मढ़ौरा प्रखंड के अंतर्गत ताल पुरैना एवं एकमा प्रखंड के अंदर धूरदेव चौर के अंदर जल जमाव की समस्या के चलते हजारों एकड़ जमीन पर खेती नहीं हो पा रही है । हम जल संसाधन विभाग से मांग करना चाहते हैं कि जल जमाव की समस्या का त्वरित समाधान निकाला जाय । दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ कि सारन जिला में ही सारन प्रमंडल के अंदर गण्डक नहर बनी हुई है । आज कई वर्षों से गंडक नहर के निर्माण की बात चल रही है । काम चल रहा है । एक तरफ निर्माण हो रहा है दूसरी तरफ पी.सी.सी. उखड़ रहा है । अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है । सारन जिला के अंदर मात्र 150 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। सारन जिला के अंदर 2000 क्यूसेक पानी की जरुरत है हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बिहार की जो सरकार है वो जल संसाधन विभाग एक तरफ जल जमाव की समस्या का समाधान नहीं करता और दूसरी तरफ सारन के गंडक नहर में पानी नहीं

देती । सरयू नदी और गंडक नदी के कारण बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हो रहे हैं उनके बचाव का इंतजाम किया जाय और मैं कहना चाहता हूँ कि जल संसाधन विभाग में जो बजट का उपबंध है उसमें बड़े पैमाने पर बंदरबाट हो रहा है ।

टर्न–25/अभिनीत/पुलकित/02.03.2021

सभापति (श्री अवध बिहारी चौधरी): अब श्री भीम कुमार । आपका 6 मिनट समय है ।

श्री भीम कुमार सिंह : सभापति महोदय, सरकार द्वारा जो जल संसाधन विभाग की मांग प्रस्तुत की गयी है और उस पर जो कटौती प्रस्ताव सदन में लाया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, मैं अपने जिला की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । वर्ष 1994 में हमीदनगर बैराज का शिलान्यास हुआ था और उसमें काम भी हुआ लेकिन आज कि स्थिति में वहां काम बिल्कुल बंद है । हमीदनगर बैराज के बन जाने से पूरे मगध जोन के खेतों को पानी मिलेगा । औरंगाबाद जिला ही नहीं जहानाबाद, अरवल तमाम इन जिलों में, पटना उसको बन जाने से सारे खेतों को पानी मिलेगा और उसमें काम भी हो चुका है । 2005 में, 1994 में 80 करोड़ का प्रोजेक्ट यह था और 2005 में सरकार ने उसको 206 करोड़ रूपया दिया लेकिन काम जस का तस है, उसमें काफी लूट हुई, उसमें कोई काम नहीं हुआ और बैराज बिल्कुल बंद है इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहेंगे और माननीय मंत्रीजी भी सदन में हैं कि इसकी जांच करायें और दोषी पदाधिकारी और संवेदक पर, ठेकेदार पर कार्रवाई करें, क्योंकि सरकार का काफी 300 करोड़ से ज्यादा रुपया उस पर लग गया है और काम जस का तस है । कोई माइनर खुदाई भी वहां नहीं हुई है, किसानों को जमीन का पैसा भी नहीं मिला है, विस्थापित लोगों को दूसरे जगह जमीन देना था कोई जमीन नहीं दिया गया है और न ही उनको जमीन के पैसे का भुगतान किया गया है, इसलिए महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से, मंत्रीजी से मांग करेंगे कि उसकी जांच करायें ।

हमारे क्षेत्र में जो मूल सोन कैनाल है, जो अंग्रेजों का बनायी हुई है । इसकी स्थिति काफी जर्जर है और इस कैनाल से हसपुरा प्रखंड में माली माइनर है जो अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है उसकी स्थिति भी काफी जर्जर है और यह 32 किलोमीटर लंबा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इसको दिखवाकर इसका जीर्णोद्धार करवाया जाय, क्योंकि यह इलाका धान का कटोरा है । यहां सिंचाई में काफी असुविधा हो रही है, इसका उड़ाहीकरण करा देने से, गया जिला तक यहां से पानी जाता है, इसलिए इस कार्य को कराना अति आवश्यक है ।

दूसरा, गोह प्रखंड अंतर्गत टेकारी सोन हाई लेवल कैनाल है, यह नहर पटना हाई लेवल कैनाल बारून से निकली हुई है और इसकी स्थिति भी काफी दयनीय है ।

इसमें काफी पानी जाता है, पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन जहां-तहां इसकी स्थिति खराब हो गयी है, अवैध कल्वर्ट आउट लेट बैठा हुआ है और पानी की बर्बादी हो रही है। गया जिला के किसानों तक पानी नहीं जा पा रहा है, गोह तक जाते-जाते उसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मांग करेंगे कि इसको दिखवाकर इसको बनवाने का कष्ट करें । सोन उच्च कैनाल टेकारी जो नहर है, दुलारचक माइनर कैथी से औंकरी तक जीर्णशीर्ण अवस्था में है । हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि इसकी जांच कराकर इसका जीर्णोद्धार किया जाय ।

सभापति महोदय, मीरपुर माइनर जो थाल है वहां पर रिटर्निंग वॉल नहीं है, इसलिए बराबर वहां मिट्टी की कटाई हो जाती है, फॉल टूट जाता है और पानी बेकार में खेत में जाकर के किसान की फसलों को बर्बाद कर देता है, इसलिए आपके माध्यम से हम मांग करेंगे कि इसको बनवाया जाय । महोदय, मल्हद से सोसना तक और द्ववाल-सिंदुआरी जो गया जिला में पड़ता है, उसमें लगभग जो सर्विस रोड टेकारी कैनाल पर बनाया गया है, सोन उच्च स्तरीय टेकारी कैनाल पर वह 3 किलोमीटर रोड नहीं बना है । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा और जो भी काम यहां पर हुआ है उसकी गुणवत्ता बहुत खराब है । एक तरफ रोड बनती है और दूसरी तरफ खराब होती है, यह बहुत ही उपयोगी रोड है । महोदय, सिंचाई विभाग की जो सर्विस रोड है, 3 किलोमीटर सड़क बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में है, इसलिए इसको बनवाया जाय ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): माननीय सदस्य, श्री भीम कुमार सिंह जी, आपका समय समाप्त हुआ, स्थान ग्रहण करें । श्री सूर्यकांत पासवान, सी0पी0आइ0 एक मिनट ।

श्री सूर्यकांत पासवान: सभापति महोदय, हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है । यहां जल प्रबंधन नहीं होने के कारण बाढ़ और सुखाड़ दोनों का दंश किसानों को झेलना पड़ता है । महोदय, हमारा जिला बेगूसराय इसका उदाहरण है । महोदय, यहां 90 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर रहते हैं और इस बार भारी बारिश के कारण हमारे क्षेत्र के गढ़पुरा, बखरी, नावकोठी के तमाम प्रखंडों में सैकड़ों लोगों की पहले खरीफ की फसल नष्ट हुई फिर रबी की बुआई नहीं हो पाई । महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्री से मांग करता हूं कि सर्वे कराकर के नई नहर का निर्माण एवं पुरानी नहर की उड़ाही के साथ ही किसानों की फसल की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई की जाय । महोदय, एशिया महादेश का सबसे बड़ा झील, काबर झील पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण उस पर खतरा मंडरा रहा है । महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि काबर झील को पर्यटक स्थल बनाकर विकसित किया जाय । महोदय, सिंचाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे बिहार में स्टेट टयूवबेल का

जीर्णोद्धार करने का काम किया है लेकिन उसका नाला निर्माण एवं पाईप के द्वारा सिंचाई करवाने की कोई व्यवस्था आजतक नहीं की गयी है । महोदय, हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि बिहार के अंदर बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी निदान हो ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी): आपका समय समाप्त हुआ, अपना स्थान ग्रहण करें । श्रीमती कविता देवी, आपका समय चार मिनट ।

श्रीमती कविता देवी: माननीय सभापति महोदय, मुझे पशु एवं मत्स्य संसाधन के बजट 2021-22 के समर्थन में बोलने के लिए जो समय दिया गया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं । माननीय सभापति महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने एवं ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पशुपालकों एवं मत्स्यपालकों को होने वाली आर्थिक क्षति से बचाने एवं उनके विकास के लिये, कई रोजगारपरक योजनाएं शुरू की हैं । इसके तहत एक लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जीविका के माध्यम से अनुदानित दर पर चूजा वितरण एवं नि:शुल्क रूप से बकरी वितरण का काम किया गया है । माननीय सभापति महोदय, राज्य में सभी पशुओं की पहचान हेतु ईयर टैगिंग का कार्य किया जा रहा है । इसके तहत लाखों पशुओं का ईयर टैगिंग माह दिसंबर, 2020 तक हमारी सरकार द्वारा कराया गया है । इससे सभी पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा पशुओं के लिये चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं का लाभ पशुपालकों को मिलेगा । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा राज्य में पशुओं की नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत राष्टीय् डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 84.2748 करोड़ की लागत से मरंगा, पूर्णिया में नये सीमन स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं, साथ ही कृत्रिम गर्भाधान के विस्तार के लिए 780 पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना पी0पी0पी0 मोड पर स्थापित की गई है । माननीय सभापति महोदय, राज्य के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कॉम्फेड के माध्यम से पशुपालकों को सहयोग दिया जा रहा है तथा दुग्ध क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में दस परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए ...(क्रमश:)

टर्न-26/हेमन्त-धिरेन्द्र/02.03.2021

...क्रमश:...

श्रीमती कविता देवी : हमारी सरकार द्वारा 234.75 करोड़ रु0 की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है । माननीय सभापति महोदय, मत्स्य उत्पादन में बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है तथा राज्य में बायो फ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन की योजना शुरू की गयी है । जिसके तहत अभी तक कुल 194 बायो फ्लॉक यूनिट स्थापित की गयी हैं । माननीय सभापति महोदय, राज्य में कृषि रोड मैप के कारण दूध, मछली एवं अण्डा के उत्पादन में

लगातार बढ़ोतरी हो रही है । राज्य में दूध का औसत वार्षिक उत्पादन 57.67 टन से बढ़कर 104.94 लाख मीट्रिक टन हो गया है, जिसके कारण राज्य में 50 प्रतिशत दूध का आयात घट गया है, जिससे पशुपालकों को काफी लाभ हुआ है । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं के तहत राज्य के अधिक से अधिक गांवों तक दुग्ध सहकारी क्षेत्र का विस्तार कर गांवों में ही दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध के विक्रय एवं पशुपालन हेतु व्यवस्था करना है, जिससे पशुपालकों का अधिक लाभ हो । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार दुग्ध व्यवसाय से जुड़े किसानों, बेरोजगारों, युवक-युवतियों को समग्र गव्य विकास योजना के तहत ऋण-सह-अनुदान पर डेयरी फार्मिंग योजनाओं के माध्यम से सशक्तिकरण करने एवं रोजगार के अवसर देना सुनिश्चित किया है । जिसके कारण इस क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ेगा । माननीय सभापति महोदय, हमारी केन्द्र की सरकार ने राज्य में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनाओं की स्वीकृति दी है जिसके अन्तर्गत मत्स्य हैचरी का निर्माण, तालाब का निर्माण आदि किया जाना है, जिसके कारण राज्य में मछली का उत्पादन बढ़ेगा तथा मछली के व्यवसाय से जुड़े किसानों एवं अन्य लोगों को काफी फायदा होगा । माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने वर्ष 2021-22 में भावी कार्यक्रम के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन का आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 में शामिल किया है, जिसके तहत आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार करना है तथा...

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्या, आपका समय समाप्त हुआ, कृपया स्थान ग्रहण करें । श्री मुरारी मोहन झा जी ।

श्रीमती कविता देवी : धन्यवाद ।

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी) : आपका समय दो मिनट है ।

श्री मुरारी मोहन झा : सभपति महोदय, मैं आपके प्रति एवं अपनी विधान सभा केवटी की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिसके कारण मैं आज आप सबों के बीच बोलने के लिए सदन में उपस्थित हो पाया हूं । सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग के बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । सभापति महोदय, विपक्ष के लोगों ने बहुत सारे सवालों को उठाया, मैं सिर्फ एक उदाहरण आप सबों के सामने देना चाहता हूं । कोसी परियोजना, जो दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना थी । कोसी परियोजना का 1953-54 वर्ष में जिसकी नींव रखी गयी और उसका कार्य प्रारंभ 1973 में किया गया । मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के पहले जितनी भी सरकारे आयीं

सभापति(श्री अवध विहारी चौधरी) : माननीय सदस्य, संक्षेप में अपनी बात को रखें क्योंकि सरकार का उत्तर होना है ।

श्री मुरारी मोहन झा : तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर इनकी नीयत साफ रहती तो आज कोसी परियोजना की यह दुर्दशा नहीं होती । आज एन.डी.ए. सरकार के माध्यम से, जो सारी उपलब्धियां या सिंचाई के ऊपर जो कार्य किये जा रहे हैं, उस पर जितना भी कहा जाय कम होगा । अगर मुझे समय दिया जाय तो मैं कुछ बातों को, सरकार की जो उपलब्धि है, सरकार का जो प्रोग्राम है, वह मैं आपके समक्ष रखता हूं ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, वर्ष 2021 में बाढ़ के पूर्व की जाने वाली तैयारियों के अंतर्गत 270 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को 1,251.81 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करने का कार्यक्रम है । महोदय, 116.36 करोड़ रुपये की लागत से सुपौल एवं मधुबनी जिलांतर्गत पश्चिमी कोसी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, इस पर बिटुमिनस सड़कों का निर्माण एवं संरचनाओं का निर्माण, पुनर्स्थापन कार्य को तीव्र गति से कराया जा रहा है । महोदय, 110.65 करोड़ रुपये की लागत से सीतामढ़ी जिलांतर्गत रातो नदी के तट पर बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत नो मेंस लैंड से निशा रोड तक तटबंध का निर्माण किया जा रहा है, जिसे मार्च, 2022 तक पूर्ण किया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अपना पक्ष रखें । कृपया पांच मिनट में समाप्त करें ।

सरकार का उत्तर

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमें हर्ष प्राप्त हो रहा है कि वर्ष 2021-22 के लिये बजट पर बोलने का मौका मिला है । इसके लिये मैं एन0डी0ए0, गठबंधन के सभी साथी और हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ । विशेषतौर पर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सात निश्चय-2 के तहत हमारे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराने का काम किया, इसके लिये मैं उन्हें तहेदिल से धन्यवाद देता हूँ और चूंकि समय नहीं मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथी, हमारे बड़े भाई श्री अनिल सहनी जी ने सदन में अपनी बात को रखा । मैं चाहता हूँ कि उस पर मैं कुछ जवाब दे दूँ कि हमारे साथी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रुपया टोकन पर मछुआरा समाज को तलाब देने का निर्णय लिया था, निश्चित तौर पर, इस पर हमारी सरकार और

माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि ऐसा हो लेकिन हमलोगों ने पूरे बिहार में जितने भी हमारे मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे हमलोगों ने बातचीत की है, जिसमें से 486 मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष से हमने बात की, जिसपर 288, मंत्रीगण ने, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनका कहना है और 65 ही उनके पक्ष में आया, क्योंकि इसी तरह का निर्णय वर्ष 1991 में भी सरकार की तरफ से लिया गया था कि बहती हुई नदी को सरकार ने उसके राजस्व को माफ किया था लेकिन उससे बिहार के मछुआरों को कोई लाभ नहीं हुआ । अगर उस समय की आबादी को हम देखेंगे तो 50 लाख से अधिक मछुआरों की आबादी थी लेकिन अगर देखा जाय तो उससे सिर्फ 20-25 लाख रुपये का लाभ हुआ जो हर एक मछुआरे के ऊपर एक रुपया का भी लाभ नहीं हो पाया। लेकिन उसके चलते बिहार में बड़े पैमाने पर खासकर तालाब से परम्परागत मछुआरा भाइयों का अधिकार छिन चुका चूंकि गैर-मछुआरा लोगों ने वहां पर कब्जा कर लिया । इसलिए, आज उनके रोजी-रोटी में संकट है । इसलिए सरकार गंभीर है, खासकर बिहार के मछुआरों के हक में काम करने के लिये और आने वाले समय में भी हम लोग चाहेंगे कि बिहार में खासकर परम्परागत मछुआरों की नाम सूची जारी कर और जिस तरीके का हमलोग चाहेंगे कि परम्परागत मछुआरों को विशेषतौर पर उनको लाभ दिया जाय । फिर हमारे साथी ने कहा कि मछुआरा आवास निषाद समाज को मिले, निश्चित तौर पर हमारी सरकार की तरफ से खासकर मत्स्य संपदा योजना, केन्द्र सरकार की योजना के तहत हम पूरे बिहार में मछुआरा भाइयों के लिये आवास बनाने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी बड़े पैमाने पर आवास बनाये जायेंगे । साथी ने यह भी कहा कि मछुआरा आयोग बिहार में गठित होना चाहिये । निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में पहले भी मछुआरा आयोग गठित था और आने वाले समय में भी जल्द-से-जल्द इसको गठित किया जायेगा ।

साथियो, अभी मैं चाहूँगा कि बिहार में खासकर हम अपने मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा बिहार में खासकर मछुआरा भाई के लिये हमलोग स्कीम लाये हैं कि उनको जाल, नाव और ताना जाल ये सारी चीजें और

(क्रमशः)

टर्न-27/सुरज-संगीता/02.03.2021

...क्रमशः...

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : मछली बेचने के लिए किट की व्यवस्था हमलोग 90 प्रतिशत अनुदान पर खासकर अति पिछड़ा समाज के लिए, अनुसूचित जाति के लिए हमलोग मुहैया कराने जा रहे हैं और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विचार है कि बिहार में पशु का बेहतर इलाज हो सके इसके लिए हमलोग 8 से 10 पंचायत में मोबाईल एप के जरिए

और कॉल सेंटर के जरिए हम पशु को बेहतर उपचार दे सकें इसके लिए पूरे बिहार में हम इस तरह का जाल बिछाने के लिए जा रहे हैं । उसके बाद बड़े पैमान में बिहार में खासकर के मछुआरा भाई के लिए, मत्स्यपालक भाई के लिए, मछली बेचने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बाजार तो है लेकिन खुदरा लेवल पर बाजार नहीं है इस साल में हमने प्रस्ताव रखा है कि बिहार में प्रखण्ड लेवल पर हम मछली बाजार बनाने के लिए जा रहे हैं जहां पर खासकर के मछुआरा भाई वहां पर व्यवस्थित होकर आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो वहां पर बैठकर अपनी मछली बेचने की व्यवस्था कर सकें । उसके बाद हमारी गव्य विकास योजना में है खासकर बिहार में दूध को बढ़ावा देने के लिए खासकर दूध ज्यादा से ज्यादा संग्रह हो इसके लिए पूरे बिहार में हम खासकर के किसान भाई को दो और चार गाय और भैंस का हमारा स्कीम है जो हमलोग 90 परसेंट अनुसूचित जाति और एस0सी0 के लिए और अति पिछड़ा वर्ग के भाई के लिए हम 90 परसेंट अनुदान पर उनको मुहैया करा रहे हैं और बड़े पैमाना पर है और इस साल खासकर के हमलोगों ने बजट में एक्स्ट्रा रखा है कि खासकर के युवा को हमलोग इसमें लायेगें और डेयरी प्रोजेक्ट के तहत उनको 50, 100 बफैलो पर, गाय पर भी सब्सिडी देंगे ताकि बिहार में दूध का उत्पादन ज्यादा हो और बिहार में युवा को रोजगार मिले इसके लिए भी हमारी सरकार इस योजना पर काम करने जा रही है । उसके बाद हर साल खासकर मछुआरा भाई के लिए, बाढ़ के समय में, आपदा के समय में काफी पेरशानी होती है और फसल का बीमा तो है, किसान को मुआवजा तो मिलता है लेकिन मछुआरा भाईयों को मुआवजा नहीं मिल पाता है इसके लिए हमलोग खासकर तालाब को बीमा में कन्वर्ट करने जा रहे हैं ताकि उसका भी लाभ मछुआरा भाईयों को अगर क्षति हो जाय तो उसका भी लाभ हमलोग आने वाले समय में देंगे । उसके बाद बिहार में नई टेक्नोलॉजी के साथ मछली पालन के लिए भी व्यवस्था किया गया है जिसमें बायोफ्लॉक के जरिये आप घर पर बैठे-बैठे टैंक में, आंगन में कहीं पर भी अगर थोड़ा सा भी जगह हो तो वहां पर बायोफ्लॉक के जरिये आप मछली पालन कीजिए और अपना घर बेहतर चला पायेंगे, ये भी एक नई स्कीम हमलोग ला रहे हैं । उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुकूल हम पूरे बिहार में जो हमारे उपजाऊ भूमि नहीं हैं, जिस पर वर्षो पानी लगा हुआ रहता है ऐसे प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं जिसमें ऐसे तालाब पर सरकार की तरफ से अनुदान हमलोग देंगे और हर एक हेक्टेयर पर 6 से 7 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा ताकि पूरे बिहार में ज्यादा से ज्यादा तालाब का निर्माण हो और बिहार में मत्स्यपालक भाई वहां पर ज्यादा से ज्यादा मछली पालन करके अपना उत्थान कर सकें ।

श्री ललित कुमार यादव : बंगाल से कितना मछली आता है ?

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : निश्चित तौर पर बंगाल से मछली आता था लेकिन आने वाले समय में अभी फिलहाल नहीं आ रहा है ।

अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे न बोलें । शांति रखें । आप संक्षिप्त करें ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : निजी तालाब के जीर्णोद्धार के लिए हमलोग योजना ला रहे हैं ताकि तालाब का आकार बड़ा हो और मत्स्य विकास भवन एवं एक्यूरियम का निर्माण हमलोग आने वाले समय में कराने जा रहे हैं । नए तालाब का मछली पालन हेतु ट्रेनिंग के लिए योजना का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं । राज्य में मछुआरा की सुरक्षा बीमा के लिए हमलोग व्यवस्था कराये हैं । 5-10 हजार क्षमता वाले लेयर पॉल्ट्री फॉर्म की स्थापना के लिए हमलोग योजना रखे हैं और अंत में मैं कहूंगा कि हमारी सरकार की तरफ से एक विशेष तौर पर हम योजना लाए हैं ।

अध्यक्ष महोदय, जी हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में पशु के लिए बेहतर आहार के लिए अभी भी हमारे कम्फर्ट के जरिये हमलोग आहार मुहैया कराते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पर । आने वाले समय में पशु को बेहतर आहार मिले इसके लिए हमलोग सब्सिडी रेट पर चारा की व्यवस्था करने जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर करने के लिए जा रहे हैं । मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर ये जो चारा होगा सिर्फ पशु के लिए होगा इसके अलावा किसी इंसान के लिए नहीं होगा । इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं सभी हमारे साथियों को । महोदय, मैं अपने विभाग का वर्ष 2020-21 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लिखित वक्तव्य सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : हाँ, रख दीजिए सदन पटल पर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, सरकार का उत्तर सुनिए ।

सरकार का उत्तर

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 के बजट सत्र के दौरान...

अध्यक्ष : अब मंत्री जी का भाषण हो गया, अब नहीं । बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : जल संसाधन विभाग के लिए मांग संख्या-49 के अंतर्गत, विभाग में चल रही योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराने का मुझे अवसर मिला है । अध्यक्ष महोदय, विभाग को वर्ष 2020-21 में ...

अध्यक्ष : सरावगी जी, शांति रखिये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : स्कीम मद में तीन हजार करोड़ रुपये का बजट उपबंध प्राप्त है, जिसके शत-प्रतिशत व्यय के लिए विभाग प्रयत्नशील है । वर्ष 2021-22 के बजट में विभाग के

लिए स्कीम मद में 3,007.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत 1,066 करोड़ 88 लाख 16 हजार रुपये का प्रस्ताव है ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हर खेत में पानी पहुंचाने का निश्चय किया, कमिटमेंट किया बिहार के लोगों के साथ और बिहार के लोगों को पता है कि अगर उन्होंने निश्चय किया है तो अगले पांच साल में बिहार के हरेक खेत तक पानी पहुंचा दिया जायेगा और इस क्रम में जो सात निश्चय में मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पांच विभाग का टीम बनाया गया है । टीम द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, जल संसाधन विभाग इसका नोडल विभाग है । राज्य में कुल 534 प्रखण्ड स्तरीय संयुक्त सर्वेक्षण दल बनाया गया है हरेक ब्लॉक में और अड़ तीसों जिला में जिला स्तरीय संयुक्त अनुश्रवण दल का गठन किया गया है । यह सर्वेक्षण का काम 18 जनवरी, 2021 से शुरू हो गया है और एक सौ दिन में इसको पूरा करने का लक्ष्य है । सर्वेक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए टेक्नीकली भी इसमें हमलोगों ने एक वेबसाईट बनाया है सिंचाई निश्चय करके, मोबाइल एप बना हुआ है कि उसमें सारा डेटा इकट्ठा हो जाय और प्रखंड स्तरीय संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण दल द्वारा प्रत्येक गांव और टोला में स्थानीय ग्रामीणों, किसानों के साथ बैठकर सिंचित एवं असिंचित क्षेत्र, उपलब्ध जलस्रोत और असिंचित क्षेत्र के लिए संभावित सिंचाई योजनाओं के संबंध में सुझाव प्राप्त किया जा रहा है । इन सुझावों के आलोक में तकनीकी सर्वेक्षण दल द्वारा उस ग्राम के असिंचित क्षेत्र का स्थल भ्रमण कर तकनीकी संभाव्यता के आधार पर डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उसको उस एप में डाला जा रहा है । तकनीकी सिंचाई के अंतर्गत सतही जलस्रोत पर आधारित आहर-पईन सिंचाई योजना, उद्वह सिंचाई योजना, चेकडैम सिंचाई योजना, नहर का पुनर्स्थापन, नहर का विस्तारीकरण, एण्टी फ्लड स्लूईस चैनल सिंचाई योजना, फील्ड चैनल का पुनर्स्थापन, निर्माण योजना, भूगर्भ जल पर आधारित नलकूप सिंचाई योजना, निजी नलकूप और खराब सार्वजनिक नलकूप की मरम्मत, डगवेल सिंचाई योजना जो खुदाई करके किया जायेगा, इसपर काम चल रहा है । साथ ही जो ड्रीप स्प्रिंक्लर है सूक्ष्म सिंचाई के हेतु भी क्षेत्र चिन्हित किया जा रहा है । चयनित योजनाओं के जलस्रोत और कमांड क्षेत्र का जी॰पी॰एस॰ कॉर्डिनेट भी किया जा रहा है और आपको जानकर अध्यक्ष महोदय खुशी होगी कि इसको पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए इसका जो जी॰आई॰एस॰ मैपिंग होता है, जो मैंने कहा वेबसाइट पर और एप पर पूरा यह नहीं हो कि ब्लॉक में बैठकर डेटा इकट्ठा कर लिया तो वह स्पॉट पर पहुंचा हुआ है वह भी उससे जानकारी विभाग को मिलती है और डेली बेसिस पर अद्यतन फोटो सहित जो उसका लैटीट्यूड और लांगीट्यूड है उसके साथ उस डेटा बेस में डेली अपलोड और संग्रहित किया जा रहा है । चयनित योजना के जलस्रोत और कमांड क्षेत्र

को ग्रामीण नक्शा पर भी चिन्हित किया जा रहा है । 28 फरवरी तक का जो मेरे पास डेटा है, आज 2 तारीख है, 28 फरवरी 2021 तक राज्य में लगभग 43.61 प्रतिशत ग्राम टोला में बैठक हो चुकी है और 9422 योजनाओं का चयन कर लिया गया है ।

...क्रमशः..

टर्न-28/ मुकुल-राहुल/02.03.2021

क्रमशः

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः करीब 28.5 परसेंट ग्राम और टोला में तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । मैं माननीय सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि उनके क्षेत्र में अगर उनको कोई जानकारी है, अगर कोई चाहते हैं कि कहीं सिंचाई की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है और आप लोग जानते हैं कि कृषि क्षेत्र में एक-दो-तीन एग्रीकल्चर रोड-मैप की वजह से बिहार में जो उत्पादन बढ़ा उसमें एक मेजर जो आने वाले समय में जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन अगर पंजाब और हरियाणा के बाद अगले पांच साल में कहीं होने वाला है तो इस सिंचाई की वजह से वह बिहार में होने वाला है । इसलिए आपको भी अपने क्षेत्र के बारे में कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे या मेरे विभाग को भी दे सकते हैं हम लोग जरूर उसको इसमें लेने की कोशिश करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप बैठे-बैठे कैसे बोल रहे हैं ? शांत रहें । आप बैठ जाइये, आप बिना अनुमति के नहीं बोलिये । बैठ जाइये, बैठिये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि अगर किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र का कोई डेटा हो, कोई जानकारी देना हो कि वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का यह तरीका है तो वे डायरेक्ट मुझे या मेरे विभाग में आकर दे देंगे या भिजवा देंगे तो वहां पर उसको लागू करने में सुविधा होगी । दूसरा एक महत्वपूर्ण काम, दोनों सदन के सदस्यों ने जब जल-जीवन-हरियाली का काम शुरू हुआ, बीच में तो कोरोना आ गया और परिस्थिति बदल गई, यह काम शुरू हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 सितम्बर, 2020 को, यह कोई डाटा मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं वह तो रिकॉर्ड की बात है । 24 सितम्बर, 2020 को यूनाइटेड नेशन का एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पर ब्रिटेन, कनाडा सहित कई देशों के प्राइम मिनिस्टर थे जो ग्लोबल इशूज पर पर्यावरण की क्या स्थिति है उसको लेकर चर्चा करने आये थे और यह हम सबके लिए खुशी की बात है, बिहार के लिए खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी देश के अकेले ऐसे नेता थे जिनको उस कार्यक्रम में यूनाइटेड नेशन ने बुलाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर इसलिए बुलाया गया था कि वे जल-जीवन-हरियाली पर अपनी बात रखें और

वहां पर इनको ''ग्लोबल क्लाइमेट लीडर'' की उपाधि से संबोधित किया गया था, उसी क्रम में जो इतनी बड़ी योजना जल-जीवन-हरियाली का एक बहुत बड़ा कम्पोनेंट था जो गंगा के जल को बोधगया, गया, राजगीर और नवादा के शहर में ले जाने के लिए । आप जानते हैं कि ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से यह सारा क्षेत्र गया, बोधगया, राजगीर, नवादा महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में...

(व्यवधान)

आऊंगा, बताऊंगा उस पर भी । राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के कई संस्थान यहां स्थापित हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं ।

अध्यक्ष: अब थोड़ा और धैर्य से सुनिये, महबूब जी ।

(व्यवधान जारी)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: यहां पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा गंगा जल उद्वह योजना का काम शुरू किया गया । अध्यक्ष महोदय, इस योजना के...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आपके नेता बोले हैं, क्यों आप उठ कर बोल रहे हैं । आप बैठ जाइये । पहले से माननीय सदस्य खड़े हैं, आप क्यों सहयोग में खड़े हो गये हैं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इन्टेकवेल-सह-पम्प हाउस का निर्माण किया जा रहा है जिसमें डायफ्रॉम वाल जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का काम किया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: सुधाकर जी, आप तो अनुभवी लोग हैं जल संसाधन विभाग के, क्यों आप बार-बार उठ रहे हैं, बैठिये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: वहां से गंगा जल को ले जाकर 148.77 किलोमीटर अंडर-ग्राउंड पाइप लाइन के द्वारा सड़कों के किनारे-किनारे, नदी-नाला, रेलवे लाइन, सड़क आदि को पार करते हुए गया तक पहुंचाया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, 22 फरवरी, 2021 तक कुल 109 किलोमीटर लम्बाई के पाइप का उत्पादन और 65.72 किलोमीटर लम्बाई में पाइप-लाइन बिछाने का कार्य पूरा कर लिया गया है । लगभग 48 परसेंट पाइप जो गंगा जल उद्वह योजना है उसका पाइप बिछाने का काम पूरा हो गया है और योजना के तहत जब मानसून का समय होगा तब चार महीनों में पानी लिफ्ट किया जाएगा और पानी लिफ्ट करके उसको स्टोर किया जाएगा और बारहों महीना इन तीनों शहर में पहले फेज में और अगले फेज में नवादा में पीने के पानी की उपलब्धता की जाएगी । अध्यक्ष महोदय, जो उम्मीद की जा रही है जो प्रथम चरण का काम है वह इस साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा । विभाग ने इस पर काम करना शुरू किया तो 135 लीटर प्रति व्यक्ति के

हिसाब से जोड़कर के यहां पर पानी की उपलब्धता की जाएगी । उसमें यह भी जोड़ा गया है कि जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है जो बाहर से तीर्थ करने के लिए आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आ गए)

अध्यक्ष : अभी समय बहुत बचा हुआ है ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: योजना की प्रथम चरण की प्राक्कलित राशि 2836 करोड़ रुपये है, जिसके विरूद्ध 24 फरवरी, 2021 तक 1522.22 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है शेष राशि...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: आपसे आगे निकल गए हैं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: शेष राशि का उपबंध वर्ष 2020-21 के बजट में प्रस्तावित है । अध्यक्ष महोदय, तीसरा जो एक महत्वपूर्ण काम जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको पता है कि विष्णुपद मंदिर के पास फल्गू नदी में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के उद्देश्य से...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : कह रहे हैं बैठने के लिए, बैठ जाइये । हम थोड़े कह रहे हैं, ललित जी कह रहे हैं बैठने के लिए ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : पिंडदान के उद्देश्य से देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल आते हैं । फल्गू नदी में सतही जल का प्रवाह मानसून अवधि को छोड़ कर सालोंभर नगण्य रहता है । इस समस्या के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, जल संसाधन...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: मंत्री जी आप बोलते रहिए ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: विभाग ने मंदिर के 300 मीटर निम्न प्रवाह में रबर डैम के निर्माण की योजना तैयार की गई है । इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद गया जाकर प्रस्तावित डैम के स्थल का मुआयना किया और पूरी योजना की बारीकी से जानकारी ली । बिहार में यह अपनी तरह का पहला रबर डैम है । इसकी लंबाई 405 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर होगी । अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित हो रहा यह डैम पर्यावरण के अनुकूल है और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा । नदी के दायें तट के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ कंक्रीट लाइनिंग और दो स्थानों पर 50-50 मीटर की लंबाई में घाट का निर्माण भी कराया जाना है । बायें एवं दायें तट को जोड़ने तथा सीता कुण्ड जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए रबर डैम के ऊपर पैदल पार पथ का भी प्रावधान है ।

इस योजना के कार्यान्वयन में आई0आई0टी0 रूड़की की तकनीकी सेवा ली गई है । विशेषज्ञों की टीम के द्वारा 5 दिसंबर 2020 को स्थल निरीक्षण भी किया गया है । टीम के परामर्श के अनुरूप योजना को अंतिम रूप देकर उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । योजना की प्राक्कलित राशि 266 करोड़ रुपये है और इसे अक्टूबर, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है । अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जो हमारे बिहार के निश्चय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: बाहर जाने का उत्साह है ?

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : जो हमारे कोसी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण, यह देश का दूसरा संस्थान है एक संस्थान जो पूणे में है और दूसरा संस्थान जो कासी के वीरपुर में खोला जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर में 108.93 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का शिलान्यास एवं कार्य प्रारंभ किया गया है । विभाग द्वारा इस प्रतिष्ठान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है ।

यह केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र, पुणे के बाद देश का दूसरा उत्कृष्ट संस्थान होगा । इसमें कोसी समेत अन्य नदियों तथा उस पर बनी संरचनाओं के हाईड्रालिक गुणों, नदियों की प्रवृत्ति, गाद और बहाव की स्थिति तथा नदी संबंधी अन्य जटिल समस्याओं का अध्ययन हो सकेगा । वर्तमान में यह कार्य पुणे के संस्थान से कराना पड़ता है । जब यह काम पूरा हो जाएगा तब बिहार सरकार के धन और समय की बचत होगी । भविष्य में इस सेंटर के जरिए उत्तर-पूर्वी राज्यों, उत्तर प्रदेश तथा अन्य पड़ोसी राज्यों की नदियों से संबंधित अध्ययन भी किया जा सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत बारुण से पटना जिला अंतर्गत भुसौला पुल तक पटना मुख्य नहर के सेवापथ पर 122.10 किलोमीटर की लंबाई में बीटुमिनस सड़क के निर्माण से पटना और औरंगाबाद के बीच एनएच 98 पर चलने वाले छोटे वाहनों के लिए यातायात सुलभ हो गया है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

क्रमश:

टर्न-29/यानपति-अंजली/02.03.2021

...क्रमश:..

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: पिछली बार बाढ़ में कुछ अभिनव प्रयोग भी किये गये । जैसे मैंने कहा कि फिजिकल मॉडलिंग वीरपुर में बन रहा है । ऐसे ही मेथेमेटिकल मॉडलिंग जो पटना

में है, उसके द्वारा पहली बार 2020 के दौरान एक मॉडल स्टडी किया गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो 90 परसेंट करेक्ट हुआ और अब हमलोग 72 घंटा पहले ही सूचना पिछली बार बाढ़ में अलर्ट कर देते हैं कि यहां ज्यादा बाढ़ होने वाला है यहां की स्थिति से । विभाग में हमलोगों ने टॉल फ्री नम्बर भी दिया उसका बहुत फायदा हुआ । इतना फोन आता है उसपर जो कहीं सीपेज हो रहा है, कहीं ड्रेनेज हो रहा है, कहीं कोई समस्या है, बाढ़ संबंधी आपदा, तटबंध में सीपेज, पाइपिंग रिसाव सब की सूचना पिछली बार बाढ़ में आयी और 288 सूचनाएं आईं और उसको इमिडियेटली रेक्टिफाई किया गया, ठीक किया गया । एक बहुत बड़ा काम जो पहली बार बिहार में शुरू हुआ वह स्टील शीट पाईलिंग का ये शीट पाईल जहां पर पोपुलेशन रहता है, हैबिटेशन रहता है ये बिहार में आज तक नहीं हुआ था । वह स्टील शीट पाईप का काम किया गया । 24 जून को कोरोना के बीच में ही जब मुख्यमंत्री मधुबनी के जयनगर में गए थे नेपाल बॉर्डर पर, जो कुछ समस्या थी उस समय वहां फ्लड के काम में समस्या हो रही थी और बाय-रोड यहां से मुख्यमंत्री गए तो वहां से खुद जाकर के फिर झंझारपुर के नरूआर में जाकर के जो कैसे ये काम होता है खुद जाकर के देखें और ये बड़े ही इफेक्टिव तरीके से इस बार के बाढ़ में स्टील शीट पाईलिंग का काम जो है इसका किया गया है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस एरिया से हमलोग आते हैं मिथिला के एरिया से पश्चिमी कोसी नहर हम लोग के जन्म से पहले ही काम चल रहा था और आज तक पूरा नहीं हुआ । ये एन0डी0ए0 की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है । उस योजना पर 700 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री ने, जो कैबिनेट ने सैंक्शन किया है उसका टेंडर हो चुका है और उस पर काम शुरू हो गया है । निश्चित रूप से आने वाले एक डेढ़ साल में मधुबनी और दरभंगा दोनों जिला का, पश्चिमी कोसी नहर का काम होने से बिल्कुल इसका कायाकल्प हो जाएगा । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है वह है नदी जोड़ो योजना । अटल जी के समय में हमलोग सुनते थे कि नदी के जोड़ने की बात कोसी-मेची लिंक परियोजना पर भारत सरकार द्वारा आज सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति 2019 में प्राप्त हो गई । इसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है वह 8 दिसंबर, 2020 को जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिल चुका है तो एक बहुत बड़ा योजना का काम, उस सीमांचल का एरिया है और इस पर लागत 4900 करोड़ रुपया लगेगा । विभाग का प्रयास है कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किया जाय । दिनांक 24 नवंबर, 2020 को भारत सरकार की हाई पावर स्टीयरिंग कमिटी की 12वीं बैठक हुई, जिसमें कोसी-मेची लिंक योजना को राष्ट्रीय योजना में शामिल करने की अनुशंसा की गई है । अगर ऐसा होता है तो 90:10 के रेसियो में यह काम हो जाएगा और खासकर के

जो पूरा सीमांचल का एरिया है चूंकि बुंदेलखंड में आपको पता है कि केन बेतवा नदी जो है उसको भी राष्ट्रीय योजना में शामिल किया गया है तो जो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार ये चारों जिला मिलाकर 2,14,812 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी । ये कोसी–मेची लिंक जो इंटरलिंकिंग है इस काम से । एक और मैं जरूर जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में बहुत ही डिफिकल्ट था जो एंटी ईरोजन का काम करते थे, कोई घर से नहीं निकल रहा था, सारा जगह लॉकडाउन था, कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, एक गाड़ी का मूवमेंट नहीं था उस बीच में जो विभाग के इंजीनियर हैं, जो पदाधिकारी हैं वे पूरा डिपार्टमेंट में एक व्यवस्था करके और फोन करके फैक्ट्री को खुलवाये, ट्रक का मूवमेंट कैसे हो वे यहां से विभाग से मॉनिटर करते रहे और शायद बिहार देश में अकेला राज्य होगा जो ससमय अपना इंटेक्ट एंटी ईरोजन का काम पूरा किया, इसलिए हमलोग बहुत जगह जो बाढ़ में बचा पाए नहीं तो कोरोना में यह सब काम कराना बहुत ही डिफिकल्ट था इसलिए मैं विभाग के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि इस परिस्थिति में उन्होंने काम किया । एक महत्वपूर्ण योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब है वह दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, मुजफ्फरपुर जिला को कुल मिलाकर के है । खुद वह हेलिकॉप्टर से जाकर के देखकर के आये । वह है कुशेश्वर स्थान का पूरा वह बेल्ट जलमुक्त हो उसपर भी तीनों नदी वहां मिलती है बागमती, कमला और कोसी और वहां पर 548 करोड़ रुपये की लागत की राशि बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–3बी और फेज–5ए पहले तो एक पार्ट गया था मुख्यमंत्री जी बोले कि नहीं दोनों पार्ट को लेकर आइए....

अध्यक्ष: आप संक्षिप्त करें ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री: उसका काम फाइनल स्टेज में है, टेंडर और उसका काम शुरू हो जायेगा। अभी एक माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे टाल योजना का और मुख्यमंत्री के कार्यकाल की बात कर रहे थे कि टाल योजना अब तो टाल में वह जब बात कर रहे थे कि अब तो टाल में रोड भी है, टाल में बिजली भी है, टाल में दलहन भी होता है तो टाल योजना के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय 1178.5 करोड़ रुपये की लागत से बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत टाल विकास योजना के अंतर्गत 44 कि0मी0 की लंबाई में तटबंध निर्माण, 53 कि0मी0 की लंबाई में तटबंध निर्माण के साथ पक्कीकरण, पईन की उड़ाही और जीर्णोद्धार के साथ पुलिया का निर्माण, बराज, बीयर एवं चेक डैम का निर्माण कराया जाना है । इन कार्यों को सात भाग में बांटते हुए टेंडर की प्रक्रिया इस माह की 26 तारीख तक पूर्ण कर ली जायेगी और इस योजना को, मई 2023 तक टाल योजना पूरी हो जायेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक–दो महत्वपूर्ण चीज, एक जो

लखनदेई यह बड़ा इनोवेटिव चीज बिहार सरकार के द्वारा किया गया है । जो नयी पुरानी जो एक डेड रिवर था जो लखनदेई रिवर उसका जीर्णोद्धार किया गया है इसमें सीतामढ़ी में । इसमें 18 कि0मी0 की लंबाई में नदी के उड़ाही का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और शेष 3 कि0मी0 में यह कार्य प्रगति पर है इससे सोनवर्षा, बथनाहा, सीतामढ़ी, रुन्नी सैदपुर के प्रखंडों के करीब 2539 हेक्टेयर भूमि पर फिर से खेती हो सकेगी । एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है वह है भूतही बलान योजना वह खुद भी देख कर के आये थे मुख्यमंत्री जी, 56 गांव और खासकर के अतिपिछड़ा समाज के मैक्सिमम लोग वहां पर रहते हैं उस बेल्ट में और अपने जब मधेपुरा से निकले तो खुद देखकर के आये उसपर भी काम शुरू हो गया है और इसी तरह नेपाल के भाग में कमला बांया एवं दायां तटबंध के साथ जोड़ने का कार्य कराया जा रहा है । कमला बलान के नेपाल और भारतीय भूभाग के बने तटबंध के आपस में जुड़ जाने से सीमावर्ती क्षेत्र की बड़ी आबादी को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी ।

अध्यक्ष: अब कंक्लूड कर लीजिये ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब मैं पानी के सम्यक प्रबंधन, संरक्षण एवं सदुपयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दुहराते हुए सदन से अनुरोध करता हूं कि जल संसाधन विभाग के लिये प्रस्तावित बजट उपलब्ध कराया जाय । विभाग सभी जनोपयोगी कार्यक्रमों को समय से और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के प्रति दृढ़संकल्पित है ।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये 40,74,38,16,000/-(चालीस अरब चौहत्तर करोड़ अड़तीस लाख सोलह हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग स्वीकृत हुई ।

टर्न–30/सत्येन्द्र/02–03–2021

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 02 मार्च, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 22 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिये जायं ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 03 मार्च, 2021 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।